[2018] 9 एस. सी. आर *1*

तहसीन पूनावाला

वी.

भारत का संघ और ए. एन. आर.

(2018 की लिखित याचिका *(*सिविल*)* संख्या *19)*

अप्रैल *19,2018*

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे. जे.*]*

भारत का संविधान-*Art.32*-न्यायाधीश लोया की मृत्यु का मामला

-

मृत्यु की परिस्थितियों की जाँच के लिए याचिकाएँ लिखें

न्यायाधीश, जो उस आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता कर रहा था, जिसमें अभियुक्तों में से एक भारतीय जनता पार्टी *(*गुजरात राज्य में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री*)* का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, ने "कारवां" पत्रिका में प्रकाशित दो लेखों के आधार पर याचिका दायर की थी, जिसमें न्यायाधीश की अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था, जबकि दिल का दौरा पड़ने से उनकी प्राकृतिक मृत्यु के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था-याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीश की उपस्थिति में उनके सहयोगियों के आचरण पर सवाल उठाया-आयोजितः वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या न्यायाधीश की प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु हुई-उपस्थित रहने में उनके सहयोगियों का आचरण

उसके लिए सवाल में नहीं है-अपने सहयोगियों को उद्देश्यों का श्रेय देना

उनके साथ कौन थे, यह बेतुका है, यदि प्रेरित नहीं है-उन्होंने परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पूरी तरह से सद्भावना से काम किया-उक्त न्यायिक अधिकारियों के स्पष्ट और सुसंगत बयानों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है-रिकॉर्ड पर दस्तावेजी सामग्री इंगित करती है कि

न्यायाधीश की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई-न्यायाधीश के परिवार के सदस्यों ने कारवां प्रकाशन में दिए गए बयानों से खुद को अलग कर लिया-यह मानने का कोई आधार नहीं है कि मृत्यु के कारण या परिस्थितियों के बारे में उचित संदेह था जो आगे की जांच के योग्य होगा-न्यायाधीश के परिवार के सदस्यों ने कारवां प्रकाशन में दिए गए बयानों से खुद को अलग कर लिया।

याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों में ईमानदारी की कमी है, अदालत की प्रक्रिया को बदनाम करता है और प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का गठन करता है-हालांकि, आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है-रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है अदालत की अवमानना अधिनियम,

1971 .

दंड प्रक्रिया संहिता, *1973 - s.174*-पूछताछ रिपोर्ट

के उद्देश्य के तहत-न्यायाधीश की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच की मांग करने वाली रिट याचिकाएं जो अध्यक्षता कर रहे थे

1 [2018] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक मुकदमा जिसमें अभियुक्तों में से एक भारतीय जनता पार्टी *(*गुजरात राज्य में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री*)* का राष्ट्रीय अध्यक्ष था-रिट याचिकाकर्ताओं की याचिका कि कोई नहीं था

पुलिस द्वारा की गई जाँच/जाँच यू */ s.174* आयोजितः जाँच करने का उद्देश्य सीमित है-जाँच रिपोर्ट ठोस सबूत नहीं बनाती है-इसलिए, मृतक पर हमला कैसे किया गया या उसके साथ हमला किसने किया और किन परिस्थितियों में रिपोर्ट के दायरे से बाहर हैं, इससे संबंधित मामले-जाँच

रिपोर्ट का उद्देश्य मुख्य रूप से चोटों की प्रकृति और मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाना है।

उच्चतम न्यायालय नियम, *2013*-या। *IX, rr. 1 , 2* - एक शपथ पत्र के प्रतिनिधि के तहत प्रतिपरीक्षा-याचिकाकर्ता

कारवां पत्रिका में प्रकाशित लेखों के बाद राज्य द्वारा की गई विवेकी जांच पर सवाल उठाया गया, जिसमें आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश की अप्राकृतिक मौत पर संदेह जताया गया था, जिसमें एक आरोपी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष *(*गुजरात राज्य में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री*)* था-याचिकाकर्ताओं की याचिका कि जिन डॉक्टरों और न्यायिक अधिकारियों के बयान जांच के दौरान दर्ज किए गए थे, उन्हें पहले एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाए और फिर उनसे जिरह करने की अनुमति दी जाए-आयोजितः *2013* के नियमों के *Or.IX* के तहत अदालत में एक व्यक्ति की जिरह की अनुमति देने का विवेकाधिकार निहित है जिसने दायर किया है।

याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिए-प्रतिपरीक्षा के अनुरोध की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है-भारत का संविधान-*Art.32*। जनहित याचिका-इसका उद्देश्य और इसके दुरुपयोग पर चर्चा की गई-भारत का संविधान-कला। *32* और *226*।

न्यायिक अनुशासन-न्यायाधीशों को अलग करना-आयोजितः एक न्यायाधीश को किसी मामले की सुनवाई करनी चाहिए या नहीं, यह निर्णय न्यायाधीश के लिए विवेक का विषय है।

न्यायाधीश लोया आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुठभेड़ हत्याओं में से एक आरोपी श्री तहसीन पूनावाला बनाम था।

भारत का संघ और ए. एन. आर.

' ए. एस. ', भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (गुजरात राज्य में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री)। *29* पर

दिसंबर *2014* में न्यायाधीश लोया ने सीने में दर्द की शिकायत की। उन्हें पहले दांडे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से उन्हें हृदय देखभाल केंद्र में भेजा गया। उनके सहयोगी उनके साथ मेडिट्रिना अस्पताल गए। न्यायाधीश लोया की मेडिट्रिना में भर्ती होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। अस्पताल। कारवां पत्रिका में दो लेख प्रकाशित हुए थे जिनमें जज लोया की अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था, जबकि दिल का दौरा पड़ने से उनकी प्राकृतिक मृत्यु के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था। इसलिए, वर्तमान याचिका।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः धारा *174* दंड प्रक्रिया संहिता

1.1 धारा *174* एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है।

आत्महत्या करना, या *(i)* किसी अन्य द्वारा मार दिया जाना;

या *(ii)* किसी जानवर द्वारा; या *(iii)* मशीनरी द्वारा या *(iv)* दुर्घटना से या उचित संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने से। कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है। इनमें से किसी भी स्थिति में, पुलिस अधिकारी को सूचना देने की आवश्यकता होती है

तत्काल निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास, जिसे पूछताछ करने का अधिकार है। उसे उस स्थान पर जाना पड़ता है जहाँ शव स्थित है और दो गवाहों की उपस्थिति में जाँच करने और मृत्यु के स्पष्ट कारण की रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में घावों का वर्णन होगा।

शरीर पर पाए जाने वाले चोट के निशान और वे किस तरीके से या किस हथियार या उपकरण, यदि कोई हो, से लगाए गए प्रतीत होते हैं। जाँच आयोजित करने का उद्देश्य सीमित है। जाँच रिपोर्ट ठोस सबूत नहीं बनाती है। इसलिए मृतक पर हमला कैसे किया गया या उस पर हमला किसने किया और किन परिस्थितियों में रिपोर्ट के दायरे से बाहर हैं, इससे संबंधित मामले हैं। जाँच की रिपोर्ट मुख्य रूप से *[2018] 9* एस. सी. आर. के लिए है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चोटों की प्रकृति और स्पष्ट कारण का पता लगाने के लिए

मृत्यु। दूसरी ओर, यह डॉक्टर है जो एक पोस्टमॉर्टम परीक्षा आयोजित करता है जो चिकित्सा-कानूनी दृष्टिकोण से शरीर की जांच करता है। इसलिए यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से चोटों का विवरण होने की उम्मीद है।

जाँच। *[* पारस *28,29] [59*-बी-एफ*]*

1.2 धारा *174* की उप-धारा *(3)* में पुलिस अधिकारी से शव को निकटतम नागरिक को जांच के लिए भेजने की आवश्यकता होती है। सर्जन, या जैसा भी मामला हो, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विधिवत योग्य चिकित्सा व्यक्ति के लिए,

धारा *174* के तहत कार्यवाही करने वाले अधिकारी को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को जांच के उद्देश्यों के लिए तलब करने का अधिकार है। धारा *176* के तहत, जहां मामला धारा *174* की उप-धारा *(3)* के खंड *(i)* या खंड *(ii)* में निर्दिष्ट प्रकृति का है, वहां निकटतम मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है।

जाँच करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जाँच के बजाय या उसके अतिरिक्त मृत्यु के कारण की जाँच की जाएगी। धारा *174* की उप-धारा *(1)* में उल्लिखित किसी अन्य मामले में मजिस्ट्रेट जांच कर सकता है। *[* पैरा *31] [62-*ई-एच*]*

प्रस्तुतियों का विश्लेषण किया गया

1.3 कारवां में प्रकाशित लेखों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक गोपनीय जांच का आदेश दिया गया था।

एक न्यायिक अधिकारी की मृत्यु। बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य खुफिया विभाग के आयुक्त को चार न्यायिक अधिकारियों की राय दर्ज करने की अनुमति दे दी।

अधिकारी। यह मुद्दा महत्वपूर्ण था। बयानों में से तीन ने विशेष रूप से आयुक्त को पत्र का उल्लेख किया, जबकि चौथे ने अनुरोध का उल्लेख किया जो आयोग द्वारा किया गया था। आयुक्त और अनुमति जो उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी। चार न्यायिक अधिकारियों के लिए तहसीन पूनावाला बनाम का कोई कारण नहीं था।

भारत का संघ और ए. एन. आर.

उनके बयानों को प्रस्तुत करने में देरी करें या देरी करें। राज्य न्यायपालिका के चार अधिकारियों के खिलाफ कोई आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। वे जज लोया के साथ मौजूद थे। नागपुर में एक सहकर्मी के परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए। उनमें से प्रत्येक ने जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के रूप में उस अनुमति का जवाब दिया जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आयुक्त, एस. आई. डी. को अपनी बात दर्ज करने के लिए दी गई थी। न्यायाधीशों ने मामले के तथ्यों के बारे में विस्तार से बात की है जैसा कि वे याद कर सकते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश ने उन तथ्यों और घटनाओं के बारे में विस्तार से बात की है जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी में थे। द.

बयानों में विस्तार के मामले होते हैं जो न्यायाधीश लोया के साथ मौजूद लोगों को पता होंगे। उनके पास सच्चाई की एक अंगूठी है। उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था और न ही पीसने के लिए कुल्हाड़ी। बयान प्रेषण के साथ प्रस्तुत किए गए थे। वे हो चुके हैं

पूर्व-ध्यान के बिना प्रस्तुत। चारों न्यायिक अधिकारियों ने जिम्मेदारी से काम लिया। उनके पास जल्दबाजी करने या जो वे जानते थे उसके अपने संस्करण प्रस्तुत करने में देरी करने का कोई कारण नहीं था। चारों न्यायाधीशों में से प्रत्येक ने कर्तव्य की भावना के साथ काम किया था। इस तरह से उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे कर्तव्य के आह्वान का जवाब देते हुए अपना आचरण करें। बयानों पर संदेह करने के लिए आग्रह की गई प्रस्तुतियों में से एक यह है कि एक लेख भारतीय में प्रकाशित हुआ था। एक्सप्रेस जिसमें उच्च

न्यायालय के दो न्यायाधीशों *(*न्यायमूर्ति 'बीजी' और न्यायमूर्ति 'एसबीएस'*)* के बयान प्रकाशित किए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया कि न्यायिक अधिकारियों के बयानों को इस रूप में नहीं माना जा सकता है

स्वतंत्र रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने वही दृष्टिकोण अपनाया था जो इंडियन एक्सप्रेस के लेख में सामने आया था, कि न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों से उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों द्वारा कही गई बात से भिन्न याचिका लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। यह निवेदन बेतुका है। यह चार वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बदनाम करने का एक खुला प्रयास है। प्रस्तुतिकरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि इंडियन एक्सप्रेस में लेख *27* नवंबर *2017* को प्रकाशित हुआ था और उसी समय न्यायमूर्ति 'बीजी' और न्यायमूर्ति 'एसबीएस' के बयान प्रकाशित हुए थे। चार न्यायिक अधिकारियों के बयान *23* और *24* नवंबर *2017* को दिए गए हैं और वास्तव में एस. आई. डी. के आयुक्त को *24* नवंबर *2017* को प्राप्त हुए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंडियन एक्सप्रेस का लेख प्रकाशित होने से पहले। *[* पैरा *46,47]*

[75 - जी-एच*; 76-*ए-एच*; 77-*ए-बी*]*

1.4 वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक थी या अप्राकृतिक। उसके उद्देश्यों को श्रेय देने के लिए

सहकर्मी जो उनके साथ थे और उन्हें पास के अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कदम उठाए, अगर प्रेरित नहीं हैं तो बेतुका है। आपात स्थिति में, आपातकाल का सामना करने पर मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना करना आसान है। एक दूर की जगह पर कुर्सी पर बैठे पर्यवेक्षक के लिए यह कहना आसान है कि ज्ञान एक वैकल्पिक कार्रवाई में निहित है। मानव व्यवहार का आकलन करने के लिए यह कभी भी परीक्षा नहीं हो सकती है। न्यायाधीश लोया की सेवा में उनके सहयोगियों के आचरण पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने परिस्थितियों में पूरी तरह से सद्भावना से काम करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दांडे अस्पताल में, चिकित्सा सलाह थी कि न्यायाधीश लोया की स्थिति के कारण उन्हें एक विशेष हृदय अस्पताल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। न्यायाधीश 'आर', जो उस समय उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ से जुड़े थे, न्यायाधीश 'के' और न्यायाधीश 'एम' के साथ थे, जब न्यायाधीश लोया को अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, और न्यायाधीश 'डब्ल्यू' भी थे। डॉ. 'पीएच' जो जज 'आर' के रिश्तेदार थे, मेडिट्रिना अस्पताल से जुड़े हृदय सलाहकार थे। न्यायाधीश 'आर' ने उनसे फोन पर संपर्क किया और उनके सुझाव पर न्यायाधीशों ने न्यायाधीश लोया को मेडिट्रिना स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसके लिए न्यायाधीशों के साथ गलती खोजने के लिए

कार्रवाई अस्वीकार्य है। जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों ने अपने सहयोगी का चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए नेक इरादे से काम किया। उनके आचरण पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। न्यायाधीश 'के' ने *24* नवंबर *2017* को अपने बयान में कहा कि न्यायाधीश लोया को दांडे अस्पताल में "आपातकालीन उपचार" दिया गया था। न्यायाधीश

'एम 'ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद, दांडे अस्पताल के डॉक्टरों ने रोगी को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह दी। दांडे अस्पताल में मौजूद न्यायाधीश 'बी'ने विशेष रूप से कहा कि वहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी ने न्यायाधीश की जांच की *("*चेक-अप*")*।

लोया "ईसीजी, रक्तचाप आदि द्वारा उनकी प्रक्रिया के अनुसार"। न्यायाधीश 'आर'ने कहा कि दांडे अस्पताल में समय बर्बाद हुआ क्योंकि ईसीजी मशीन के नोड टूट गए थे और मशीन काम नहीं कर रही थी। हालाँकि, न्यायाधीश 'आर'के इस कथन को मेडिट्रिना अस्पताल में डॉक्टर की प्रगति टिप्पणियों के साथ तौला जाना चाहिए। मृत्यु सारांश विशेष रूप से इस तथ्य के लिए विज्ञापित किया गया कि रोगी था

इससे पहले उन्हें दांडे अस्पताल ले जाया गया जहां उनका ईसीजी किया गया।

डॉ. डी. तहसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर.

एक ही बयान दिया। प्रगति टिप्पणियों में पूर्ववर्ती लीड में एक "लंबा" टी "भी नोट किया गया है जो इंगित करता है कि ईसीजी देखा गया था।

मेडिट्रिना अस्पताल में जज लोया की देखभाल करने वाले डॉक्टरों द्वारा। ये प्रगति टिप्पणियाँ समकालीन हैं, क्योंकि ये मेडिट्रिना के डॉक्टर द्वारा सीताबार्डी *(*जिसके अधिकार क्षेत्र मेडिट्रिना है*)* में पीएसआई को संबोधित संचार का भी हिस्सा हैं।

अस्पताल स्थित है*)* उसी दिन जब न्यायाधीश को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। वास्तव में, यह वही ई. सी. जी. है जो प्रस्तुतियों की विषय वस्तु बनाता है जिनका हस्तक्षेप करने वालों में से एक द्वारा आग्रह किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेडिट्रिना अस्पताल में डॉक्टर की प्रगति टिप्पणियों में ई. सी. जी. का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, यह अनुमान लगाने का कोई उचित आधार नहीं है कि दांडे अस्पताल में कोई ई. सी. जी. नहीं किया गया था। इसके अलावा, न्यायाधीश 'के'ने कहा कि न्यायाधीश लोया को न्यायाधीश बी की कार में दांडे अस्पताल ले जाया गया था। न्यायाधीश 'एम'ने यह भी नोट किया कि न्यायाधीश लोया को कार से दांडे अस्पताल और उसके बाद मेडिट्रिना में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायाधीश 'बी'और न्यायाधीश 'आर'के बयानों में इसकी पुष्टि की गई है। यह आरोप कि न्यायाधीश लोया को रवि भवन से दांडे अस्पताल और उसके बाद मेडिट्रिना जाने के लिए एक कार भी नहीं दी गई थी, एक लाल-हेरिंग है। *[*पारस *48-50] [77-F-H; 78-A-B, E-H; 79-A-C, EF]*

1.5 न्यायाधीश 'एम'ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने और न्यायाधीश 'के'ने न्यायाधीश लोया के रिश्तेदारों से उनके हाजी अली आवास पर मुलाकात की

कुछ दिनों के बाद। यह सुझाव कि यह कठोर है, गलत होने के अलावा दुर्भाग्यपूर्ण है। जज लोया का परिवार अंतिम संस्कार के लिए गेटेगांव गया था। क्या न्यायाधीश 'के'और न्यायाधीश 'एम'के मुंबई में कुछ दिनों बाद परिवार से मिलने की परिस्थिति का उनकी मानवता की भावना पर असर पड़ सकता है, जैसा कि आग्रह किया गया है*?* स्पष्ट उत्तर नकारात्मक में है। *[*पैरा *51] [79-*जी-एच*]*

1.6 न्यायाधीश आर के बयान को बारीकी से पढ़ने से संकेत मिलता है कि

जब वह रवि भवन पहुंचे और न्यायाधीश 'एम'और न्यायाधीश 'के'से मिले, तो न्यायाधीश लोया प्रकृति की पुकार पर ध्यान दे रहे थे। बयान से यह स्पष्ट है कि न्यायाधीश लोया जब रवि भवन से निकले तो बेहोश नहीं थे और सीने में दर्द और दिल में जलन की शिकायत कर रहे थे। यह आग्रह करना कि न्यायाधीश लोया द्वारा

पहने गए कपड़ों का चित्रण न्यायिक अधिकारियों द्वारा सुनाई गई घटनाओं के क्रम पर संदेह पैदा करता है, इसलिए असमर्थनीय है। *[* पैरा *52] [80-*बी-सी*] [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.7 न्यायाधीश लोया को आपात स्थिति में अस्पताल ले जाया गया था। मानवीय घटनाओं का सामान्य क्रम इंगित करता है कि उनके चार सहयोगी प्रवेश पत्र भरने की तुलना में न्यायाधीश लोया की उपस्थिति के बारे में अधिक चिंतित होंगे। उनका नाम बृजगोपाल के बजाय बृजमोहन के रूप में दर्ज करने में गलती हुई। यह

उनके साथ रहे चार न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए विस्तृत तथ्यात्मक कथन को बदनाम करने का आधार नहीं हो सकता है। उनमें से दो-जज 'के' और जज 'एम'-उस समय से जज लोया के साथ थे जब तीनों अधिकारी नागपुर में शादी के लिए मुंबई से निकले थे।

और *1* दिसंबर *2014* को जज लोया की मृत्यु तक। उन्होंने मुंबई छोड़ने के बाद से अपने कार्यक्रम का एक विश्वसनीय विवरण प्रदान किया है। वे सभी एक साथ यात्रा करते थे, एक साथ रहते थे, नागपुर में स्थानीय न्यायाधीशों से मिलने जाते थे, शादी में शामिल होते थे और एक-दूसरे और न्यायिक बिरादरी में अपने दोस्तों के साथ रहते थे। यह तथ्य कि तीनों न्यायाधीश एक साथ रहे, सुसंगत विवरण है जो उनके बयानों से सामने आता है।

न्यायाधीश 'एम' और न्यायाधीश 'के' जिसकी पुष्टि न्यायाधीश 'बी' के बयान से होती है। न्यायालय के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों *(*न्यायाधीश 'के', न्यायाधीश 'एम' और न्यायाधीश 'बी'*)* के प्राकृतिक खाते की सत्यता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है। अदालत से इस आधार पर ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है कि रवि भवन के रजिस्टर में प्रविष्टि में न्यायाधीश 'के' के नाम का उल्लेख है, लेकिन इसमें न्यायाधीश 'एम' या न्यायाधीश लोया के अधिभोग का कोई संदर्भ नहीं है। न्यायाधीश 'के' ने स्पष्ट रूप से कहा कि रवि भवन में एक वी. आई. पी. सुइट बुक किया गया था। चार न्यायिक अधिकारियों के पक्ष में तब तक झुकना चाहिए जब तक कि मजबूत और निर्विवाद परिस्थितियों को उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए नहीं दिखाया जाता है। यह संस्थान की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए व्यापक लोक हित में होगा। यह है। अधिभोग रजिस्टर की एक फोटोकॉपी द्वारा पुष्टि की गई है जिसे रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है। तीनों न्यायिक अधिकारियों को एक ही कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। अगर दोस्तों और सहयोगियों के रूप में, उन्होंने एक कमरे को साझा करने का फैसला किया, तो इसे आचरण का एक अप्राकृतिक तरीका नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गए प्रकृति के अनुमानों में शामिल होकर तीन न्यायिक अधिकारियों के लगातार दिए गए बयानों को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। यहां तक कि *20* नवंबर *2017* को कारवां में प्रकाशित लेख में भी न्यायाधीश लोया के बारे में लिखा है कि

30 नवंबर *2014* की रात को अपनी पत्नी के साथ बातचीत की और उसे इस तथ्य के बारे में सूचित किया कि वह रवि भवन तहसीन पूनावाला बनाम में रह रहा था।

भारत का संघ और ए. एन. आर.

उन न्यायाधीशों के साथ जो उनके साथ नागपुर गए थे। *[* पारस *53,58] [80-*डी-एफ; *83-*सी-जी*]* *1.8* पोस्टमॉर्टम में मृत्यु की तारीख *7* दिसंबर *2014* का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है। मृत्यु की तारीख स्पष्ट रूप से *1* दिसंबर *2014* के रूप में उल्लिखित है। अस्पताल का बिल

मेडिट्रिना में *Rs.4290* की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, तंत्रिका संबंधी शुल्क और आहार परामर्श के लिए शुल्क शामिल हैं। वर्तमान मामले में मुद्दा यह नहीं है कि मेडिट्रिना में तैयार किया गया बिल लापरवाही के बराबर है या नहीं। के लिए शुल्क आहार संबंधी परामर्श गलत है। लेकिन यह इस तथ्य को बदनाम करने का आधार नहीं हो सकता कि न्यायाधीश लोया को मेडिट्रिना ले जाया गया था। यह कि उन्हें मेडिट्रिना ले जाया गया था, अभिलेख पर दस्तावेजी सामग्री और सभी चार न्यायिक अधिकारियों के सुसंगत बयानों से स्पष्ट है।

अधिकारी *(*न्यायाधीश 'के', न्यायाधीश 'एम', न्यायाधीश 'बी' और न्यायाधीश 'आर'*)*। *[* पैरा *55] [81-*बी-डी*]*

1.9 डॉ. 'पीआर' को शव सौंपने को गलत नहीं माना जा सकता है। विवेकी जाँच की रिपोर्ट में एक विस्तृत विवरण शामिल है

इस तथ्य के संदर्भ में कि नागपुर में तैनात डॉ. 'पीआर' से औरंगाबाद में एक रिश्तेदार ने *1* दिसंबर *2014* को उनकी मदद का अनुरोध करते हुए संपर्क किया था। डॉ. 'पीआर' ने अपने बयान में एक तथ्यात्मक स्पष्टीकरण दिया कि कैसे उनके रिश्तेदार ने उनसे संपर्क किया और न्यायाधीश लोया की औपचारिकताओं में सहायता करने के लिए कहा। समकालीनों को ध्यान में रखते हुए डॉ. 'पीआर' की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। दुर्घटना सारांश सहित दस्तावेजी सामग्री। दुर्घटनावश हुई मौत में डॉ. 'पीआर' की उपस्थिति स्थापित होती है।

विवेकपूर्ण पूछताछ। *[* पारस *56,61] [81-*डी-एफ; *85-*सी-डी*]* *1.10* यह एक तथ्य है कि न्यायाधीश लोया के परिवार ने उनकी मृत्यु की सूचना मिलने के बाद नागपुर की यात्रा नहीं की थी। अगर परिवार ने फैसला किया कि अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया जाना चाहिए जहां से वह लातुर के पास गेटेगॉन से संबंधित थे, तो यह एक व्यक्तिगत निर्णय था *[2018] 9* एस. सी. आर.

परिवार के लिए। जज लोया की मृत्यु हो चुकी थी। यदि उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पहले नागपुर की यात्रा करने और फिर सड़क मार्ग से लगभग *450* किलोमीटर की दूरी तय करने के बजाय गेटेगॉन जाने का सुविचारित निर्णय लिया गया था, जहां अंतिम संस्कार किया जाना था, तो इस तरह के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह आरोप कि शव को गैटेगांव के साथ नहीं भेजा गया था, रिकॉर्ड में सामने आई बातों के विपरीत है। न्यायाधीश 'के' ने अपने बयान के दौरान इस तथ्य का संदर्भ दिया कि शव को एम्बुलेंस द्वारा उस स्थान पर भेजा गया था जहां न्यायाधीश लोया मूल रूप से थे, नागपुर के दो न्यायिक अधिकारियों को भी शव के साथ जाने के लिए एक अन्य कार में भेजा गया था। न्यायाधीश 'एम' अपने में

1.11 यह मुद्दा कि क्या न्यायाधीश जे. टी. यू. *(*पूर्व न्यायाधीश*)* का स्थानांतरण किया जा सकता था, परिस्थितियों पर कोई असर नहीं डालता है। जिसमें न्यायाधीश लोया की मृत्यु हो गई। पूर्व

न्यायाधीश के स्थानांतरण और जून *2014* में न्यायाधीश लोया की नियुक्ति का इस बात पर कोई असर नहीं है कि क्या *1* दिसंबर *2014* को न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। *[* पैरा *59] [84-*सी-ई*]*

1.12 याचिकाकर्ताओं ने आरोपों पर भरोसा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, श्री जस्टिस 'एमएस' को जज लोया के पिता और बहन ने बनाया था। पिता और बहन द्वारा कारवां को दिए गए एक साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग न्यायाधीश लोया को भी पेन ड्राइव पर अदालत को सौंप दिया गया। जज लोया के परिवार के सदस्य अलग हो गए हैं।

स्वयं कारवां प्रकाशन में उनके लिए जिम्मेदार बयानों से। वीडियो रिकॉर्डिंग में एक के अंश शामिल हैं

साक्षात्कार। जाहिर है, साक्षात्कार का केवल एक हिस्सा दिया गया है उत्पादित किया। बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोप सुनी सुनाई बातें हैं। *[* पैरा *60] [84-*ई-जी*]*

प्रतिपरीक्षा के लिए आवेदन

2. उच्चतम न्यायालय नियम, *2013* का आदेश *IX* शपथपत्रों से संबंधित है। नियम *1* अदालत को तथ्यों को साबित करने की अनुमति देने का अधिकार देता है।

भारत का संघ और ए. एन. आर.

पर्याप्त कारण के लिए शपथ पत्र पर। तथापि, यदि न्यायालय का विचार है कि प्रतिपरीक्षा के लिए एक गवाह को पेश करना एक पक्ष द्वारा प्रामाणिक रूप से वांछित किया गया है और ऐसे गवाह को पेश किया जा सकता है, तो गवाह के साक्ष्य को शपथ पत्र द्वारा देने के लिए अधिकृत करने वाला आदेश नहीं दिया जाएगा। नियम *2* के तहत, अदालत में क्रॉस के लिए उपस्थिति का आदेश देने का विवेकाधिकार निहित है शपथ-पत्र के प्रतिनिधि की परीक्षा। आदेश *IX* के तहत, अदालत में एक विवेकाधिकार निहित है कि वह एक व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा की अनुमति दे जिसने एक हलफनामा दायर किया है। इस अदालत के समक्ष कार्यवाही का एक पक्ष-विशेष रूप से अनुच्छेद *32* के तहत एक कार्यवाही-एक व्यक्ति को पेश करने की मांग नहीं कर सकता है, जिसने एक हलफनामा दायर किया है, प्रतिपरीक्षा के लिए। जिरह की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, यह अदालत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना होगा

न्याय के हितों के लिए। याचिकाकर्ताओं ने जनहित में दायर एक याचिका में इस अदालत का रुख किया है। उनकी स्थिति एक रिलेटर की है जो अदालत द्वारा अनिवार्य जांच की मांग करने के उद्देश्य से अदालत के ध्यान में शिकायत लाना चाहता है। कोई नहीं।

जिन व्यक्तियों से जिरह की मांग की गई है, वे वर्तमान कार्यवाही में गवाह हैं। अदालत को अनिवार्य रूप से इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या याचिकाकर्ताओं *(*हस्तक्षेप करने वालों द्वारा समर्थित*)* की ओर से मौत की परिस्थितियों की जांच का निर्देश देने के लिए कोई मामला बनाया गया है।

जज लोया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, न्यायालय को यह निर्णय लेना है कि

क्या राज्य द्वारा की गई जाँच दूषित है और क्या ऐसी परिस्थितियाँ अदालत के ध्यान में लाई गई हैं जो न्यायाधीश लोया की मृत्यु तक की घटनाओं के बारे में उचित संदेह पैदा करती हैं। याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें डॉक्टरों और न्यायिक अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों की जांच

करने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायाधीश लोया के साथ आए न्यायिक अधिकारियों पर निराधार आरोप लगाकर याचिकाकर्ताओं ने वास्तविक स्थिति का खुलासा किया है।

इन कार्यवाहियों का उद्देश्य अपमानजनक आरोपों के आधार पर न्यायपालिका को बदनाम करना है। जिरह के अनुरोध की अनुमति देने का कोई आधार या औचित्य नहीं है। तदनुसार आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। *[*पारस *63] [86-*बी, ई जी*; 88-*सी-एफ*]*

जनहित याचिका केंद्र द्वारा हस्तक्षेप

3. रिकॉर्ड से तथ्य सामने आए हैं जो *[2018] 9* एस. सी. आर. का संकेत देते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि इन सुनवाई के दौरान सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से इस पर संदेह करने के लिए सबूत बनाने के लिए सावधानीपूर्वक सुनियोजित प्रयास किया गया है

न्यायाधीश लोया की मृत्यु की परिस्थितियाँ। इस न्यायालय के समक्ष अपने व्यवहार में, वकीलों से न्याय की सहायता में निष्पक्षता की भावना के साथ न्यायालय की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। एक संकलन दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *482* के तहत पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा संयुक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन और जे. एम. एफ. सी., नागपुर की फाइल पर लंबित आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए एक कार्यवाही शुरू की गई थी। कार्यवाही में चौथा याचिकाकर्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। यह मामला एक घटना से संबंधित है जो *7* जून *1991* को नागपुर में कुछ निर्माण को हटाने के कारण हुई थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि

हालांकि यह घटना *1991* की थी, लेकिन उस मामले में ज्यादा प्रगति नहीं हुई और समय बीतने के साथ, नागपुर के निवासी पक्षों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया। इलाके। तदनुसार आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया। बल्कि इस बात पर आश्चर्य होता है कि जिस तरह से उक्त आदेश को प्रस्तुत करके एक आक्षेप किया गया था, जिसे पूरी तरह से असंबंधित कार्यवाही में पारित किया गया था। यह आक्षेप नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ एक आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए था जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री शामिल थे। ऊँचा।

अदालत ने कार्यवाही को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया और कहा कि विवाद स्वाभाविक रूप से निजी प्रकृति का था जिसमें सार्वजनिक कानून का कोई तत्व शामिल नहीं था। याचिकाकर्ताओं का प्रयास पूर्वाग्रह पैदा करना और न्यायाधीशों, विशेष रूप से न्यायमूर्ति 'बी. आर. जी.' की गरिमा को धूमिल करना है। यह वर्तमान मामले की सुनवाई के दौरान एक और उदाहरण है जहां अदालत के समक्ष जांच के विषय से बाहर के मामले पर किसी तरह से मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए भरोसा करने की मांग की गई थी। न्यायिक क्षमता में लिए गए एक निर्णय के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर पूरी तरह से निराधार आरोप लगाए गए थे। यह अदालत को बदनाम करने और न्याय के मार्ग में बाधा डालने का एक गंभीर प्रयास है। *[*पारस

68-70] [98 - डी-ई, जी-एच*; 99-*ए-सी, जी*; 100-*ए-ई*]*

जनहित याचिका

4.1 जनहित याचिका एक शक्तिशाली मुकदमे के रूप में विकसित हुई है

हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित लोगों के कारण का समर्थन करने का उपकरण।

तहसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर.

वास्तव में, यही वह आधार था जिसके आधार पर जनहित क्षेत्राधिकार को न्यायिक रूप से मान्यता दी गई थी। जो लोग अपनी गरीबी, अज्ञानता या निरक्षरता के कारण न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ थे, उन्हें मौलिक मानवाधिकारों से वंचित होना पड़ता है। बंधुआ श्रम और परीक्षण के तहत *(*अन्य के बीच*)* उस श्रेणी से संबंधित हैं। जनहित याचिका की विशेषता यह है कि एक नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की शिकायत को उजागर करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है जो अपने अधिकारों का पीछा करने में असमर्थ हैं। खड़े होने के नियमों में ढील देकर जनहित याचिका पर विचार किया गया है। प्रक्रिया का आवश्यक पहलू यह है कि अदालत में जाने वाले व्यक्ति का अदालत के समक्ष एक नागरिक के रूप में सामान्य स्थिति के अलावा कार्यवाही के परिणाम में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। यह उन लोगों की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है जो अदालत के समक्ष शिकायत का पीछा करते हैं। पर्यावरण न्यायशास्त्र जनहित याचिकाओं के आधार के आसपास विकसित हुआ है। पर्यावरणीय चिंताएँ वर्तमान पीढ़ी और भविष्य को प्रभावित करती हैं। प्रदूषक भुगतान और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत जैसे सिद्धांत जनता के निर्णय के दौरान विकसित हुए हैं।

ब्याज याचिकाएँ। समय के साथ, जनहित याचिका कानून के शासन को संरक्षित करने और व्यवस्थाओं के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन बन गई है।

समय और ध्यान जो अदालतों को वास्तविक कारणों के लिए समर्पित करना चाहिए। इस अदालत के पास लंबित मामलों की एक लंबी सूची है जिसमें नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है। जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं या दोषसिद्धि के आदेशों के विरुद्ध अपील के समाधान में *[2018] 9* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शीघ्र न्याय की वैध अपेक्षा। यह कानूनी प्रणाली के संसाधनों के लिए न्याय का उपहास है जिसका उपयोग सार्वजनिक हित में कथित रूप से दायर गलत याचिकाओं के हिमस्खलन द्वारा किया जाता है, जो उचित जांच पर, एक व्यक्तिगत, व्यावसायिक या राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए पाए जाते हैं। इसने एक उद्योग को जन्म दिया है

मुकदमेबाजी में निहित स्वार्थ। एक गंभीर खतरा है कि यदि इस स्थिति को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह उन मामलों में अपना समय और संसाधन समर्पित करने की अदालत की क्षमता को कम करके न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से कम कर देगा। वैध रूप से ध्यान देने की

आवश्यकता है। इससे भी बदतर, ऐसी याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इसमें अन्य संस्थानों की विश्वसनीयता को खतरे में डालने की प्रवृत्ति है

और लोकतंत्र और कानून के शासन में जनता के विश्वास को कम करना। यह तब होगा जब न्यायालय की एजेंसी का उपयोग अतिरिक्त न्यायिक मामलों को निपटाने के लिए किया जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार में व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का समाधान करना होगा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता

लोकतंत्र के महान हॉल में हल किया जाना चाहिए जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों को कार्यालय के अंदर और बाहर वोट देते हैं। अदालतें कानूनी अधिकारों और हकदारी के बारे में विवादों को हल करती हैं। अदालतें कानून के शासन की रक्षा करती हैं। एक खतरा है कि न्यायिक प्रक्रिया

यदि कानूनी सीमा से परे विवाद होते हैं, तो इसे एक छल में बदल दिया जाएगा। मापदंड न्यायिक स्थान पर कब्जा करते हैं। *[* पारस *71-73] [100-E-H; 101-A-D; G-H; 102-A-E]*

4.2 वर्तमान मामला वास्तव में एक उदाहरण है। बार-बार याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों ने अदालत को सूचित करने का प्रयास किया है

कि उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है और उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन कार्यवाहियों को शुरू किया है। न्यायाधीश लोया की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों की जांच की मांग करने का वास्तविक उद्देश्य जिला न्यायपालिका की रक्षा करना है, यह कहते हुए सद्भावना की एक आभा पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसे-जैसे प्रस्तुतियाँ विकसित हुई हैं, यह स्पष्ट हो गया है कि याचिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करने और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का एक परोक्ष प्रयास है। न्यायिक समीक्षा एक शक्तिशाली हथियार है

कानून के शासन को बनाए रखें। हालाँकि, यहाँ भद्दे आरोपों की बाढ़ आ गई है। इस बात के किसी भी प्रमाण के अभाव में कि वे हत्या के साजिशकर्ता हैं, न्यायालय को न्यायिक अधिकारियों के बयानों पर कायम रहना चाहिए। जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों को अपनी स्वतंत्रता पर अनावश्यक हमलों का सामना करना पड़ता है।

सुप्रीम तहसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर.

यदि न्यायालय उनके साथ खड़ा नहीं होता तो वह अपने कर्तव्य में विफल होता। प्रशासनिक समिति पर आरोप लगाए गए हैं

बॉम्बे उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से संबंधित समय पर समिति के न्यायाधीशों को अवमानना का नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। यहां तक कि वर्तमान कार्यवाही की सुनवाई करने वाली इस पीठ के न्यायाधीश भी न्यायपालिका पर इस अपमानजनक हमले से नहीं बचे। एक न्यायाधीश को किसी मामले की सुनवाई करनी चाहिए या नहीं, यह निर्णय न्यायाधीश के लिए विवेक का विषय है। इससे अलग होने का कोई आधार या आधार नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने सहयोगियों के आदेशों के खिलाफ अंतर-न्यायालय अपीलों को सुनते हैं। जब विचारों में अंतर होता है तो बड़ी पीठों का उल्लेख किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न अपीलों को सुनते हैं जिनमें उन्होंने न्यायाधीशों के रूप में या मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों पर कार्य किया था।

न्यायाधीशों के बीच या उनके प्रति संस्थागत सभ्यताओं को बनाए रखना न्यायाधीश की अत्यधिक स्वतंत्र भूमिका से अलग है।

न्यायनिर्णायक। सुविचारित मानदंडों पर, जो इस क्षेत्र को धारण करते हैं, वर्तमान पीठ के किसी भी सदस्य के लिए सुनवाई से अलग होने का कोई कारण नहीं है। हालांकि इस तरह के बेतुके हमलों का सामना करने वाले न्यायाधीश के लिए किसी मामले से पीछे हटना आसान है, लेकिन ऐसा करना कर्तव्य का त्याग करने के बराबर होगा। उच्च मूल्य हैं जो न्यायाधीशों के हमारे आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। बंबई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की विश्वसनीयता पर गंभीर हमले किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों का आचरण निंदनीय है न्यायालय की प्रक्रिया और प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का गठन करती है। हालाँकि, मामले के एक निष्पक्ष दृष्टिकोण पर, आपराधिक अवमानना के माध्यम से कार्यवाही शुरू नहीं करने के लिए चुना जाता है यदि केवल यह धारणा नहीं दी जाती है कि वादियों और उनकी ओर से पेश होने वाले वकीलों के साथ एक असमान लड़ाई हुई है।

कानून का अधिकार। उम्मीद की जा सकती है कि बार ऑफ द नेशन न्यायपालिका पर इस तरह के प्रयासों का सामना करने के लिए लचीला है। न्यायपालिका को अपने कर्तव्य का पालन करना जारी रखना चाहिए, भले ही यह कुछ लोगों के लिए रुचिकर न हो। न्यायिक प्रक्रिया की ताकत अवमानना के दंडात्मक कानून के डर में नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता

यह अपने नैतिक अधिकार पर आधारित है। यह उस दृढ़ विश्वास के साथ है कि अवमानना के अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं किया गया है। *[* पारस *74-76] [102* ई-एच*; 103*-ए-सी, ई-एच*; 104*-ए-डी*] [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निष्कर्ष

5. उपरोक्त कारणों से, रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है। न्यायालय के पास चार न्यायिक अधिकारियों के स्पष्ट और सुसंगत बयानों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अभिलेख पर दस्तावेजी सामग्री इंगित करती है कि न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। अदालत के लिए यह मानने का कोई आधार नहीं है कि मृत्यु के कारण या परिस्थितियों के बारे में उचित संदेह था जो आगे की जांच के योग्य होगा। याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों के आचरण में कमी है ईमानदारी से और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को प्रकट करता है। *[* पारस *77,*

78] [104 - डी-जी*]*

2018 का हस्तांतरित मामला *(*आपराधिक*)* सं*. 2:*
6. इस हस्तांतरित मामले की सुनवाई साथ में की गई थी

2018 का मामलों का समूह *(*डब्ल्यू. पी. *(*सी*)* संख्या *19,* डब्ल्यू. पी. *(*सी*)* संख्या

न्यायाधीश लोया की मृत्यु*),* वर्तमान मामले को बॉम्बे में उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ को वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायाधीश लोया की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियां,

जिन पर उच्चतम न्यायालय ने आज दिए गए फैसले में विचार किया है, समाप्त हो गई हैं और उच्च न्यायालय याचिका/मामले में उठाए गए अन्य मुद्दों से निपटने के लिए स्वतंत्र होगा। *[पैरा 81] [105-ए-डी]*

पेद्दा नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य *(1975)*

4 एस. सी. सी. *153 [1975]* पूरक। एससीआर *84;* अमर

सिंह बनाम। बलविंदर सिंह *(2003) 2* एससीसी *518: [2003] 1* एस. सी. आर. *754;* राधा मोहन सिंह उर्फ लाल साहब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। *(2006) 2* एस. सी. सी. *450 [2006] 1* एस. सी. आर. *519;* मधु उर्फ मधुरनाथ बनाम कर्नाटक राज्य *(2014) 12* एस. सी. सी. *419: [2013] 12* एससीआर *947;* मनोज कुमार शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य *(2016) 9* एससीसी *1: [2016] 7* एससीआर *154;* बिमला देवी बनाम राजेश सिंह *(2016) 15* एससीसी *448: [2015] 10* एससीआर *1087;* योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह *(2017) 11* एससीसी *195: [2016] 7* एस. सी. आर. *713;* बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ *(1984) 3* एस. सी. सी. *161: [1984] 2* एस. सी. आर. *67;* उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल *(2010) 3* एस. सी. सी. *402: [2010] 1* एससीआर *678*-पर निर्भर।

तहसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और

दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली बनाम गुजरात राज्य *(1991) 4* एससीसी *406: [1991] 3*

एस. सी. आर. *936;* रुबाबुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य *(2010) 2* एस. सी. सी. *200 [2010] 1* एस. सी. आर. *991;* नर्मदा बाई बनाम

गुजरात राज्य *(2011) 5* एससीसी *79: [2011] 5* एससीआर *729;*

केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अमितभाई अनिल

चंद्र शाह *(2012) 10* एससीसी *545: [2012] 8* एससीआर *945 ;* रवींद्र पाल सिंह बनाम। संतोष कुमार जयसवाल

(2011) 4 एस. सी. सी. *746;* के. कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य

[1959] पूरक *2* एस. सी. आर. *316;* हरियाणा राज्य बनाम भजन

लाल *(1992)* पूरक *(1)* एस. सी. सी. *335: [1990] 3* पूरक। एससीआर *259 ;* अशोक कुमार तोडी बनाम किश्वर जहां *(2011) 3* एससीसी

758 [2011] 3 एससीआर *597;* ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम

गुजरात राज्य *(2006) 3* एससीसी *374 [2006] 2* एससीआर

1081 ; विनीत नारायण बनाम भारत संघ *(1996) 2* एससीसी *199 [1996] 1* एस. सी. आर. *1053;* महेंद्र राय बनाम। मिथीलेश

राय *(1997) 10* एससीसी *605;* सुरेश राय बनाम बिहार राज्य

एयर *2000* एससी *2207: [2000] 2* एससीआर *796;* शुक्ला खादर

बनाम नौशेर गामा *(1975) 4* एस. सी. सी. *122;* खुज्जी @सुरेंद्र

तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य *(1991) 3* एससीसी *627:*

[1991] 3 एस. सी. आर. *1;* सी. एस. रवजीव स्टेट ऑफ ए. पी. *[1964] 6* एस. सी. आर.

एससीआर *654;* नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य *(2014) 6*
एस. सी. सी. *466* संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1991] 3 एससीआर *936*

पैरा *11*

संदर्भित किया गया है

[2010] 1 एससीआर *991*

पैरा *11*

संदर्भित किया गया है

[2011] 5 एससीआर *729*

संदर्भित किया गया है

पैरा *11*

(2011) 4 एस. सी. सी. *746*

संदर्भित किया गया है

पैरा *11*

[1959] सप. *2* एससीआर *316*

संदर्भित किया गया है

पैरा *15*

[1990] 3 पूरक। एससीआर *259*

संदर्भित किया गया है

पैरा *16*

[2011] 3 एससीआर *597*

पैरा *16*

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 एससीआर *1081*

संदर्भित किया गया है

पैरा *16*

[1996] 1 एससीआर *1053*

पैरा *16*

संदर्भित किया गया है

[2012] 8 एससीआर *945*

पैरा *16*

[2018] 9 एस. सी. को संदर्भित

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1997) 10 एस. सी. सी. *605*

पैरा *29*

संदर्भित किया गया है

[2000] 2 एससीआर *796*

पैरा *29*

संदर्भित किया गया है

(1975) 4 एससीसी *122*

संदर्भित किया गया है

पैरा *29*

[1975] पूरक। एससीआर *84*

उस पर भरोसा करें

पैरा *30*

[1991] 3 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

[2003] 1 एससीआर *754*

उस पर भरोसा करें

पैरा *30*

[2006] 1 एससीआर *519*

उस पर भरोसा करें

पैरा *30*

[2013] 12 एससीआर *947*

उस पर भरोसा करें

पैरा *30*

[2016] 7 एससीआर *154*

उस पर भरोसा करें

पैरा *30*

[2015] 10 एससीआर *1087*

उस पर भरोसा करें

पैरा *30*

[2016] 7 एससीआर *713*

उस पर भरोसा करें

पैरा *30*

[1964] 6 एससीआर *331*

संदर्भित किया गया है

पैरा *63*

[1997] 1 एससीआर *654*

संदर्भित किया गया है

पैरा *63*

(2014) 6 एस. सी. सी. *466*

संदर्भित किया गया है

पैरा *69*

[1984] 2 एससीआर *67*

उस पर भरोसा करें

पैरा *71*

उस पर भरोसा करें

[2010] 1 एससीआर *678*

पैरा *72*

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका *(*सिविल*)*

19 2018 का

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत

के साथ

डब्ल्यू. पी. *(*सी*)* नं. *2018* का *20* और *2018* का डब्ल्यू. पी. *(*सी*) No.73*

टी. सी. *(*सीआरएल.*)*। नंबर *1* और टी. सी. *(*सीआरएल.*)*। *2018* का नंबर *2*।

मुकुल रोहतगी, पी. वी. सुरेंद्रनाथ, सुश्री इंदिरा जयसिंह, सीनियर एड।

वरिंदर कुमार शर्मा, सुश्री सुमन रानी, सुश्री आशिमा मंडला, दीपाली द्विवेदी, सुश्री मंदाकिनी सिंह, जतिन सहगल, सुश्री देवना एस मोहम्मद। शाहिद हुसैन, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सुश्री अनीता शेनॉय, प्राल कुमार सिंह, आमिर नबी, सुश्री प्रियंका ग्लैडसन, डॉ. गुनरतन सदवा रंजीत कुमार शर्मा, रंजीत कुमार शर्मा, निशांत आर. कटनेश्वर सुश्री रेस्मिथा आर. चंद्रन, सुश्री लेखा सुधाकरन, फुजैल आह। अयुब्बी, सनप्रीत सिंह अजमानी, कुलदिप राय, अनुभव, अजय शार तहसीन पूनावाला बनाम।

भारत का संघ और ए. एन. आर.

अजीत शर्मा, प्रशांत भूषण, सुश्री चेरिल डिसूजा, ओ. कुट्टन, सुश्री अमी शुक्ला, सुश्री आस्था शान, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. ए द कॉन्टेक्स्ट

1. इस अदालत के समक्ष याचिकाओं के समूह में याचिकाकर्ता बृजगोपाल हरिकिशन की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच की मांग करते हैं लोया। वे महाराष्ट्र राज्य में न्यायिक अधिकारी थे।

वह एक जिला न्यायाधीश थे और *1* दिसंबर *2014* को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर लेख *20* और *21* नवंबर *2017* को कारवां पत्रिका के अंकों में प्रकाशित हुए थे। पहले लेख का शीर्षक था "एक परिवार अपनी खामोशी तोड़ता हैः सोहराबुद्दीन मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश की मृत्यु में चौंकाने वाले विवरण सामने आते हैं।

2. चूँकि याचिकाएँ कारवां में प्रकाशित दो लेखों पर आधारित हैं, इसलिए इस निर्णय में उन्हें निकालना आवश्यक होगाः

(i) 20 नवंबर *2017* का कारवां लेखः

" 1 दिसंबर *2014* की सुबह, *48* वर्षीय न्यायाधीश बृजगोपाल हरकिशन लोया का परिवार, जो अदालत की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुंबई में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत,

देश में सबसे हाई-प्रोफाइल मामले, जिसमें *2005* में सोहराबुद्दीन शेख की कथित रूप से सुनियोजित मुठभेड़ हत्या शामिल है। इस मामले में मुख्य आरोपी अमित शाह थे-सोहराबुद्दीन की हत्या के समय गुजरात के गृह राज्य मंत्री और लोया की मृत्यु के समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मीडिया ने बताया कि न्यायाधीश की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।
लोया के परिवार ने उनकी मृत्यु के बाद मीडिया से बात नहीं की। लेकिन इसमें

नवंबर *2016*, लोया की भतीजी, नूपुर बालाप्रसाद बियानी,

जब मैं पुणे जा रहा था तब मुझसे यह कहने के लिए संपर्क किया कि उन्हें अपने चाचा की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में चिंता है। इसके बाद, नवंबर *2016* और *2016* के बीच कई बैठकों में

नवंबर *2017* में, मैंने उनकी माँ, अनुराधा बियानी, जो लोया की बहन और सरकारी सेवा में एक मेडिकल डॉक्टर हैं, लोया की एक और बहन, सरिता मंधाने और लोया के पिता, हरकिशन से बात की।

मैंने नागपुर में सरकारी कर्मचारियों का भी पता लगाया और उनसे बात की, जिन्होंने न्यायाधीश की मृत्यु के बाद उनके शव के संबंध में पोस्टमॉर्टम सहित अपनाई गई प्रक्रियाओं को देखा। इन विवरणों से लोया की मृत्यु के बारे में बहुत परेशान करने वाले सवाल सामने आएः मृत्यु के कथित विवरण में विसंगतियों के बारे में प्रश्न; उनकी मृत्यु के बाद अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में; और न्यायाधीश के शरीर की स्थिति के बारे में

जब इसे परिवार को सौंपा गया था। हालांकि परिवार ने लोया की मौत की जांच के लिए एक जांच आयोग की मांग की, लेकिन किसी का गठन नहीं किया गया।

30 नवंबर *2014* को रात *11* बजे नागपुर से लोया ने अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके अपनी पत्नी शर्मिला को फोन किया। लगभग *40* मिनट तक, उन्होंने उसे दिन भर के अपने व्यस्त कार्यक्रम के बारे में बताया। लोया नागपुर में एक साथी न्यायाधीश सपना जोशी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आई थीं। शुरू में उनका जाने का इरादा नहीं था, लेकिन उनके दो साथी न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा था कि वह उनके साथ जाएं। लोया ने अपनी पत्नी को बताया कि वह शादी में शामिल हुए थे और बाद में एक रिसेप्शन में शामिल हुए। उन्होंने अपने बेटे अनुज के बारे में भी पूछताछ की। उन्होंने कहा कि वह नागपुर के सिविल लाइंस इलाके में वी. आई. पी. के लिए एक सरकारी अतिथि गृह रवि भवन में उन न्यायाधीशों के साथ रह रहे थे, जिनके साथ वे नागपुर गए थे।

"मुंबई में उनकी पत्नी, मैं लातूर शहर में और धुले, जलगांव और औरंगाबाद में मेरी बेटियों को फोन आए, "*1* दिसंबर *2014* की सुबह, न्यायाधीश के पिता हरकिशन लोया ने मुझे बताया कि जब हम पहली बार नवंबर *2016* में लातूर शहर के पास उनके पैतृक गांव गेटेगांव में मिले थे। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचित किया गया कि "बृज का रात में निधन हो गया, उनका पोस्टमार्टम समाप्त हो गया है और उनके पार्थिव शरीर को लातूर जिले के गेटेगांव में हमारे पैतृक घर भेज दिया गया है।" मुझे ऐसा लगा जैसे भूकंप ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया हो। " परिवार को बताया गया कि लोया का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। " हमें बताया गया कि उन्हें सीने में दर्द हो रहा है और इसलिए उन्हें ऑटो रिक्शा से नागपुर के एक निजी अस्पताल दांडे अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दवाएं दी गईं। लोया की बहन बियानी ने दांडे अस्पताल को "एक अस्पष्ट स्थान" के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्हें "बाद में पता चला कि ईसीजी"-इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इकाई सीन पूनावाला बनाम।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

सुविधा में-"काम नहीं कर रहा था"। बाद में, हरकिशन ने कहा, लोया को "मेडिट्रिना अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था"-शहर के एक अन्य निजी अस्पताल "जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था।" सोहराबुद्दीन मामला एकमात्र ऐसा मामला था जिसकी सुनवाई लोया अपनी मृत्यु के समय कर रहे थे और यह उस समय देश में चल रहे सबसे सावधानीपूर्वक देखे जाने वाले मामलों में से एक था। *2012* में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले की सुनवाई को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया जाए, यह कहते हुए कि "यह आश्वस्त था कि मुकदमे की अखंडता को बनाए रखने के लिए इसे बाहर स्थानांतरित करना आवश्यक है।

राज्य "। उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि मुकदमे की सुनवाई शुरू से अंत तक एक ही न्यायाधीश द्वारा की जाए। लेकिन, इस आदेश का उल्लंघन करते हुए, पहली बार मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश जे. टी. उत्पत को *2014* के मध्य में सी. बी. आई. की विशेष अदालत से स्थानांतरित कर दिया गया और उनकी जगह लोया को नियुक्त किया गया।

6 जून *2014* को उत्पत ने अदालत में पेश होने से छूट मांगने के लिए अमित शाह को फटकार लगाई थी। शाह के उपस्थित होने में विफल रहने के बाद

अगली तारीख *20* जून को उत्पत ने सुनवाई के लिए *26* जून की तारीख तय की। न्यायाधीश का स्थानांतरण *25* जून को किया गया था। *31* अक्टूबर *2014* को, लोया, जिन्होंने शाह को छूट दी थी, ने पूछा कि शाह उस तारीख को मुंबई में होने के बावजूद अदालत में पेश होने में क्यों विफल रहे। उन्होंने सेट किया।

सुनवाई की अगली तारीख *15* दिसंबर है।

1 दिसंबर को लोया की मृत्यु की सूचना अगले दिन केवल कुछ नियमित समाचार लेखों में दी गई थी, और इसने मीडिया का ध्यान आकर्षित नहीं किया। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट करते हुए कि लोया ने

"उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई ", उनके करीबी सूत्रों ने कहा कि लोया का अच्छा मेडिकल इतिहास था।" मीडिया का ध्यान *3* दिसंबर को कुछ समय के लिए बढ़ा, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जहां शीतकालीन सत्र था।

लोया की मौत की जांच की मांग के लिए काम चल रहा था। अगले दिन, सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने लोया की मृत्यु पर अपना सदमा व्यक्त करते हुए सीबीआई को एक पत्र लिखा।

सांसदों के विरोध या रुबाबुद्दीन के पत्र से कुछ नहीं निकला। नहीं। लोया की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों पर अनुवर्ती कहानियां सामने आईं।

लोया के परिवार के सदस्यों के साथ कई बार बातचीत करते हुए, मैंने सोहराबुद्दीन मुकदमे की अध्यक्षता करते हुए लोया पर जो कुछ हुआ *(2018)* और एस. सी. आर. के बारे में एक दिल दहला देने वाला विवरण दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनकी मृत्यु के बाद। बियानी ने मुझे एक डायरी की प्रतियां भी दीं जो उसने कहा कि वह नियमित रूप से रखती है, जिसमें उसके भाई की मृत्यु से पहले और बाद के दिनों की प्रविष्टियां शामिल थीं। इनमें, उन्होंने घटना के कई पहलुओं को नोट किया जो उन्हें परेशान करते थे। मैं भी पहुँच गया।

लोया की पत्नी और बेटे से, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए बात करने से इनकार कर दिया कि उन्हें अपनी जान का डर है।

बियानी, जो धुले में रहती है, ने मुझे बताया कि उसे *1* दिसंबर *2014* की सुबह बारदे नाम के किसी न्यायाधीश का फोन आया, जिसने उसे लातुर से लगभग *30* किलोमीटर दूर गेटेगांव जाने के लिए कहा, जहाँ लोया का शव भेजा गया था। उसी फोन करने वाले ने बियानी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सूचित किया कि

शव का पोस्टमार्टम किया गया था और मौत का कारण दिल का दौरा पड़ा था।

लोया के पिता आम तौर पर गेटेगांव में रहते हैं, लेकिन उस समय वे अपनी एक बेटी के घर लातूर में थे। उन्हें भी एक फोन आया, जिसमें कहा गया कि उनके बेटे के पार्थिव शरीर को गेटेगांव ले जाया जाएगा। एक आर. एस. एस. कार्यकर्ता ईश्वर बहेती ने पिता को सूचित किया था कि वह शव को गेटेगांव पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे ", बियानी ने मुझे बताया। किसी को नहीं पता कि क्यों, कैसे और कब उन्हें बृज लोया की मृत्यु के बारे में पता चला। लोया की बहनों में से एक सरिता मंधाने, जो औरंगाबाद में एक ट्यूशन सेंटर चलाती हैं और उस समय लातूर जा रही थीं, ने मुझे बताया कि उन्हें सुबह लगभग *5* बजे बारदे का फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि लोया की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा कि बृज का नागपुर में निधन हो गया है।

और हमें नागपुर जाने के लिए कहा। वह अपने भतीजे को लातुर के एक अस्पताल से लेने के लिए निकली, जहाँ वह पहले गया था।

स्वीकार किया, लेकिन "जैसे ही हम अस्पताल से निकल रहे थे, यह व्यक्ति,

नागपुर में, और जोर देकर कहा कि नागपुर जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि शव को वहां से गेटगांव भेजा जा रहा था। एम्बुलेंस "। वह हमें यह कहते हुए अपने घर ले गया कि वह हर चीज का समन्वय करेगा। *(* मैंने बहेती को जो सवाल भेजे थे, वे उस समय भी अनुत्तरित थे जब यह कहानी प्रकाशित हुई थी।*)*

बियानी के गेटेगांव पहुँचने तक रात हो चुकी थी-तब तक अन्य बहनें पहले से ही पैतृक घर में थीं।

शरीर सीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

बियानी की डायरी में एक प्रविष्टि के अनुसार, बियानी के आने के बाद लगभग *11.30* बजे डिलीवरी की गई थी। परिवार को आश्चर्य हुआ कि लोया का कोई भी सहकर्मी उनके पार्थिव शरीर के साथ नागपुर से यात्रा पर नहीं गया था। शव के साथ एकमात्र व्यक्ति एम्बुलेंस चालक था। बियानी ने कहा, "यह चौंकाने वाला था। " जिन दो न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा था कि वह शादी के लिए नागपुर जाएँ, वे उनके साथ नहीं थे।

पोस्टमॉर्टम, उसके साथ नहीं था। यह सवाल मुझे परेशान करता हैः उनके पार्थिव शरीर के साथ कोई क्यों नहीं था? उसकी डायरी की प्रविष्टियों में से एक में लिखा है, "वह सीबीआई अदालत के न्यायाधीश थे, उनके पास सुरक्षा होनी चाहिए थी और वह उचित रूप से साथ होने के हकदार थे।"

लोया की पत्नी शर्मिला और उनकी बेटी और बेटे अपूर्वा और अनुज ने कुछ न्यायाधीशों के साथ मुंबई से गेटेगांव की यात्रा की। उनमें से एक "अनुज और अन्य लोगों को लगातार कह रहा था कि

किसी से भी बात करें ", बियानी ने मुझसे कहा। अनुज निश्चित रूप से दुखी और डरा हुआ था, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा और अपनी माँ का समर्थन करता रहा।

बियानी ने बताया कि जब उन्होंने शव को देखा तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। शर्ट के पीछे गर्दन पर खून के धब्बे थे। उन्होंने कहा कि उनके "चश्मे गर्दन के नीचे थे"। मंधाने ने मुझे बताया कि लोया का चश्मा

"उनके शरीर के नीचे फँसे हुए थे।"

बियानी द्वारा उस समय की एक डायरी प्रविष्टि में लिखा था, "उनके कॉलर पर खून था। उनकी बेल्ट विपरीत दिशा में मुड़ गई थी और पैंट की क्लिप टूट गई थी। यहाँ तक कि मेरे चाचा को भी लगता है कि यह संदिग्ध है।

हरकिशन ने मुझे बताया, "कपड़ों पर खून के धब्बे थे।" मंधाने ने कहा कि उन्होंने भी "गर्दन पर खून" देखा। उसने कहा कि "उसके सिर पर खून और चोट थी. पीछे की ओर", और "उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे"। हरकिशन ने कहा, "उनकी शर्ट पर उनके बाएं कंधे से लेकर कमर तक खून था।"

लेकिन नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा जारी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में, एक श्रेणी के तहत वर्णित किया गया हैः "कपड़ों की स्थिति-चाहे वह पानी से गीली हो, खून से सना हो या उल्टी या मल पदार्थ से मैला हो ", एक हस्तलिखित प्रविष्टि में लिखा है, बस, "सूखा "।

बियानी ने शरीर की स्थिति को संदिग्ध पाया क्योंकि, एक डॉक्टर के रूप में, "मुझे पता है कि पीएम के दौरान खून नहीं निकलता है"-पोस्ट *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हरकिशन ने कहा कि परिवार तनाव में था और डर गया था, लेकिन उसे लोया का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोया की मौत को माना जाता

इस तथ्य पर संदेह है कि एक पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया गया था, यह बताता है कि यह एक पंचनामा तैयार किया जाना चाहिए था, और एक चिकित्सकीय-कानूनी मामला दायर किया जाना चाहिए था। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, पुलिस विभाग से मृतक के सभी व्यक्तिगत सामानों को इकट्ठा करने और सील करने, उन सभी को एक पंचनामे में सूचीबद्ध करने और उन्हें परिवार को सौंपने की उम्मीद की जाती है, "पुणे के एक वरिष्ठ वकील असीम सरोदे ने मुझे बताया। बियानी ने कहा कि परिवार को पंचनामे की कोई प्रति नहीं दी गई थी।

हुआ। अगर हमें यह मिल जाता तो हमें इसके बारे में पता चल जाता। और एस. एम. एस. इस खबर के एक-दो दिन पहले ही एक संदेश आया था आया जिसने कहा, 'श्रीमान, इन लोगों से सुरक्षित रहें।' वह एस. एम. एस. फोन पर था। उसमें से सब कुछ हटा दिया गया था।

बियानी के पास लोया की मृत्यु की रात और अगली सुबह की घटनाओं के बारे में कई सवाल थे। उनमें से एक यह था कि कैसे और क्यों लोया को एक ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले जाया गया था, जबकि रवि भवन के पास का ऑटो स्टैंड लगभग दो है।

अन्य सवाल भी अनुत्तरित हैं। जब लोया को अस्पताल ले जाया गया तो परिवार को सूचित क्यों नहीं किया गया? वे क्यों थे? जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उन्हें सूचित नहीं किया गया? उन्हें पोस्टमॉर्टम की मंजूरी के लिए क्यों नहीं कहा गया, या सूचित नहीं किया गया कि प्रक्रिया को पूरा करने से पहले एक पोस्टमॉर्टम किया जाना था?

हू सीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

दिसंबर, और सैकड़ों अधिकारी आमतौर पर तैयारी के लिए विधानसभा सत्रों से पहले ही शहर में पहुंच जाते हैं। *30* नवंबर और *1* दिसंबर को रवि भवन में रहने वाले अन्य वी. आई. पी. कौन थे? वकील सरोदे ने कहा, "ये सभी बहुत ही वैध सवाल हैं।" दवाई की रिपोर्ट क्यों दी गई? दांडे अस्पताल में परिवार को नहीं दिया गया? क्या इन प्रश्नों के उत्तर किसी के लिए समस्याएँ पैदा करेंगे?

बियानी ने कहा कि इस तरह के सवाल अभी भी परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को परेशान करते हैं।

उन्होंने कहा कि इससे उनका भ्रम और बढ़ गया कि जिन न्यायाधीशों ने लोया की नागपुर यात्रा पर जोर दिया था, वे उनकी मृत्यु के बाद "डेढ़ महीने" तक परिवार से मिलने नहीं गए। तभी परिवार को लोया के अंतिम घंटों के बारे में पता चला। बियानी के अनुसार, दोनों लोगों ने परिवार को बताया कि लोया को सुबह लगभग *1* बजे सीने में दर्द हुआ, फिर वे उन्हें एक ऑटो रिक्शा में दांडे अस्पताल ले गए, और वहाँ, "वह खुद सीढ़ियाँ चढ़ गए और कुछ दवाएँ दी गईं। उन्हें मेडिट्रिना अस्पताल ले जाया गया जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

इसके बाद भी कई सवाल अनुत्तरित रह गए। " बियानी ने कहा, "हमने दांडे अस्पताल में किए गए उपचार का विवरण प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वहां के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कोई विवरण देने से इनकार कर दिया।

मैंने नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किए गए लोया के पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट देखी। दस्तावेज़ अपने आप में कई सवाल उठाता है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के हर पन्ने पर सदर पुलिस स्टेशन, नागपुर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं जिसने "मैयाताचाचुलत भाऊ" या "मैताचाचुलत भाऊ" वाक्यांश के साथ हस्ताक्षर किए हों।

मृतक का चचेरा भाई। यह बाद वाला व्यक्ति *[2018] 9* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माना जाता है कि शव को पोस्टमार्टम के बाद प्राप्त किया गया था

जाँच "। नागपुर में मेरा कोई भाई या चचेरा भाई नहीं है ", लोया के पिता ने कहा। " रिपोर्ट पर किसने हस्ताक्षर किए, यह एक और अनुत्तरित सवाल है। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि शव को मेडिट्रिना अस्पताल से सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया था।

सिताबर्दी पुलिस स्टेशन, नागपुर और यह कि इसे सिताबर्दी पुलिस स्टेशन के पंकज नाम के एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा लाया गया था, जिसका बैज नंबर *6238* है। यह नोट करता है कि शव को *1* दिसंबर *2014* को सुबह *10.50* पर लाया गया था, कि पोस्टमॉर्टम *10.55* पर शुरू हुआ था, और यह कि यह *11.55* पर समाप्त हो गया था।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस के अनुसार, "सुबह *4* बजे सीने में दर्द" का अनुभव करने के बाद लोया की *"1-12-14* को *06-15* बजे मृत्यु हो गई"। इसमें कहा गया है, "उन्हें पहले दांडे अस्पताल लाया गया और फिर मेडिट्रिना अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

शर्त "।

रिपोर्ट में उद्धृत मृत्यु का समय-सुबह *6.15* बजे-प्रकट होता है।

मेडिकल कॉलेज और सीताबर्दी पुलिस स्टेशन ने मुझे बताया कि उन्हें आधी रात तक लोया की मौत के बारे में सूचित कर दिया गया था, और व्यक्तिगत रूप से देखा था। रात के दौरान मृत शरीर। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम आधी रात के तुरंत बाद किया गया था। इन कॉलों के अलावा

परिवार को प्राप्त हुआ, सूत्रों के विवरण भी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के दावे के बारे में गंभीर सवाल उठाते हैं कि मृत्यु का समय सुबह *6.15* बजे था। मेडिकल कॉलेज का स्रोत, जो इस पद के लिए गोपनीय था

शव परीक्षण ने मुझे यह भी बताया कि उन्हें पता था कि वरिष्ठों की ओर से "शव को काटने के निर्देश दिए गए थे जैसे कि प्रधानमंत्री ने कर दिया था और इसे सिलवाया था।"

रिपोर्ट में मृत्यु के संभावित कारण के रूप में "कोरोनरी धमनी की अपर्याप्तता" का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध मुंबई-आधारित के अनुसार हृदय रोग विशेषज्ञ हसमुख रावत कहते हैं, "आमतौर पर वृद्धावस्था, पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह इस तरह की कोरोनरी धमनी की अपर्याप्तता के कारण हैं।"

बियानी चीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी उनके भाई पर लागू नहीं था। " बृज *48* साल के थे। " हमारे माता-पिता *85* और *80* वर्ष के हैं और स्वस्थ हैं और उनका कोई हृदय संबंधी इतिहास नहीं है। वह हमेशा एक टीटोटलर थे, वर्षों से दिन में दो घंटे टेबल टेनिस खेलते थे, उन्हें कोई मधुमेह या रक्तचाप नहीं था।

बियानी ने मुझे बताया कि उसे अपने भाई की मृत्यु के लिए आधिकारिक चिकित्सा स्पष्टीकरण पर विश्वास करना मुश्किल लगा। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, और बृज एसिडिटी या खांसी जैसी छोटी-मोटी शिकायतों के लिए भी मुझसे परामर्श करता था। उनका कोई हृदय संबंधी इतिहास नहीं था और हमारे परिवार में किसी को भी यह इतिहास नहीं था।

((ii) 21 नवंबर *2017* का कारवां लेखः

"मुंबई में सी. बी. आई. की विशेष अदालत की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश बृजगोपाल हरकिशन लोया का *30* नवंबर की रात से *1* दिसंबर *2014* की सुबह के बीच नागपुर की यात्रा के दौरान निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय, वह सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह थे। मीडिया ने उस समय खबर दी थी कि लोया का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। लेकिन नवंबर *2016* और नवंबर *2017* के बीच मेरी जांच ने परेशान करने वाले सवाल खड़े कर दिए।

लोया की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों के बारे में जिसमें उनके शरीर की स्थिति के बारे में सवाल शामिल हैं जब इसे सौंपा गया था

अपने परिवार को।

जिन लोगों से मैंने बात की, उनमें लोया की बहनों में से एक, अनुराधा बियानी, महाराष्ट्र के धुले में स्थित एक चिकित्सक थीं। बियानी ने मुझ पर एक विस्फोटक दावा कियाः उन्होंने कहा कि लोया ने उन्हें बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह ने उन्हें अनुकूल फैसले के बदले में *100* करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी। उसने कहा कि लोया ने अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले उसे यह बात बताई थी, जब परिवार दिवाली के लिए गेटेगांव में अपने पैतृक घर पर इकट्ठा हुआ था। लोया के पिता हरकिशन ने भी मुझे बताया कि उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि उनके पास पैसे और मुंबई में एक घर के बदले में एक अनुकूल निर्णय देने का प्रस्ताव है।

बृजगोपाल हरकिशन लोया को जून *2014* में विशेष सीबीआई अदालत में नियुक्त किया गया था, जब उनके पूर्ववर्ती जे. टी. उत्पत को छूट की मांग करने के लिए अमित शाह को फटकार लगाने के कुछ हफ्तों के भीतर स्थानांतरित कर दिया गया था।

अदालत में पेश होने से। फरवरी *2015 [2018] 9* एस. सी. आर. के अनुसार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आउटलुक की रिपोर्ट में कहा गया है, "उत्पत की अध्यक्षता में इस एक साल तक हुई सी. बी. आई. अदालत की सुनवाई के दौरान, या उसके बाद भी, अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि अमित शाह कभी भी एक बार भी पेश नहीं हुए थे, जिसमें आरोपमुक्त होने का अंतिम दिन भी शामिल था। शाह के वकील ने स्पष्ट रूप से मौखिक रूप से उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वे 'मधुमेह के रोगी हैं और इसलिए अधिक दोषपूर्ण स्थिति में जाने में असमर्थ हैं:' वह दिल्ली में व्यस्त है। "

आउटलुक की रिपोर्ट जारी रही: " *6* जून, *2014* को उत्पत ने शाह के वकील को अपनी नाराजगी से अवगत कराया था और अनुमति देते हुए कहा था कि

उस दिन के लिए छूट, *20* जून को शाह की उपस्थिति का आदेश दिया। लेकिन वह फिर नहीं आया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्पत ने शाह के वकील से कहा, 'हर बार आप बिना छूट के छूट मांग रहे हैं। कोई भी कारण दें "। " उत्पत ने कहा, "अगली सुनवाई *26* जून के लिए तय की गई है। लेकिन *25* तारीख को उन्हें पुणे स्थानांतरित कर दिया गया। यह सितंबर *2012* के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था, जिसमें कहा गया था कि सोहराबुद्दीन पर मुकदमा "शुरू से अंत तक एक ही अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए"।

लोया शुरू में शाह के अनुरोध के प्रति अच्छी तरह से तैयार दिखाई दिए थे कि उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए। जैसा कि आउटलुक ने उल्लेख किया, "उत्पत के उत्तराधिकारी लोया दयालु थे, प्रत्येक तिथि पर शाह की व्यक्तिगत उपस्थिति को माफ कर देते थे।" लेकिन यह स्पष्ट भोग केवल एक प्रक्रिया का विषय हो सकता है। आउटलुक की कहानी के अनुसार, "उल्लेखनीय रूप से, उनकी अंतिम टिप्पणियों में से एक में कहा गया था कि शाह को व्यक्तिगत से छूट दी जा रही थी।

'आरोप तय होने तक' की उपस्थिति। लोया ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया था

शाह के खिलाफ आरोप हटाने के बारे में सोचा, तब भी जब वे उनके प्रति कोमल प्रतीत होते थे। सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मिहिर देसाई के अनुसार-मामले में शिकायतकर्ता-लोया पूरे आरोप पत्र की जांच करने के लिए उत्सुक थे, जो *10,000* पृष्ठों से अधिक था, और सबूतों और गवाहों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए। यह मामला संवेदनशील और महत्वपूर्ण था, और यह एक न्यायाधीश के रूप में श्री लोया की प्रतिष्ठा बनाने और तय करने वाला था। " लेकिन दबाव निश्चित रूप से बढ़ रहा था। लोया की भतीजी नूपुर बालाप्रसाद बियानी, जो शहर में पढ़ाई करते हुए मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती थी, ने मुझे बताया कि उसने अपने चाचा को किस दबाव का सामना करते देखा था।

जब उन्होंने पूनावाला बनाम को देखा। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अदालत से आ रहा था, वह ऐसा था, 'बहुत तनाव है,

उसने कहा "। तनाव। यह बहुत बड़ा मामला है। इससे कैसे निपटा जाए। हर कोई इसमें शामिल है। नूपुर ने कहा कि यह "राजनीतिक" का सवाल है।

देसाई ने मुझसे कहा, "अदालत कक्ष हमेशा बेहद तनावपूर्ण हुआ करता था। बचाव पक्ष के वकील अमित शाह को सभी आरोपों से मुक्त करने पर जोर देते थे, जबकि हम सीबीआई द्वारा सबूत के रूप में प्रस्तुत किए गए कॉल की प्रतिलेख अंग्रेजी में प्रदान करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि न तो लोया और न ही शिकायतकर्ता टेप पर लिखी भाषा गुजराती समझते थे। देसाई ने कहा कि लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने बार-बार अंग्रेजी में प्रतिलेखों की मांगों को दरकिनार कर दिया और शाह की आरोपमुक्त करने की याचिका पर सुनवाई करने पर जोर दिया। देसाई ने कहा कि उनके कनिष्ठ वकील अक्सर अज्ञात, संदिग्ध लोगों को अदालत कक्ष के अंदर देखते हुए, शिकायतकर्ता के वकीलों को डराने-धमकाने वाले तरीके से फुसफुसाते और घूरते हुए देखते थे।

देसाई ने बताया कि *31* अक्टूबर को एक सुनवाई के दौरान, लोया ने पूछा कि शाह अनुपस्थित क्यों थे। उनके वकीलों ने बताया कि उन्हें खुद लोया ने पेशी से छूट दी थी। लोया ने टिप्पणी की कि छूट केवल तभी लागू होती है जब शाह राज्य में नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि उस दिन शाह महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए मुंबई में थे और वे केवल डेढ़ वर्ष के थे।

अदालत से किलोमीटर दूर। उन्होंने शाह के वकील को निर्देश दिया कि जब वह राज्य में हों तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें, और अगली सुनवाई *15* दिसंबर के लिए निर्धारित की।

वह जल्द से जल्द निर्णय जारी करे और यह सुनिश्चित करे कि यह एक सकारात्मक निर्णय है। बियानी के अनुसार, "मेरे भाई को एक अनुकूल निर्णय के बदले में *100* करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह ने स्वयं यह प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि मोहित शाह ने अपने भाई से कहा कि अगर "*30* दिसंबर से पहले फैसला सुनाया जाता है, तो यह बिल्कुल भी फोकस में नहीं होगा *[2018] 9* एस. सी. आर.

क्योंकि उसी समय, एक और विस्फोटक कहानी होने वाली थी जो यह सुनिश्चित करेगी कि लोग इस पर ध्यान न दें।

लोया के पिता हरकिशन ने भी मुझे बताया कि उनके बेटे ने उन्हें रिश्वत की पेशकश के बारे में बताया था। हां, उसे पैसे की पेशकश की गई थी ", हरकिशन ने कहा। क्या आपको मुंबई में घर चाहिए, आपको कितनी जमीन चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए, वह हमें यह बताते थे। यह एक प्रस्ताव था। लेकिन, उन्होंने कहा, उनके बेटे ने प्रस्तावों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं या एक

स्थानांतरण ", हरकिशन ने कहा। मैं अपने गाँव जाऊँगा और खेती करूँगा। "

मैंने मोहित शाह और अमित शाह से उनकी प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया।

परिवार के दावे। जिस समय यह कहानी प्रकाशित हुई थी, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अगर और जब वे जवाब देंगे तो कहानी को अपडेट किया जाएगा।

लोया की मृत्यु के बाद, एमबी गोसावी को सोहराबुद्दीन मामले में नियुक्त किया गया था। गोसावी ने *15* दिसंबर *2014* को मामले की सुनवाई शुरू की। उन्होंने बचाव पक्ष के वकीलों को अमित शाह को सभी आरोपों से मुक्त करने के लिए तीन दिनों तक बहस करते हुए सुना, जबकि अभियोजन एजेंसी सी. बी. आई.

15 मिनट तक बहस की ", मिहिर देसाई ने कहा। उन्होंने *17* दिसंबर को सुनवाई पूरी की और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। *30* दिसंबर को, लोया की मृत्यु के लगभग एक महीने बाद, गोसावी ने बचाव पक्ष के इस तर्क को बरकरार रखा कि आरोपी को फंसाने के लिए सी. बी. आई. के राजनीतिक उद्देश्य थे। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह को बर्खास्त कर दिया।

उसी दिन, एम. एस. धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की खबर पूरे देश में टेलीविजन स्क्रीन पर छा गई। बियानी के रूप में

उन्होंने कहा, "नीचे सिर्फ एक टिकर था जिसमें लिखा था, 'अमित शाह दोषी नहीं हैं। अमित शाह दोषी नहीं हैं। "

मोहित शाह लोया की मृत्यु के लगभग ढाई महीने बाद ही शोक संतप्त परिवार से मिलने गए। लोया के परिवार से, मैंने एक पत्र की प्रति प्राप्त की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोया के बेटे अनुज ने अपने परिवार को लिखा था तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की यात्रा का दिन। यह तारीख *18* फरवरी *2015* है-लोया की मृत्यु के *80* दिन बाद। अनुज ने लिखा, "मुझे डर है कि ये राजनेता मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मैं भी उनके साथ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूं।" उन्होंने मोहित शाह का जिक्र करते हुए लिखा, "मैंने उनसे पिता की मौत की जांच के लिए एक आयोग गठित करने के लिए कहा। मुझे डर है कि हमें इसके खिलाफ कुछ भी करने से रोकने के लिए

वे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

तहसीन पूनावाला बनाम है। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

हमारे जीवन के लिए खतरा "।

अनुज ने पत्र में दो बार लिखा कि "अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है, तो मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और इस मामले में शामिल अन्य लोग।
साजिश जिम्मेदार होगी।

नवंबर *2016* में जब मैं उनसे मिला तो लोया के पिता हरकिशन ने कहा, "मैं *85* साल का हूं और अब मैं मौत से नहीं डरता। मुझे भी न्याय चाहिए, लेकिन मुझे अपनी बेटियों और दादा-दादी की जान का बहुत डर है। बच्चे "। बोलते-बोलते उनकी
आँखों में आँसू आ गए और उनकी नज़रें चली गईं।

अक्सर दीवार पर लटकती लोया की माला पहनाई हुई तस्वीर पर

पैतृक घर "। याचिकाएं

3. तहसीन पूनावाला ने अनुच्छेद *32* के तहत एक याचिका दायर की

11 दिसंबर *2017* को इस न्यायालय के समक्ष संविधान। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि कार्यवाही "समाज के कल्याण और लाभ के लिए ईमानदारी से शुरू की गई है क्योंकि इसका कोई गलत या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य नहीं है।" उन्होंने प्रतिवाद किया है कि याचिका "जनता और लोक सेवकों की सुरक्षा और संरक्षा" के लिए शुरू की गई थी, जो "अपने कानूनी अधिकारों से अवगत नहीं हो सकते हैं" या जिनके पास इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साधन हैं। इसके अलावा

उपरोक्त रिट याचिका, इस न्यायालय के समक्ष इसी मुद्दे पर अनुच्छेद *32* के तहत दो अन्य रिट याचिकाएं हैं, एक जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल द्वारा और दूसरी बंधुराज संभाजी लोन *2* द्वारा। इनमें से प्रत्येक याचिकाकर्ता ने समान दावे किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कार्यवाही बिना किसी व्यक्तिगत हित के "समाज के कल्याण" के लिए शुरू की गई है। बॉम्बे में उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं *3* दायर की गईं: बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने *4* जनवरी *2018* को और सूर्यकांत *(*उर्फ सूरज*)* ने *27* नवंबर *2017* को कार्यवाही शुरू की। बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित मामलों के समूह में मांगी गई राहत इस न्यायालय के समक्ष मांगी गई राहत के समान है। सभी याचिकाएं अनिवार्य रूप से उन लेखों पर आधारित हैं जो *20* और *21* नवंबर *2017* को कारवां में प्रकाशित हुए हैं। अन्य मीडिया प्रकाशनों, प्रिंट और ऑनलाइन दोनों ने कारवां लेखों से निकलने वाली समाचार रिपोर्टों को प्रकाशित किया। इनमें इंडियन एक्सप्रेस, क्विंट, वायर और स्क्रॉल शामिल हैं।

प्रक्रिया संबंधी निर्देश

4. 16 जनवरी *2018* को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश जारी किया।

' 2018 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *73*

22018 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *20 3 2018* की जनहित याचिका *(*सी. आर. एल.*)* संख्या *2* और *2018 [2018]* की जनहित याचिका *(*सी. आर. एल.*)* संख्या *1 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद *32* की कार्यवाही में निम्नलिखित निर्देश:

"दस्तावेजों को सात दिनों के भीतर रिकॉर्ड पर रखा जाए और यदि यह उचित माना जाता है तो याचिकाकर्ताओं को प्रतियां प्रस्तुत की जाएं। उपयुक्त पीठ के सामने पेश हों "।

मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, *19* पर विद्वान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही का उल्लेख किया गया था।

जनवरी *2018* और *22* जनवरी *2018* को "रोस्टर के अनुसार उपयुक्त पीठ के समक्ष" सूचीबद्ध होने का निर्देश दिया गया था। *22* जनवरी *2018* को महाराष्ट्र राज्य ने एक सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज़ दाखिल किए, जिनकी प्रतियाँ

5. स्थानांतरण के आदेश के बाद, हस्तक्षेप के लिए कई आवेदनों के साथ मामलों के पूरे समूह की सुनवाई की गई है। इन मामलों की सुनवाई *2* फरवरी *2018,5* फरवरी *2018,9* फरवरी *2018,12* फरवरी *2018,19* फरवरी *2018,5* मार्च *2018,8* मार्च *2018,9* मार्च *2018* और *16* मार्च *2018* को हुई है।

तहसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

6. हमने याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों की ओर से श्री दुष्यंत दवे, सुश्री इंदिरा जयसिंह, श्री वी. गिरि, श्री पल्लव शिशोदिया, श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथ, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री कुलदिप राय और श्री प्रशांत भूषण को सुना है। प्रतिवादी राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और श्री हरीश साल्वे पेश हुए।

7. कार्यवाही में उठाए गए मुद्दे की प्रकृति को देखते हुए, हमने विद्वान वकील को पेश होने की अनुमति दी है याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ हस्तक्षेप करने वालों को ऐसी दस्तावेजी सामग्री पर भरोसा करना चाहिए जो उन्हें प्रक्रिया की तकनीकीताओं से बंधे बिना अपनी प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाए। न्यायालय के समक्ष तथ्यों के सामने आने पर उनका विश्लेषण करने के लिए, न्यायालय के समक्ष सामग्री से घटनाओं के अनुक्रम का निर्माण करना आवश्यक है।

घटनाओं का क्रम

8. श्री बृजगोपाल हरकिशन लोया *('*जज लोया*')* अध्यक्षता कर रहे थे।

मुंबई में सी. बी. आई. विशेष अदालत। सोहराबुद्दीन शेख की मुठभेड़ हत्याओं से उत्पन्न आपराधिक मुकदमा उनकी अदालत को सौंपा गया था। इस मामले के अभियुक्तों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल थे। *29* नवंबर *2014* को न्यायाधीश लोया ने दो अन्य न्यायिक अधिकारियों, श्री श्रीकांत कुलकर्णी *("*न्यायाधीश कुलकर्णी*")* और श्री एस. एम. मोदक *("*न्यायाधीश मोदक*")* के साथ एक अन्य न्यायिक अधिकारी, श्रीमती स्वप्ना जोशी, जो उस समय सदस्य थीं, के परिवार में शादी में भाग लेने के लिए मुंबई से नागपुर तक रात भर चलने वाली ट्रेन में यात्रा की। महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव। न्यायाधीश कुलकर्णी भौतिक समय पर कुलसचिव *(*न्यायिक-*I)* के रूप में काम कर रहे थे।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के अपीलीय पक्ष और न्यायाधीश मोदक अलीबाग में प्रधान जिला न्यायाधीश थे। न्यायाधीश लोया मुंबई में सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट में न्यायाधीश थे। *30* नवंबर *2014* को जज लोया और उनके सहयोगी शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। उनके सहयोगियों के अनुसार, वे सभी नागपुर के एक सरकारी अतिथि गृह रवि भवन में रुके थे। यह एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। *1* दिसंबर *2014* के शुरुआती घंटों में न्यायाधीश लोया ने सीने में दर्द की शिकायत की थी। उन्हें शुरू में रवि भवन के पास स्थित दांडे अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ से उन्हें हृदय देखभाल केंद्र में भेजा गया। कहा जाता है कि उनके सहयोगी उनके साथ मेडिट्रिना अस्पताल गए थे। न्यायाधीश लोया की मेडिट्रिना में भर्ती होने से पहले ही मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें मृत लाया गया था। पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम हुआ। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, पार्थिव शरीर को लगभग *450* किलोमीटर *[2018] 9* एस. सी. आर., लातुर के पास उनके गांव गेटेगांव ले जाया गया।

जहाँ दाह संस्कार किया गया था।

मुद्दे

9. अदालत के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी, या जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया था *(*समाचारों या सामग्री की सामग्री पर भरोसा करना जो अदालत के समक्ष आई है*)*। अदालत*)*, ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो एक अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में उचित संदेह पैदा करती हैं, इस अदालत के निर्देशों पर एक जांच या जांच की गारंटी देती हैं। इसके अलावा, क्या किसी समाचार लेख की सामग्री को दंड प्रक्रिया संहिता *1973* की धारा *154* के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आधार बनाया जाना चाहिए।

बी विवेकपूर्ण पूछताछ

10. कारवां लेखों के प्रकाशन के बाद, राज्य सरकार के गृह विभाग में प्रधान सचिव *(*विशेष*)*

राज्य खुफिया विभाग के आयुक्त द्वारा एक गोपनीय जांच का निर्देश दिया गया। इस तरह की जांच राज्य खुफिया विभाग के महानिदेशक और आयुक्त श्री संजय बर्वे द्वारा शुरू की गई थी। ए द्वारा *23* नवंबर *2017* को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित संदेश में उन्होंने संकेत दिया किः

"2. निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी श्री लोया के साथ गए थे

01/12/2014 पर अस्पताल।
आई. श्री श्रीकांत कुलकर्णी, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य

कानूनी सेवा प्राधिकरण।

ii. श्री मोदक-प्रधान जिला न्यायाधीश, पुणे

iii. श्री बार्दे-जिला न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई

iv. श्री आर. राठी-जिला न्यायाधीश, बारामती।

इसी तरह, माननीय न्यायमूर्ति भूषण गवई और माननीय न्यायमूर्ति एस. बी. शुकरे ने भी उपरोक्त न्यायिक अधिकारी के दुखद निधन के बारे में जानने के बाद मेडिट्रिना अस्पताल, नागपुर का दौरा किया है।

01/12/2014 "पर।

आयुक्त ने मुख्य न्यायाधीश से "उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों की बात दर्ज करने के लिए" या तो एक बयान या एक पत्र के रूप में अनुमति मांगी, जिसमें घटनाओं के क्रम और मामले में उन्हें ज्ञात तथ्यों को विस्तार से बताया गया हो। उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने *23* नवंबर *2017* को एक पत्र के माध्यम से अनुरोध का जवाब दिया और कहा कि *EEN* पूनावाला *v.*

टाइस ने चार अधिकारियों-न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी, न्यायाधीश मोदक, न्यायाधीश बर्दे आर. आर. राठी की "राय दर्ज करने" की अनुमति दी थी। *28* नवंबर की विवेकी जांच की रिपोर्टः अतिरिक्त मुख्य सचिव *(*गृह*)* को प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट का सारांश नीचे दिया गया हैःन्यायाधीश लोया *30* नवंबर *2014* को अपने सहयोगियों, न्यायाधीश कुलकर्णी और न्यायाधीश मोदक, दोनों प्राचार्य के पद पर, के परिवार में शादी में भाग लेने के लिए नागपुर में थे।

जिला न्यायाधीश*;*

तीनों न्यायिक अधिकारी रवि भवन में रुके थे।

1 दिसंबर *2014* के शुरुआती घंटों में न्यायाधीश लोया ने शिकायत की

सीने में दर्द। न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी ने नागपुर में तैनात न्यायाधीश बारडे को बुलाया। न्यायाधीश बार्दे ने नागपुर में उच्च न्यायालय की पीठ के उप-पंजीयक न्यायाधीश आर. आर. राठी को सूचित किया और वे दोनों रवि भवन पहुंचे। इस बीच न्यायाधीश कुलकर्णी ने एक अन्य को भी सूचित किया था

न्यायाधीश लोया के खराब स्वास्थ्य के बारे में सहकर्मी, न्यायाधीश वायकर

0400 घंटे और *0415* घंटे*;*

जज लोया को जज बार्दे के वाहन में दांडे अस्पताल ले जाया गया। न्यायाधीश कुलकर्णी, न्यायाधीश मोदक और न्यायाधीश राठी उनके साथ अस्पताल गए। प्रारंभिक जाँच के बाद,

उन्हें हृदय केंद्र में ले जाने की सलाह दी गई थी।

कारवां लेख की रिपोर्ट कि जज लोया को लिया गया था

ऑटो रिक्शा में दांडे अस्पताल जाना गलत है।

इस बीच उप-पंजीयक न्यायाधीश आर. आर. राठी को बुलाया गया।

उनके रिश्तेदार, डॉ. पंकज हरकुट, एक हृदय रोग विशेषज्ञ, जिन्होंने उन्हें रोगी को मेडिट्रिना अस्पताल लाने की सलाह दी। लगभग *0500* बजे इस बातचीत के बाद, साथ में आए न्यायाधीश

जज लोया को मेडिट्रिना अस्पताल ले जाया गया।

जज लोया को मेडिट्रिना अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे थे।

न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी ने स्वीकार किया। उसे प्रदान किया गया था मेडिट्रिना अस्पताल में आपातकालीन उपचार लेकिन *1* दिसंबर *2014* को *0615* बजे मृत घोषित कर दिया गया था*;*

. मेडिट्रिना अस्पताल के डॉक्टर के 'प्रगति नोट' से संकेत मिलता है कि पोस्टमार्टम की सलाह दी गई थी। यह संदेह *[2018] 9* एस. सी. आर. को शांत करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कारवां लेख में उठाया गया कि किसकी सिफारिश की गई थी

पोस्टमॉर्टम;

. मेडिट्रिना अस्पताल ने सीताबर्दी पुलिस स्टेशन को एक मेडिको-कानूनी मामले की जानकारी दी, जिसमें मरीज को मृत लाया जा रहा था। सिताबर्दी के पुलिस स्टेशन ने दंड प्रक्रिया संहिता *1973* की धारा *174* के तहत एडी *00/2014* दर्ज किया। बाद में इसे सदर पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां *1* बजे *1600* बजे एडी *44/2014* दर्ज किया गया था।

दिसंबर *2014*। एडी को डॉ. प्रशांत राठी की सूचना पर पंजीकृत किया गया था।

डॉ. प्रशांत राठी को जज लोया की बीमारी के बारे में औरंगाबाद के उनके रिश्तेदार *(*रुकमेश जाखोटिया*)* ने बताया।

उनसे न्यायाधीश लोया की सेवा में मदद करने का अनुरोध किया;

. कारवां लेख ने ईश्वर बहेती की भूमिका के बारे में कुछ संदेह उठाए। उस संदर्भ में, आयुक्त की रिपोर्ट में निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल हैः

" *3.8* श्री ईश्वर गोविंदलाल बहेती, जो एक मेडिकल फार्मेसी चलाते हैं लातूर में वह *35* वर्षों से श्री लोया के पुराने मित्र थे। ईश्वर गोविंदलाल बहेती के सबसे बड़े भाई, डॉ. हंसराज गोविंदलाल बहेती *[*लातुर के निवासी*]* को श्री लोया के स्वास्थ्य के बारे में सूचित करते हुए सुबह फोन आया। अपने दोस्त के बारे में जानने पर

अपने भाई *[*डॉ. हंसराज*]* की शर्त पर ईश्वर गोविंदलाल बहेती ने औरंगाबाद में अपने रिश्तेदार श्री रुकमेश को फोन किया। जाखोटिया, जिन्होंने बदले में नागपुर के डॉ. प्रशांत राठी से अनुरोध किया

श्री लोया को सहायता और देखभाल प्रदान करना। श्री ईश्वर

गोविंदलाल बहेती ने डॉ. लोया के एक अन्य चचेरे भाई, श्री ओम भूटाडा को भी फोन किया और श्री लोया के लातूर स्थित रिश्तेदारों से संपर्क किया। सत्यापन के दौरान, श्री ईश्वर गोविंदलाल बहेती

दावा किया कि वह स्वर्गीय श्री विलासरावजी देशमुख के कार्यकर्ता और शुभचिन्तक थे और उनका आरएसएस से कोई संबंध नहीं था। स्वर्गीय श्री बृजगोपाल लोया के पिता,

श्री हरकिशन रामचंद्र लोया ने इसकी पुष्टि की इस बात पर हस्ताक्षर किए कि ईश्वर बहेती उनके बेटे के करीबी दोस्त थे

और यह कि वह उनके लिए 'एक भाई की तरह' थे। श्री लोया के बेटे अनुज ने इस प्रकार कहा हैः मेरे चाचा, श्री ईश्वर बहेती ने आयोजन किया था

मेरे पिता की पहली मृत्यु पर उनकी याद में एक बड़ा समारोह वर्षगांठ पंचांग के अनुसार *06-12-2015* पर श्रेणी में, *EEN* पूनावाला *v.*

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

लातूर में मेरे दादा हरकिशनजी और चाची डॉ. अनुराधा सहित मेरे परिवार के सभी लोग मौजूद थे। मेरे सत्यापन से पता चला कि लोया परिवार ने श्री ईश्वर बहेती को पकड़ रखा था बहुत सम्मान करते थे और उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में मानते थे।

3.8. 1 संयोग से, ईश्वर नाम के एक अन्य सज्जन-प्रसाद बजरंगलाल बहेती, *@60*, ने सत्यापन के दौरान पुष्टि की कि वह बहुत पहले आरएसएस में सक्रिय हुआ करते थे और वर्तमान में, वह राधे शुभमंगल स्टोर और हस्तशिल्प नामक एक दुकान चलाते हैं।

लातुर में। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि वह श्री लोया को नहीं जानते थे और उन्होंने श्री लोया के स्वास्थ्य के संबंध में किसी को कोई फोन नहीं किया था।

3.8. 2 ईश्वरलाल जवाहरलाल बहेती नाम का एक और व्यक्ति लातूर जिले के निलंगा में रहता है जहाँ वह अमृत जनरल स्टोर्स नामक एक दुकान चलाता है। सत्यापन के दौरान उन्होंने इसकी पुष्टि भी की

कि वह श्री लोया को नहीं जानते थे।

3.8. 3 उपरोक्त विवरण कारवां में उठाए गए संदेहों को दूर करते हैं।

श्री ईश्वर बहेती की भूमिका के बारे में रिपोर्ट करें।

आई. न्यायाधीश बार्दे और न्यायाधीश मोदक ने न्यायाधीश लोया के रिश्तेदारों को उनकी बीमारी-स्वास्थ्य और मृत्यु के बारे में सूचित किया। मुख्य न्यायाधीश के प्रधान सचिव और नागपुर पीठ के अन्य न्यायाधीश थे -

जानकारी भी दी। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायमूर्ति भूषण

गवई, न्यायमूर्ति एस. बी. शुकरे और न्यायमूर्ति पी. आर. बोरा ने दौरा किया

1 दिसंबर *2014* को लगभग *0700* बजे मेडिट्रिना अस्पताल। मुख्य न्यायाधीश ने वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि

आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ*;*

ii. चार न्यायिक अधिकारियों-न्यायाधीश कुलकर्णी, न्यायाधीश मोदक, न्यायाधीश बार्दे और न्यायाधीश आर. आर. राठी द्वारा दायर बयानों में घटनाओं का पूरा क्रम सुनाया गया था।

v. 1000 घंटे और *1030* घंटे के बीच एक पूछताछ की गई थी

1 दिसंबर *2014* को। *1* दिसंबर *2014* को *1055* घंटे और *1155* घंटे के बीच पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट किसी भी शारीरिक चोट की अनुपस्थिति का संकेत देती है और मृत्यु के कारण को "कोरोनरी धमनी की कमी" के रूप में बताती है। क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान की रिपोर्ट

प्रयोगशाला इंगित करती है कि जहर का कोई निशान नहीं मिला है*;*

. तथ्यात्मक स्थिति इंगित करती है कि न्यायाधीश लोया को दिल का दौरा पड़ा *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 दिसंबर *2014* के शुरुआती घंटों में हमला किया गया और परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से लातुर के गांव गेटेगांव भेजा गया। नागपुर के दो न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री

नागपुर के प्रधान जिला न्यायाधीश, न्यायाधीश सोनावने ने योगेश रहांगदले और श्री स्वयं चोपदा को पार्थिव शरीर के साथ जाने के लिए नियुक्त किया था। कारवां लेख में बयान

कि शरीर के साथ कोई नहीं था, यह गलत है;

xvi. न्यायाधीश बारडे और न्यायाधीश मोदक ने न्यायाधीश लोया के परिवार के सदस्यों और मुंबई के हाजी अली में रहने वाले उनके सहयोगियों को मृत्यु की सूचना दी।

1 दिसंबर *2014* के शुरुआती घंटे;

xvii. कारवां लेख में दावा है कि स्रोत

सरकारी मेडिकल कॉलेज और सीताबर्दी पुलिस स्टेशन ने देखा था कि रात के दौरान शव शव से रहित था।

पदार्थ;

xviii. कारवां लेख में मृतक की गर्दन पर खून के धब्बों का संदर्भ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। *xix*। जज लोया के बेटे, पत्नी, पिता और बहन सहित उनके परिवार के सदस्यों ने इस मामले में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया है।

कारवां लेख; और

एक्सएक्स। *21* नवंबर *2017* को कारवां में दूसरा लेख

इसमें बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मोहित शाह के खिलाफ निराधार आक्षेप शामिल हैं। वे.

सुनाई देने वाले संस्करणों की एक श्रृंखला के आधार पर समतल किया गया है। रिपोर्ट यह कहते हुए समाप्त होती है कि कारवां में प्रकाशित लेख ने "कई अप्रमाणित दावे किए हैं और यह है

झूठ से भरा हुआ "।

विवेकी जाँच का निष्कर्ष यह है कि न्यायाधीश लोया पर न्यायिक निकाय से संबंधित उनके सहयोगियों की उपस्थिति में हमला किया गया। उन्होंने उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई।

सी प्रस्तुतियाँः

I याचिकाकर्ता और हस्तक्षेपकर्ता तहसीन पूनावाला बनाम।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

ए मिस्टर दुष्यंत दवे

11. बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की हैं -

इस आधार पर कि वह जिस कारण का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह "न्यायपालिका की स्वतंत्रता के रूप में सामान्य महत्व के गंभीर सवाल" और धमकियों या हमलों के खिलाफ अधीनस्थ न्यायपालिका की सुरक्षा को उठाता है। श्री दवे ने दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, तीस हजारी अदालत, दिल्ली बनाम गुजरात राज्य *1* में इस न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया, जिसमें इस न्यायालय ने एक न्यायिक अधिकारी पर हमले को कुछ ऐसा माना जो न्यायिक सेवा को प्रभावित करता है। प्राधिकरण के साथ-साथ पूरे देश में न्याय का प्रशासन। एक भावपूर्ण याचिका दायर की गई है कि अदालत को इस मामले की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, जो रुबाबुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य के फैसले में उत्पन्न हुआ है। जाँच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करते हुए, इस अदालत ने कहाः

"*.....*यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय न केवल किया जाता है, बल्कि किया जाता भी दिखाई देता है और राज्य के पुलिस अधिकारियों और विशेष रूप से गुजरात राज्य के उच्च अधिकारियों की भागीदारी को देखते हुए, हम इस स्तर पर भी सीबीआई को निर्देश देने के लिए मजबूर हैं

अधिकारी मामले की जांच करेंगे "।

इस अदालत द्वारा सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसरबी की हत्याओं की सी. बी. आई. जांच का निर्देश दिए जाने के बाद, गुजरात राज्य में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह सहित कई अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, नर्मदा बाई बनाम गुजरात राज्य मामले में इस अदालत ने तुलसीराम प्रजापति की हत्या की सी. बी. आई. द्वारा एक अलग जांच का निर्देश दिया, जो कि सोहराबुद्दीन और कौसरबी की हत्या की साजिश का हिस्सा था। इन निर्देशों को जारी करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"यह विवाद में नहीं है कि यह सदियों पुरानी कहावत है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया जाता हुआ भी देखा जाना चाहिए। यह तथ्य कि तुलसीराम प्रजापति के एक सहयोगी की हत्या के मामले में, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक वरिष्ठ राजनेता आरोपी थे, राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच में जनता के विश्वास को हिला सकता है। यदि कानून के शासन की महिमा को बनाए रखना है और यदि यह होना है

4 (1991) 4 एस. सी. सी. *406*

$ (2010) 2 एससीसी *200* *' (2011) 5* एससीसी *79 [2018] 9* एस. सी. आर.

यह सुनिश्चित करना कि दोषियों को उनकी स्थिति और अधिकार के बावजूद कानून के अनुसार दंडित किया जाए, यह जांच सी. बी. आई. को सौंपना वांछनीय है।

इसके बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो अमितभाई अनिल चंद्र शाह 'में, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की मंजूरी को बरकरार रखते हुए, इस अदालत ने आपराधिक मामले को गुजरात राज्य के बाहर महाराष्ट्र राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

" 'रवींद्र पाल सिंह बनाम संतोष कुमार जयसवाल' मामले में एक अन्य फैसले में, इस अदालत ने मामले को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया क्योंकि फर्जी मुठभेड़ के मामले में कुछ आरोपी पुलिसकर्मी थे। हाथ में मामला राज्य के बाहर स्थानांतरित होने के कहीं अधिक मजबूत कारण हैं। तदनुसार, हम अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सी. बी. आई., न्यायालय कक्ष संख्या *2*, मिर्जापुर, अहमदाबाद के न्यायालय में लंबित *2010* के विशेष मामले संख्या *5* को सी. बी. आई. बनाम डी. जी. वंजारा शीर्षक से सी. बी. आई., बॉम्बे के न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के महापंजीयक को अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से मामले का पूरा रिकॉर्ड एकत्र करने का निर्देश दिया जाता है।

सी. बी. आई., कमरा संख्या *2*, मिर्जापुर, अहमदाबाद और इसे बॉम्बे उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को प्रेषित करने के लिए जहां से इसे सी. बी. आई. न्यायालय को भेजा जाएगा जैसा कि उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति द्वारा तय किया जा सकता है। प्रशासनिक समिति मामला एक अदालत को सौंपेगी जहां मुकदमे को विवेकपूर्ण तरीके से, कानून के अनुसार और बिना किसी देरी के समाप्त किया जा सकता है। प्रशासनिक समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि मुकदमा शुरू से अंत तक उसी अधिकारी द्वारा चलाया जाए।

श्री दवे ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *227* के तहत आरोपमुक्त करने के लिए अमित शाह ने *2013* में एक आवेदन दायर किया था। व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए उनके आवेदन को न्यायाधीश जे. टी. उत्पत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिन्हें उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति द्वारा नामित किया गया था। इससे पहले कि कार्यवाही शुरू की जा सकती थी, यह आरोप लगाया गया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने *25* जून *2014* को न्यायाधीश उत्पत का तबादला कर दिया था।

इस न्यायालय का *27* सितंबर *2012* का निर्णय। स्थानांतरण के बाद,

(2012) 10 एस. सी. सी. *545*

$ (2011) 4 एस. सी. सी. *746* तहसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

12. इस पृष्ठभूमि के आधार पर श्री डेव ने कहा है कि प्रतिवादियों को शपथ पर "उचित शपथ पत्र" दाखिल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद *32* के तहत अधिकार क्षेत्र अपनी प्रकृति और दायरे में असाधारण है।

13. श्री डेव ने प्रस्तुत किया है कि विवेकी जांच और रिपोर्ट

राज्य खुफिया विभाग के आयुक्त द्वारा तैयार किया गया एक स्वतंत्र जांच को रोकने का प्रयास है। उनके अनुसार, राज्य सरकार के लिए एक समाचार पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर गोपनीय जांच का आदेश देना असामान्य है। घटनाओं के क्रम पर प्रकाश डालते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि *23* नवंबर *2017* को राज्य सरकार ने आयुक्त को एक विवेकपूर्ण सत्यापन करने का निर्देश दिया और उसी दिन बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा गया जिसमें उन चार न्यायिक अधिकारियों की बात दर्ज करने की मांग की गई थी जो *1* दिसंबर *2014* को न्यायाधीश लोया के साथ अस्पताल गए थे। द.

बम्बई उच्च न्यायालय ने उसी दिन मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के बारे में सूचित किया। न्यायिक अधिकारियों ने एक दिन के भीतर अपने बयान प्रस्तुत किए। आयुक्त द्वारा *28* नवंबर को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

2017 , पाँच दिनों के भीतर। उनके समर्पण में एक ऐसी सतर्कता की भावना है जो आम तौर पर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में नहीं पाई जाती है।

14. दस्तावेज़ और बयान जो रिपोर्ट का हिस्सा हैं

राज्य खुफिया आयुक्त से निम्नलिखित प्रस्तुतियों के आधार पर पूछताछ की गई है:

" (i) 1 दिसंबर *2014* को नागपुर शहर के सिताबर्दी पुलिस स्टेशन के पीएसआई आर. के. मुंढे द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *174* के तहत तैयार की गई मृत्यु जांच रिपोर्ट में दर्ज है कि मृतक के शव की पहचान डॉ. प्रशांत राठी ने की थी और इसमें किसी अन्य की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है।

न्यायिक अधिकारियों सहित व्यक्ति;

(ii) मेडिट्रिना अस्पताल के मामले के कागजातों में दर्ज है कि रोगी को अस्पताल में मृत लाया गया था और न्यायाधीश श्रीकांत डी. कुलकर्णी द्वारा भर्ती कराया गया था, जिन्होंने मृतक के साथ अपने दोस्त के रूप में अपने संबंधों का खुलासा किया था। डॉक्टर के प्रगति टिप्पणियों में दर्ज किया गया कि साथ में आए व्यक्ति ने संकेत दिया था कि रोगी को सीने में दर्द हो रहा था। मेडिट्रिना अस्पताल द्वारा तैयार किए गए बिल में गैर-आक्रामक प्रयोगशाला, न्यूरोसर्जरी, आहार परामर्श और गैर-चिकित्सा खर्चों *(*कुल बिल *4290* रुपये की राशि में है*)* के लिए शुल्क शामिल हैं।

(iii) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक द्वारा पहनी गई कमीज और जींस का वर्णन किया गया है। यह आग्रह किया गया है कि अगर जज लोया को नींद में दिल का दौरा पड़ा होता, तो यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वह ऐसे कपड़ों में सो रहे होते। कठोर मृत्यु या तो ऊपरी अंगों में थोड़ी सी मौजूद पाई गई, लेकिन निचले अंगों

में नहीं। निवेदन यह है कि यदि मृत्यु का कारण कोरोनरी धमनी की अपर्याप्तता के कारण था, तो कठोर मृत्यु पूरी तरह से शुरू हो गई होगी।

इसके विपरीत, जिस प्रपत्र के तहत शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया था, वह इंगित करता है कि शव की कठोरता अच्छी तरह से चिह्नित थी।

(iv) 5 फरवरी *2015* की क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि विसरा में जहर का कोई निशान नहीं था। विश्लेषण *5* जनवरी *2015* को शुरू हुआ और था

सिताबर्दी। *10* दिसंबर *2014* को, सदर पुलिस स्टेशन ने सरकारी मेडिकल अस्पताल, नागपुर को सुधार के लिए एक पत्र लिखा। न्यायाधीश लोया का नाम बृजमोहन हरिकिशन लोया से लेकर सीन पूनावाला बनाम।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

बृजगोपाल हरिकिशन लोया। यह आग्रह किया गया है कि यदि न्यायाधीश लोया अपने सहयोगियों के साथ होते, तो उनका नाम गलत तरीके से अस्पताल को नहीं दिया जाता। *(v)* रिकॉर्ड इंगित करता है कि सदर पुलिस स्टेशन ने लगभग डेढ़ साल बाद *2* फरवरी *2016* को एक नया आकस्मिक मृत्यु सारांश बनाया। ऐसा करते समय, पीएस सदर के अधिकारी ने इस प्रकार दर्ज कियाः

"साहब,

पी. एस. आई. एस. डी. वाराडे *01/12/2014* पर दिन का अधिकारी था, उसे पी. सी. पनकाज बी. नंबर *6238 [*सीताबर्दी पुलिस स्टेशन से*]* से ए. डी. नंबर *00/14,174* सी. आर. पी. सी. मिला। उक्त एडी श्री बृजगोपाल हरिकिशन लोया का था, जिनकी आयु *48* वर्ष थी, जो हाजियाली सरकार के निवासी थे।

कॉलोनी, इमारत संख्या *11*, मुंबई। केस डायरी को देखने पर, मैंने पाया कि घटना स्थल पुलिस स्टेशन सदर के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए मैंने एडी नं.

44/14 , यू/एस *174* करोड़ पीसी "।

यदि एडी *44/14* फरवरी *2016* में पंजीकृत किया गया था, तो यह आग्रह किया गया था कि *5* फरवरी *2015* की क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उपरोक्त एडी के संदर्भ में विरोधाभास है। *(vi)* चार न्यायिक अधिकारियों के बयानों में "उन्होंने जो कहा है उससे कहीं अधिक कहना छोड़ दिया गया है"। उनमें से किसी ने भी रवि भवन में सुइट नंबर प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें न्यायाधीश लोया ने *30* नवंबर *2014* की रात को रोक लगाई थी। रवि भवन के रजिस्टर में न्यायाधीश लोया की कोई प्रविष्टि नहीं है।

वहाँ रहे। न्यायाधीश कुलकर्णी के इस कथन पर सवाल उठाया गया है कि उन्होंने न्यायाधीश लोया और न्यायाधीश मोदक के साथ रवि भवन में एक ही कमरे में रोक लगा दी थी। नागपुर में न्यायिक अधिकारियों के आचरण की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि उनमें से कोई भी मृत्यु के बाद परिवार को सूचित करने का दावा नहीं करता है। न्यायाधीश बार्दे ने अपने बयान में दर्ज किया कि वह और न्यायाधीश कुलकर्णी मुंबई में कुछ दिनों के बाद मृतक के रिश्तेदारों से मिले थे, जो अप्राकृतिक है।

(vii) यदि वास्तव में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, *[2018] 9* एस. सी. आर.

(viii) जबकि *2015* में न्यायाधीश लोया के बेटे ने प्राथमिकी दर्ज करने या मृत्यु की जांच शुरू करने के लिए एक पत्र संबोधित किया था, और उनके पिता और बहन ने कारवां के साथ वीडियो रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों में जांच की मांग की थी और आरोप लगाया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीश लोया को रिश्वत देने का प्रयास किया था, परिवार के सदस्यों के बाद के बयान राज्य खुफिया विभाग द्वारा निकाले गए हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। *(ix)* न्यायाधीश लोया की सुरक्षा उनकी मृत्यु से एक सप्ताह पहले *24* नवंबर *2014* को वापस ले ली गई थी।

(x) राज्य खुफिया विभाग में आयुक्त किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला और न ही उसने बयानों या तथ्यों की सच्चाई से संतुष्ट होने के लिए किसी स्थान का दौरा किया;

(xi) डॉ. प्रशांत राठी का बयान *22* नवंबर *2017* को नागपुर में पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, हालांकि *23* नवंबर *2017* को विवेकी जांच का आदेश दिया गया था।

(xii) न्यायमूर्ति भूषण गवई द्वारा दिए गए प्रेस साक्षात्कार और

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. बी. शुकरे ने *27* नवंबर *2017* को इंडियन एक्सप्रेस को चार जिला न्यायाधीशों ने अपने पत्रों में जो उल्लेख किया था, उसे दोहराया है। इससे एक गंभीर संदेह पैदा हुआ कि साक्षात्कार पहले प्रेस को क्यों दिए गए थे।

अधिकारियों ने अपने सहयोगी को "उपलब्ध सबसे अच्छे अस्पताल" में नहीं भेजा, इस सिद्धांत के बारे में संदेह पैदा करता है कि वे न्यायाधीश लोया के साथ थे; और *(xv)* जहां एक ओर डॉ. दांडे ने दावा किया कि ईसीजी लिया गया था, वहीं न्यायाधीश राठी ने अपने बयान में दांडे तहसीन पूनावाला बनाम में दर्ज किया है।

अस्पताल में ईसीजी मशीन काम नहीं कर रही थी।

उपरोक्त आधारों पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य खुफिया आयुक्त की रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाना चाहिए। एक विशेष जांच दल द्वारा एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। उन्होंने अदालत को सुझाव दिया है कि मीडिया को साक्षात्कार देने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ आंतरिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।

15. श्री डेव ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उन्हें उन चार न्यायिक अधिकारियों से जिरह करने की अनुमति दी जा सकती है जिनके बयानों को रद्द कर दिया गया है। राज्य आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भरोसा किया गया

बुद्धिमत्ता। अपने आवेदन के समर्थन में श्री दवे ने के. के. कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय और अनुसूचित जाति नियमों के आदेश *IX* में निहित प्रावधानों पर भरोसा किया है। निम्नलिखित व्यक्तियों की प्रतिपरीक्षा की मांग की गई है:

"1 श्री संजीव बर्वे, महानिदेशक/आयुक्त, राज्य खुफिया विभाग, महाराष्ट्र,
2 डॉ. प्रशांत बजरंग राठी, साई रीजेंसी, रवि नगर, नागपुर के निवासी,

3 कारवन के रिपोर्टर श्री निरंजन टकले,

4 श्री श्रीकांत डी. कुलकर्णी, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण

7 डॉ. पिनाक गंगाधर राव, दांडे, राम नगर, नागपुर
8 श्री अनुज बृज गोपाल लोया, पुत्र स्वर्गीय श्री. बी. एच. लोया

9 श्रीमती शर्मिला बृज गोपाल लोया की पत्नी। बी. एच. लोया

10 श्री हरि किशन रामचंद्र लोया, स्वर्गीय श्री बी. एच. लोया के पिता

11 डॉ. अनुराधा बालाप्रसाद बियानी, स्वर्गीय श्री की बहन। बी. एच. लोया "।

श्री दवे ने आग्रह किया कि राज्य को याचिका में निहित आरोपों के विरोध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

(1959) पूरक *(2)* एससीआर *316 [2018] 9* एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी सुश्री इंदिरा जयसिंह:

16. सुश्री जयसिंह एक हस्तक्षेपकर्ता *(*एडमिरल*)* की ओर से पेश हुईं।

रामदास*)*। सुश्री जयसिंह आग्रह करती हैं कि निम्नलिखित परिस्थितियाँ संदेह पैदा करती हैं कि न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई थी:

(i) रवि भवन में रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि का अभाव

30 नवंबर और *1* दिसंबर *2014* को एक निवासी के रूप में न्यायाधीश लोया का नाम दर्ज करना*;*

ii. एक कमरे में रहने वाले तीन न्यायिक अधिकारियों की असंभवता

रवि भवन का*;*

iii. अभिलेखों में न्यायाधीश लोया के नाम की गलत वर्तनी

दांडे अस्पताल और मेडिट्रिना अस्पताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में,

इस तथ्य के बावजूद कि कई न्यायिक अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था

उपस्थित;

iv. दांडे अस्पताल में ई. सी. जी. का उत्पादन नहीं किया गया और

में प्रकाशित ईसीजी में निहित *30* नवंबर *2014* की तारीख

27 नवंबर *2017* को इंडियन एक्सप्रेस;

वी. न्यायाधीश राठी का बयान कि दांडे में ईसीजी सुविधा

अस्पताल काम नहीं कर रहा था;

vi. कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शामिल करने में पुलिस की विफलता

1 दिसंबर *2014* को जब सुबह *8:30* बजे सीताबर्दी पुलिस स्टेशन में एक दुर्घटना की रिपोर्ट तैयार की गई थी;

vii. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में विरोधाभासः

ए। *10* जनवरी *2015* को नाम में सुधार;

बी। मृत्यु की तारीख *7* दिसंबर *2014* के रूप में दिखाई गई है;

सी। *30* नवंबर से मृत्यु की तारीख का ओवर-राइटिंग

2014 1 दिसंबर *2014* तक;

डी। कोरोनरी धमनी अपर्याप्तता के रूप में मृत्यु का कारण;

viii. व्यक्तिगत सामानों का पंचनामा तैयार करने में विफलता

मृतक की बहन के कारवां को दिए गए बयान से जो महत्व रखता है कि उसका सेल फोन कुछ दिनों बाद वापस कर दिया गया था और सभी संदेश हटा दिए गए थे;

ix. धारा के तहत पहली आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट *(*एडी *00/14)*

174 सी. आर. पी. सी. सीताबरदी में रिकॉर्ड किया गया था। दूसरा एडी *44/2014* कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना सदर पुलिस स्टेशन में *1600* बजे दर्ज किया गया था; तहसीन पूनावाला बनाम।

x. पीएस सीताबर्दी या सदर की केस डायरी पेश करने में विफलता;

xi. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *174* के तहत कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता। धारा *174* के तहत पुलिस या किसी और द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी।

xii. डॉ. प्रशांत राठी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *176* के अर्थ में 'रिश्तेदार' नहीं थे।

xiii. 2 फरवरी *2016* को आकस्मिक मृत्यु सारांश के संबंध में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जानकारी प्रस्तुत करना; *xiv.* न्यायाधीश लोया की बहन ने कारवां से शिकायत की कि शव वाली एम्बुलेंस के साथ कोई न्यायिक वाहन नहीं था

अधिकारी;

xv. 18 फरवरी *2017* को अनुज लोया का पत्र जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जांच करने का अनुरोध किया गया था। सुश्री

जयसिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *157* के प्रावधानों के दायरे पर प्रस्तुतियों का आग्रह किया है। निवेदन यह है कि अभिव्यक्ति "संदेह करने का कारण" किसी अपराध को करने के लिए "एक उचित आधार प्राप्त करना चाहिए क्योंकि उस स्तर पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित तथ्यों के तकनीकी प्रमाण का सवाल नहीं उठता है *(*हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल*)*। वर्तमान मामले में, यह आग्रह किया गया था कि न्यायाधीश लोया की मृत्यु पर, पुलिस ने इसे एक आकस्मिक मृत्यु के रूप में माना और सीआरपीसी की धारा *174* के तहत एडी *00/14* उत्पन्न किया। पुलिस ने की थी सख्ती

कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। जैसा कि इस अदालत ने अशोक कुमार टोडी बनाम किश्वर जहां *1 1* में कहा था कि पुलिस या तो मामले को बंद कर सकती है।

या एक एफ. आई. आर. दर्ज करें और अपराध की जाँच करें। न तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *174* के तहत जांच की गई और न ही प्राथमिकी दर्ज की गई; और

xvi. सुश्री जयसिंह ने ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य *1 2* मामले में निर्णय का समर्थन किया जिसमें यह निर्णय लिया गया थाः

"*35.* इस न्यायालय ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि एक आपराधिक मामले में कार्यवाही का भाग्य हमेशा पूरी तरह से पक्षों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है, अपराध सार्वजनिक रूप से गलत है और सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन है, जो एक समुदाय के रूप में पूरे समुदाय को प्रभावित करता है और सामान्य रूप से समाज के लिए हानिकारक है। की अवधारणा

10 (1992) पूरक *(1)* एस. सी. सी. *33511 (2011) 3* एस. सी. सी. *758*

12 (2006) 3 एस. सी. सी. *374 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निष्पक्ष सुनवाई में अभियुक्त, पीड़ित और समाज के हितों का परिचित त्रिकोण होता है और यह समुदाय है जो राज्य और अभियोजन एजेंसियों के माध्यम से कार्य करता है। समाज के हित को पूरी तरह से तिरस्कार और अवांछित व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। द.

न्याय के प्रशासन में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालतों को हमेशा एक प्रमुख कर्तव्य माना गया है, जिसे अक्सर "कानून की महिमा" को सही साबित करने और बनाए रखने का कर्तव्य कहा जाता है। न्याय के उचित प्रशासन को हमेशा एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जो विशेष मामले के निर्धारण

तक ही सीमित नहीं है, कानून में अदालत के रूप में कार्य करने की अपनी क्षमता की रक्षा करता है। भविष्य में भी, जैसा कि पहले हुआ था। यदि एक आपराधिक अदालत को न्याय देने में एक प्रभावी साधन बनना है, तो पीठासीन न्यायाधीश को

बुद्धिमत्ता, सक्रिय रुचि और सही स्थिति तक पहुंचने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक सामग्रियों को उजागर करने वाले परीक्षण में एक प्रतिभागी बनकर एक दर्शक और केवल एक रिकॉर्डिंग मशीन बनना बंद कर दें।

निष्कर्ष, सच्चाई का पता लगाने के लिए, और दोनों पक्षों और समुदाय के लिए निष्पक्षता और निष्पक्षता के साथ न्याय का प्रशासन करना। आपराधिक न्याय का प्रशासन करने वाली अदालतें कार्यवाही के संबंध में हुए परेशान करने वाले या दमनकारी आचरण पर आंखें मूंद नहीं ले सकतीं, भले ही एक निष्पक्ष सुनवाई अभी भी संभव हो, सिवाय इसके कि न्यायाधीशों के निष्पक्ष नाम और स्थिति को कमजोर करने के जोखिम को छोड़कर।

और स्वतंत्र न्यायनिर्णायक।

एन. सी. ई. को विनीत नारायण बनाम भारत संघ में आयन में निहित निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी रखा गया था। .

" 3. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि यह अत्यंत सार्वजनिक महत्व का है कि इस मामले की इस न्यायालय द्वारा पूरी तरह से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी एजेंसियां, जिन्हें कानून के अनुसार अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करने का कर्तव्य सौंपा गया है, संविधान में निहित समानता की अवधारणा और बुनियादी बातों को लगातार ध्यान में रखते हुए ऐसा करें।

व्यक्ति को उचित आधार पर, उस व्यक्ति की स्थिति और स्थिति के बावजूद, संचालित किया जाना चाहिए और शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। निष्पक्षता में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है। सरकारी एजेंसियों का काम करना।

ई सुश्री जयसिंह की प्रस्तुति, संदिग्ध की एक श्रृंखला है

5) 2 एस. सी. सी. *199* सीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

ऐसे उदाहरण जो अदालत की निगरानी में जांच की गारंटी देते हैं। इनका सारांश इस प्रकार दिया गया है:

ए। राज्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियाँ

महाराष्ट्र*;*

बी। *20* नवंबर *2017* और *21* नवंबर *2017* के कारवां में परिवार द्वारा दिए गए बयान और *27* नवंबर *2017* के इंडियन एक्सप्रेस में उच्च न्यायालय के दो मौजूदा न्यायाधीशों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान*;*

सी। मृतक के परिवार द्वारा निरंजन को दिए गए बयान

कारवां का ताकले कि उन्हें गड़बड़ी का संदेह है*;*

डी। दस्तावेज़ों में परिवार द्वारा उन बयानों का विरोधाभास

महाराष्ट्र राज्य द्वारा उत्पादित*;*

एफ. पोस्टमार्टम के दौरान परिवार की अनुपस्थिति; जी। डॉ. प्रशांत राठी को शव सौंपना जो था

एक अजनबी;

एच. चिकित्सा में मृतक के नाम की गलत वर्तनी

दस्तावेज़;

आई. अधिभोग में न्यायाधीश लोया के नाम की अनुपस्थिति

रवि भवन का रजिस्टर;

जे. सोहराबुद्दीन मुकदमे की सुनवाई से एक दिन पहले पूर्व न्यायाधीश उत्पत का स्थानांतरण

सी. बी. आई. बनाम अमितभाई अनिल चंद्र शाह *1 4* में; और

के. तथ्य यह है कि न्यायाधीश लोया की मृत्यु के बाद आने वाले न्यायिक अधिकारी ने एक महीने के भीतर एक आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया।

प्रभार लेते हुए।

सी श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथः

17. श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथ, विद्वान वरिष्ठ वकील

अखिल भारतीय वकील संघ के एक मध्यस्थ ने कहा कि वर्तमान सुनवाई केवल न्यायाधीश लोया की दिसंबर *2014* में हुई मृत्यु तक सीमित है और इसका विस्तार सोहराबुद्दीन फर्जी मामले *trial.or* के प्रक्षेपवक्र तक नहीं है; पूर्ववर्ती का स्थानांतरण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकारी आदि "। विनीत नारायण *(*उपरोक्त*)* मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए, श्री सुरेंद्रनाथ ने कहा कि सोहराबुद्दीन मामले में अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की स्थिति, गुजरात से महाराष्ट्र में कार्यवाही स्थानांतरित करने की परिस्थितियों, न्यायाधीश लोया की मृत्यु के बाद एक नए न्यायिक अधिकारी के कार्यभार संभालने के बाद कुछ अभियुक्तों को आरोपमुक्त करने और संबंधित समय पर न्यायाधीश लोया के लिए सुरक्षा की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक विशेष जांच दल का गठन आवश्यक है। उनकी दलीलों में, मृतक न्यायाधीश के करीबी रिश्तेदारों द्वारा दिए गए विरोधाभासी संस्करण अपने आप में एक प्राथमिकी दर्ज करके सीआरपीसी के तहत औपचारिक जांच का आदेश देने का एक कारण है।

डी श्री प्रशांत भूषणः

18. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने एक आवेदन दायर किया है।

हस्तक्षेप। आवेदन के समर्थन में हलफनामे को श्री प्रशांत भूषण द्वारा शपथ ली गई है और सत्यापित किया गया है। की सामग्री को दोहराते हुए

आवेदन में, यह आग्रह किया गया है कि *11* फरवरी *2018* को कारवां ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया है कि विसरा के नमूने के साथ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और हिस्टो-पैथोलॉजी रिपोर्ट एम्स में फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी के पूर्व प्रमुख डॉ. आर. के. शर्मा को प्रस्तुत की गई थी। श्री भूषण ने प्रस्तुत किया कि हस्तक्षेपकर्ता ने हिस्टो पैथोलॉजी रिपोर्ट की एक प्रति और ईसीजी की एक प्रति प्राप्त की। डॉ. आर. के. शर्मा की विशेषज्ञ राय, यह प्रस्तुत की गई है, इंगित करती है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कोई सबूत नहीं था और हालांकि हृदय की स्थिति में परिवर्तन देखे गए थे, वे कोरोनरी धमनी की अपर्याप्तता दिखाने के लिए निर्णायक नहीं हैं। इसके अलावा, इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने ड्यूरा में भीड़ का संकेत दिया है जो इंगित करेगा कि जहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

19. श्री प्रशांत भूषण का कहना है कि हस्तक्षेप करने वाले ने डॉ. उपेंद्र कौल को ईसीजी और हिस्टो-पैथोलॉजी रिपोर्ट की एक प्रति सौंपी।

एम्स में कार्डियोलॉजी के पूर्व प्रोफेसर। श्री प्रशांत भूषण ने डॉ. कौल को एक ई-मेल संबोधित किया, जिसमें ईसीजी और हिस्टो-पैथोलॉजी रिपोर्ट संलग्न की गई और तीन प्रश्नों को संबोधित किया जो इस प्रकार हैं:

"1. ई. सी. जी. लेने से दो घंटे पहले क्या इस व्यक्ति को गंभीर दिल का दौरा पड़ सकता था*?* दूसरे शब्दों में, क्या यह ईसीजी उस व्यक्ति के ईसीजी के अनुरूप है जिसे इस ईसीजी से एक से दो घंटे पहले गंभीर मायोकार्डियल हो गया है*?* *2.* उनकी कोरोनरी धमनियों और हृदय की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट तहसीन पूनावाला *v* है।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

तीव्र मायोकार्डियल के कारण उनकी मृत्यु के अनुरूप मांसपेशियाँ

उल्लंघन या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस*?* *3.* इसके अलावा मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या कोई व्यक्ति जो

मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कारण मृत्यु हो गई है जो ड्यूरा, यकृत, प्लीहा, गुर्दे, स्वरयंत्र, ट्रैकोआ और ब्रोंकी, फेफड़ों की महत्वपूर्ण भीड़ दिखा सकती है। क्या यह संभव है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित उसके सभी अंगों का यह जमाव उसकी मृत्यु के समय दिए गए सीपीआर के कारण हुआ हो*?*

जवाब में डॉ. कौल ने इस प्रकार कहा है:

"1. सबसे अधिक संभावना नहीं है कि ई. सी. जी. के पास हाल ही में मायोकार्डियल होने का कोई सबूत नहीं है।

उल्लंघन।

हृदय की मांसपेशियों की हिस्टो-पैथोलॉजी बताती है कि यह सामान्य है। एल. ए. डी. में कोरोनरी धमनी ब्लॉक एक निर्दोष दर्शक हो सकता है।

2. हाल के एम. आई. के कारण होने की संभावना नहीं है लेकिन एक गहन सी. पी. आर. के कारण हो सकता है।

श्री भूषण ने कहा कि उन्होंने "अन्य प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञों" से भी बात की है जिन्होंने "अनिवार्य रूप से वही राय दी है"। श्री भूषण ने कहा है कि अदालत में पेश किए गए चार न्यायाधीशों के बयान हलफनामे पर दायर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, चार न्यायिक अधिकारियों के बयानों से केवल यह संकेत मिलता है कि न्यायाधीश लोया ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद मेडिट्रिना अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। उनके अनुसार, चश्मदीद गवाहों के विवरण विषाक्तता सहित मृत्यु के अन्य कारणों के अनुरूप होंगे। वस्तुतः

अपनी दलीलों के अंत में, श्री भूषण ने इस अदालत से पूछा कि क्या पीठ के दो सदस्य *(*न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई.

चंद्रचूड़*)* इस मामले की सुनवाई करना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के नाते वे पहले चार न्यायिक अधिकारियों और दो न्यायाधीशों *(*न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति शुकरे*)* से परिचित रहे हों। उनके सवाल के जवाब में हमने श्री भूषण से पूछा था कि क्या वह अलग होने के लिए आवेदन दायर करने का इरादा रखते हैं। अलग होने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है। श्री भूषण ने कहा है कि वह मामला वहीं छोड़ देते हैं।

ई श्री पल्लव शिशोदियाः

20. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पल्लव शिशोदिया ने अपनी दलीलों में आग्रह किया है किः

"इन कहानियों ने हमारी न्यायिक प्रणाली की अखंडता पर आक्षेपों, प्रश्नों और दोषारोपण के युद्ध को जन्म दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट कार्यवाही को एक प्रतिष्ठित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रतिध्वनि मिली है और इसके कारण इस माननीय के कुछ न्यायाधीशों पर खुले तौर पर आक्षेप लगाए गए हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है। इन परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक स्वतंत्र जांच एक तरफा यातायात नहीं हो सकती है जिसमें आरोप लगाने वाले व्यक्ति संस्थानों में प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और विश्वास को हुए नुकसान की किसी भी जिम्मेदारी के बिना "हिट एंड रन" कर सकते हैं।

एफ श्री वी गिरीः

21. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि ने स्वतंत्र रूप से आग्रह किया है

अन्य विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा अदालत के समक्ष जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, उनके समान प्रस्तुतियाँ। पहले के वकील द्वारा जो तर्क दिया गया है, उनमें से अधिकांश को दोहराया गया है। उनके सहायक वकील ने उनके प्रत्युत्तर के दौरान आग्रह किया कि न्यायाधीश लोया के साथ मौजूद न्यायाधीश साजिश में एक पक्ष थे।

II महाराष्ट्र राज्य

ए हरीश साल्वेः

22. वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने कहा कि न्यायिक समीक्षा कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। हालांकि सलाह

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आरोपों की प्रकृति और प्रस्तुतियों की अवधि इंगित करती है कि प्रयास न्यायिक स्वतंत्रता पर एक प्रत्यक्ष हमला शुरू करना है। जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश एक कमजोर स्थिति में हैं और यह आग्रह किया गया कि यह और भी अधिक आवश्यक है। इस न्यायालय के लिए इस मामले के तथ्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील द्वारा किए गए अंधाधुंध हमलों से उन्हें बचाने के लिए अपने अधिकार का दावा करने के लिए।

बी श्री मुकल रोहतगीः

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि यद्यपि वर्तमान मामलों के समूह को जनहित में दायर याचिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वास्तविकता इस न्यायालय द्वारा उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल *1515* में प्रतिपादित सिद्धांतों से बहुत दूर है। याचिकाओं के साथ-साथ समर्थन में आग्रह किए गए प्रस्तुतिकरणों को बदनाम करने का प्रयास बनाते हैं

1 5 (2010) 3 एस. सी. सी. *402* आई. एस. ई. एन. पूनावाला बनाम।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

एरी और मुद्दे को सनसनीखेज बनाएं।

(i) न्यायाधीश लोया का *1* दिसंबर *2014* को नागपुर में निधन हो गया और उनके परिवार और दोस्तों की उपस्थिति में लातूर के पास गेटेगांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तीन साल बाद, *20* और *21* नवंबर *2017* को कारवां में लेख प्रकाशित हुए, जिसके बाद रिट याचिकाओं की झड़ी लग गई।*((ii)* आम तौर पर, यह न्यायालय केवल समाचार रिपोर्टों के आधार पर किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें प्रकृति में सुना जाता है। सभी याचिकाएं पूरी तरह से समाचार रिपोर्टों पर आधारित हैं। ज्ञान का स्रोत वे विवरण हैं जो प्रकाशित हुए हैं।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया;

(iii) उपरोक्त *(ii)* में प्रस्तुत करने के बावजूद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य न्यायिक सेवा में एक न्यायाधीश की मृत्यु मुद्दा है, महाराष्ट्र राज्य रखरखाव के आधार पर बर्खास्तगी के लिए दबाव नहीं डाल रहा है और अपनी प्रस्तुतियों का आग्रह करता है

न्यायालय के विवेक को संतुष्ट करने के गुण;

(iv) जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश लोया के दो सहयोगी न्यायाधीश कुलकर्णी और न्यायाधीश मोदक *29* नवंबर *2014* से *1* दिसंबर *2014* को उनकी मृत्यु तक उनके साथ थे। वे.

घटनाओं का एक स्पष्ट और ठोस विवरण प्रस्तुत किया है जो

हुआ था। उनके बयानों की पुष्टि की जाती है

दो अन्य न्यायिक अधिकारियों-न्यायाधीश राठी और न्यायाधीश बार्दे के बयान;

(v) इस अदालत द्वारा जांच का आदेश तभी दिया जा सकता है जब उसे *29* नवंबर *2014* की रात से *(*जब वे नागपुर के लिए मुंबई से रवाना हुए*) 1* दिसंबर *2014* की दोपहर तक *(*जब एम्बुलेंस गेटेगांव के लिए रवाना हुई*)* न्यायाधीश लोया के साथ आए जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के चश्मदीद गवाह के विवरण को अस्वीकार करने का पर्याप्त औचित्य मिले। न्यायाधीशों के बयान मामले की सच्चाई का एक प्रचुर प्रतिबिंब हैं। *1* दिसंबर *2014* को न्यायाधीश लोया की मृत्यु के बाद, मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीश, जिन्हें मृत्यु की सूचना दी गई थी, मृत्यु के तुरंत बाद मेडिट्रिना अस्पताल पहुंचे।*(vi)* अदालत के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या न्यायाधीश लोया की प्राकृतिक मृत्यु हुई या क्या ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह दर्शाता है कि मृत्यु अप्राकृतिक थी। अदालत को दांडे और मेडिट्रिना अस्पतालों में उनके द्वारा प्राप्त देखभाल या उपचार की प्रकृति का मूल्यांकन करने के लिए नहीं कहा जाता है।

) न्यायाधीश कुलकर्णी, न्यायाधीश मोदक, न्यायाधीश बार्दे और न्यायाधीश राठी के चार बयानों पर उनके हस्ताक्षर हैं। न्यायाधीश मोदक के बयान में कहा गया है कि न्यायाधीश लोया रवि भवन में एक ही कमरे में थे। चार न्यायाधीशों के बयानों में *1* दिसंबर *2014* को *0400* बजे से *0630* बजे तक का समय भी शामिल है। जिले के चार न्यायाधीशों के बयानों पर संदेह या संदेह करने का कोई कारण नहीं है

न्यायपालिका। उनके पास न तो पीसने के लिए कुल्हाड़ी है और न ही सच न बोलने का कोई मकसद है। मामूली विरोधाभासों के परिणामस्वरूप बयानों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे परिणाम के लिए नहीं हैं। छोटे-छोटे विरोधाभास वास्तव में स्वाभाविक होते हैं जब

तीन साल पहले हुई घटनाओं को याद किया जाता है। इसके अलावा, यह अदालत नियमित आपराधिक अपील की सुनवाई नहीं कर रही है।

एक पूर्ण परीक्षण के बाद;

i) ई. सी. जी. को दांडे अस्पताल में ले जाया गया और स्पष्ट रूप से मेडिट्रिना अस्पताल ले जाया गया। मेडिट्रिना अस्पताल के डॉक्टर के प्रगति नोट ईसीजी की प्रकृति का विज्ञापन करते हैं और यह भी रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण रूप से न्यायाधीश बार्दे ने इस तथ्य पर गवाही दी है कि एक ईसीजी किया गया था, हालांकि न्यायाधीश राठी ने कहा है कि दांडे अस्पताल में ईसीजी मशीन के नोड क्रम में नहीं थे;

मृत्यु होने के बाद, नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में धारा *174* सीआरपीसी के तहत जांच की गई थी। इसके बाद एक पोस्टमार्टम किया गया जिसमें संकेत दिया गया कि मृत्यु कोरोनरी के कारण हुई थी धमनी की अपर्याप्तता। न्यायाधीश लोया को मृत अवस्था में मेडिट्रिना अस्पताल लाए जाने के कारण पोस्टमार्टम की आवश्यकता पड़ी। *1* दिसंबर *2014* को विसरा के विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान

प्रयोगशाला से अनुरोध किया गया था। एफ. एस. एल. रिपोर्ट और *5* फरवरी *2015* की रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया है कि जहर का कोई निशान नहीं मिला था।

इस तथ्य के साथ कोई विश्वास नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि न्यायाधीश लोया का नाम बृजगोपाल के बजाय बृजमोहन के रूप में दर्ज किया गया था, आपातकाल को ध्यान में रखते हुए जिसमें उन्हें शुरू में दांडे अस्पताल और बाद में मेडिट्रिना ले जाया गया था।

त्रुटि *EEN* पूनावाला *v.* भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

10 दिसंबर *2014* को ठीक किया गया था;

मौत की रिपोर्ट शुरू में सीताबर्दी पुलिस स्टेशन नागपुर में दर्ज की गई थी। सदर पुलिस स्टेशन में मौत की रिपोर्ट बाद में दर्ज की गई क्योंकि रवि भवन सदर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, सदर पुलिस स्टेशन में मौत की रिपोर्ट सीताबर्दी पुलिस स्टेशन में दर्ज पहले की रिपोर्ट के आधार पर थी।

) यह देखते हुए कि मृत्यु के संबंध में संदेह का कोई वारंट नहीं था, कार्यपालिका को बंद करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया था

फरवरी *2016* में मजिस्ट्रेट;

(i) विवेकपूर्ण व्यवहार में कुछ भी अप्रिय नहीं था।

आयुक्त, एस. आई. डी. द्वारा जाँच। शुरू की गई थी जांच

20 और *21* को कारवां में समाचार रिपोर्ट आने के बाद

नवंबर *2017*। इस तरह की पूछताछ करते समय, एक समानांतर

राज्य द्वारा भ्रष्टाचार-रोधी नियमावली के आधार पर तैयार किया जाता है जिसमें एक विवेकी जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। यहां तक कि मैनुअल से स्वतंत्र, राज्य सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक जांच करने में उचित ठहराया गया था कि एक समाचार पत्रिका द्वारा आक्षेप लगाए गए थे।

न्यायाधीश की मृत्यु की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

जिला न्यायपालिका;

) विवेकी जाँच शुरू होने पर, चार न्यायिक अधिकारियों के 'कहने' को दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से एक प्राधिकरण प्राप्त किया गया था। उन्हें पत्र लिखे जाते थे। जज कुलकर्णी और जज बार्डे मुंबई में तैनात थे, जज

मोदक पुणे में तैनात थे और न्यायाधीश राठी बारामती में थे। डी. जी. पी. ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्राधिकरण के आदेश की एक हार्ड कॉपी पुणे और बारामती को भेजी। कोई कारण नहीं है

किसी भी संदेह पर विचार करने के लिए क्योंकि न्यायाधीशों ने प्राधिकरण की प्राप्ति के तुरंत बाद अपने बयान प्रस्तुत किए बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;

ओ महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों को संदेह है कि क्या तीनों न्यायाधीश रवि भवन में रुके थे, रिपोर्ट

कारवां में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि यह रवि भवन में था

कि वे अपनी नागपुर यात्रा के दौरान रुके थे;

i) 11 [2018] 9 एस. सी. आर. पर कारवां रिपोर्ट के प्रकाशन के तुरंत बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फरवरी *2018* में डॉ. शर्मा द्वारा कथित रूप से दी गई राय के संदर्भ में, राय के संदर्भ में *14* फरवरी *2018* को एम्स को दो पत्र लिखे गए थे। एम्स ने अपने जवाब में विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि ऐसी जानकारी देना कोई प्रथा नहीं है। डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कारवां ने उन्हें पूरी तरह से गलत तरीके से उद्धृत किया था और लेख में दिए गए निष्कर्ष काल्पनिक हैं।

(xvii) नागपुर के पुलिस निरीक्षक ने एक संदेश को संबोधित किया

डॉ. हरीश पाठक, केईएम अस्पताल, मुंबई में फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रमुख। डॉ. पाठक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पोस्टमॉर्टम और हिस्टो-पैथोलॉजी रिपोर्ट में निष्कर्ष हैं

तीव्र कोरोनरी अपर्याप्तता का संकेत;

(xviii) जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं ने आचरण किया है

उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के एक आदेश पर श्री दवे द्वारा कई याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक अभियोजन को रद्द करते हुए, जिनमे से चौथा याचिकाकर्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस थे, की निर्भरता से जुड़े उपाख्यान स्वयं स्पष्ट हैं। जिस तरह से इस अदालत के समक्ष उस आदेश पर निर्भरता रखी गई है, वह इंगित करता है कि ये कार्यवाहियां प्रामाणिक रूप से स्थापित नहीं हैं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था को नष्ट करने का एक स्पष्ट प्रयास है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर स्वतंत्रता और आक्षेप लगाना; और

(xix) अखबार के लेख के प्रकाशन का समय राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि यह गुजरात विधानसभा के चुनावों के साथ हुआ था। यह आग्रह किया जाता है कि इसका उद्देश्य न्यायालय की प्रक्रिया को शामिल करके एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को निशाना बनाना है।

डी विश्लेषण *25.* श्री डेव ने प्रस्तुत किया कि रिट में औपचारिक रूप से नोटिस जारी किया जाए

शासन और राज्य को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा जाना चाहिए

याचिकाओं के लिए। वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बार शपथ पत्र हैंयह याचिकाकर्ताओं के लिए झूठी गवाही के लिए कदम उठाने के लिए खुला होगा, यदि

अदालत के समक्ष बयान दिया गया है।

26. इस प्रस्तुति से निपटने के दौरान, तहसीन पूनावाला *v* को दर्ज करना आवश्यक है।

कि प्रक्रियात्मक निर्देशों के अनुसरण में जो इस दौरान जारी किए गए थे

पहली सुनवाई के दौरान, राज्य ने अभिलेख पर दस्तावेजों का संकलन दाखिल किया है। सभी चुनाव लड़ने वाले पक्ष उपस्थित हुए हैं और उनकी बात सुनी गई है। राज्य द्वारा दायर दस्तावेजी सामग्री को अदालत में प्रस्तुत किया गया है और यह न्यायिक कार्यवाही के रिकॉर्ड का हिस्सा है। अदालत के समक्ष रखी गई दस्तावेजी सामग्री से उत्पन्न होने वाली तथ्यात्मक स्थिति पर किसी पुलिस अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा कोई भी हलफनामा सुधार नहीं कर सकता है। एक बार जब यह स्थिति बन जाती है, तो राज्य और उसके अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड में रखी गई सभी चीजों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अदालत के समक्ष कार्यवाही में पेश की गई दस्तावेजी सामग्री से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी परिणाम का सामना करना चाहिए। अदालत के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या इस अदालत के निर्देश पर न्यायाधीश लोया की मृत्यु की जांच की आवश्यकता है। यह वास्तव में जांच की प्रकृति पर निर्भर करेगा जो की की गई है। बाद वाला रिकॉर्ड का विषय है। हलफनामे राज्य के आधिकारिक रिकॉर्ड में सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, महाराष्ट्र राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार आगे कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिए तैयार होगी।

राज्य के वकील को दस्तावेज़, यदि किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। हमने प्रक्रिया की तकनीकीताओं को ध्यान में रखे बिना राज्य द्वारा प्रस्तुत सामग्री के अलावा याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों के वकील द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री, वकील की सहायता से भी जांच की है। मुकदमों के इस समूह की पूरी तरह से सुनवाई हुई है। न्यायिक बैठक की दस तारीखों पर सुनवाई बुलाई गई है। हम इस स्तर पर राज्य से हलफनामा दायर करने का आह्वान करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं क्योंकि सभी पक्षों और उनके वकील को हर पहलू पर प्रस्तुतियों को संबोधित करने के लिए एक पूर्ण और पूर्ण अवसर दिया गया है। वह मामला जिसे वे संबोधित करना चाहते हैं। पूरा रिकॉर्ड इससे पहले है

अदालत।

धारा *174* दंड प्रक्रिया संहिता

27. दंड प्रक्रिया संहिता *1973* की धारा *174* में प्रावधान है

इस प्रकारः

"174. पुलिस पूछताछ करेगी और आत्महत्या आदि पर रिपोर्ट करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) जब किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त कोई अन्य पुलिस अधिकारी उस ओर से यह सूचना प्राप्त होती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी जानवर द्वारा या मशीनरी द्वारा या दुर्घटना से उसकी हत्या कर दी गई है, या परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई है, जिससे यह उचित संदेह पैदा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है, वह तुरंत इसकी सूचना निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देगा जो जांच करने के लिए सशक्त है, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी नियम द्वारा या जिला या उप-मंडल मजिस्ट्रेट के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है, तब तक वह उस स्थान पर जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शव है, और वहां, पड़ोस के दो या अधिक सम्मानित निवासियों की उपस्थिति में, जांच करेगा, और ऐसे घावों, फ्रैक्चर, चोटों और अन्य निशानों का वर्णन करते हुए मृत्यु के स्पष्ट कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनमें से इतने सारे लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो इसमें सहमत हों, और

((ii) यह मामला किसी भी परिस्थिति में किसी महिला की उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई मृत्यु से संबंधित है। संदेह है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में अपराध किया है; या

उसकी शादी और महिला के किसी रिश्तेदार ने इस संबंध में अनुरोध किया है; या *((iv)* मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह है; या

(v) पुलिस अधिकारी किसी अन्य कारण से ऐसा करना समीचीन समझता है, वह ऐसा करेगा। ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करे, निकाय को इसके लिए आगे बढ़ाएँ। निकटतम सिविल सर्जन, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अन्य योग्य चिकित्सा व्यक्ति से जाँच की जा रही है, यदि तहसीन पूनावाला *v.*

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मौसम की स्थिति और दूरी स्वीकार करती है कि सड़क पर इस तरह के सड़ने के जोखिम के बिना इसे आगे बढ़ाया जा रहा है

इस तरह की परीक्षा को बेकार कर दें।
(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेटों को जांच करने का अधिकार है, अर्थात्, कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट और कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त है।

28. धारा *174* एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के अपराध करने की जानकारी प्राप्त की जाती है।

आत्महत्या करना, या मार दिया जाना *(i)* किसी अन्य द्वारा; या *(ii)* किसी जानवर द्वारा; या *(iii)* मशीनरी द्वारा या *(iv)* दुर्घटना से या परिस्थितियों में मृत्यु होने से एक उचित संदेह पैदा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है। इनमें से किसी भी स्थिति में, पुलिस अधिकारी से निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना देने की आवश्यकता होती है जो

पूछताछ करने का अधिकार। उसे उस स्थान पर जाना पड़ता है जहाँ शव स्थित है और दो गवाहों की उपस्थिति में जाँच करने और मृत्यु के स्पष्ट कारण की रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में उन घावों का वर्णन किया जाएगा जिनमें चोट के निशान भी शामिल हैं जो शरीर पर पाए जाते हैं और किस तरीके से या किस हथियार से।

ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कोई उपकरण लगाया गया है। *29.* जाँच आयोजित करने का उद्देश्य सीमित है। जाँच रिपोर्ट ठोस सबूत नहीं बनाती है। इसलिए कैसे संबंधित मामले

मृतक पर हमला किया गया था या जिसने उस पर हमला किया था और किन परिस्थितियों में रिपोर्ट के दायरे से बाहर हैं। जाँच की रिपोर्ट

इसका मुख्य उद्देश्य चोटों की प्रकृति और मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाना है। दूसरी ओर, यह डॉक्टर है जो एक पोस्टमॉर्टम परीक्षा करता है जो एक मेडिको से शरीर की जांच करता है-कानूनी

दृष्टिकोण। इसलिए यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है जिसमें वैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से चोटों का विवरण होने की उम्मीद है।

30. सी. आर. पी. सी. की धारा *174* के तहत जांच का दायरा है

इस अदालत के कई फैसलों पर विचार किया गया। पेद्दा नारायण में

16 मधु बनाम कर्नाटक राज्य *(2014) 12* एस. सी. सी. *419;* राधा मोहन सिंह @लाल साहेब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *(2006) 2* एस. सी. सी. *450;* महेंद्र राय बनाम मिथलेश राय *(1997) 10* एस. सी. सी. *605* अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह *(2003) 2* एस. सी. सी. *518;* सुरेश राय बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. *2000* एस. सी. *2207* और शुक्ला खादर बनाम नौशेर गामा *(1975) 4* एस. सी. सी. *122* *17 (1975) 4* एस. सी. सी *153 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

v आंध्र प्रदेश राज्य *1 7,* इस न्यायालय ने समझाया कि इस तरह की जांच का सीमित दायरा यह पता लगाना है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है या अप्राकृतिक मृत्यु हुई है और, यदि यह मामला था, तो स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण। अदालत ने कहाः

"धारा *174* के तहत कार्यवाही का दायरा बहुत सीमित है। कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह पता लगाना है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है या अप्राकृतिक मृत्यु हुई है और यदि ऐसा है तो मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है। द.

मृतक पर हमला कैसे किया गया या उस पर हमला किसने किया या वह किन परिस्थितियों में था, इसके विवरण के बारे में सवाल
हमला धारा *174* के तहत कार्यवाही के दायरे और दायरे के लिए विदेशी है। न तो व्यवहार में और न ही कानून में पुलिस के लिए जांच रिपोर्ट में उन विवरणों का उल्लेख करना आवश्यक था।

इस सिद्धांत को अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह *(ऊपर)* में दोहराया गया था जहां अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की थीः

पड़ोस। इस धारा में इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि जिस तरीके से घटना हुई या अभियुक्तों के नाम जांच रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाने चाहिए। मूल उद्देश्य
जाँच आयोजित करना मृत्यु के स्पष्ट कारण के बारे में रिपोर्ट करना है, अर्थात्, क्या यह आत्महत्या, हत्या, आकस्मिक या किसी तंत्र द्वारा आदि है। *(*पेज *641* पर आईडी*)* "

पेद्दा नारायण *(ऊपर)* के विचार को खुज्जी @सुरेंद्र तिवारी बनाम मध्य राज्य मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंजूरी दी है।

प्रदेश *18 1 8.* इसलिए राधा मोहन सिंह उपनाम लाल साहेब बनाम *U.P.[1]9 19* के राज्य में, तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांत तैयार कियाः

"इस प्रकार, इस न्यायालय के कई निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय हो जाता है कि जांच आयोजित करने का उद्देश्य बहुत सीमित है। यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी जानवर द्वारा या मशीनरी द्वारा या दुर्घटना से मारा गया है या नहीं।

18 (1991) 3 एस. सी. सी. *627*

1 9 19 (2006) 2 एस. सी. सी *450* तहसीन पूनावाला बनाम।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है जो एक उचित संदेह पैदा करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है। एफ. आई. आर. के विवरण, अभियुक्तों के नाम या चश्मदीद गवाहों के नाम या सारांश का उल्लेख करने की कानून में कोई आवश्यकता नहीं है।

उनके बयान, और न ही किसी के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है

प्रत्यक्षदर्शी "।

मधु उपनाम में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ

मधुरनाथ बनाम कर्नाटक राज्य ने कहा है कि एक जांच रिपोर्ट ठोस सबूत नहीं है। मनोज कुमार शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य *2-1* वाले मामले में दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि धारा *174* और *175* के तहत आकस्मिक या संदिग्ध मौतों के मामलों में 'जांच' का उद्देश्य धारा *174* और *175* के तहत आकस्मिक या संदिग्ध मौतों के मामलों में 'जांच' से अलग है।

'संहिता की धारा *157* के तहत 'जांच' जिसके तहत यदि कोई अधिकारी

एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी के पास एक अपराध के होने पर संदेह करने का कारण है जिसकी जांच करने का उसे अधिकार है, वह व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेगा।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए मौके पर। इस सिद्धांत को दोहराते हुए, बिमला देवी बनाम राजेश सिंह *22* मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियों में धारा *174* के प्रावधानों के दायरे को समझायाः

यह स्पष्ट हो जाता है कि इस खंड का उद्देश्य बरामद किए गए शरीर पर पहली नज़र को संरक्षित करना है और इसमें हर विवरण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। सूचना देने वाले के नाम पर केवल अधिलेखन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
कार्यवाही "।

यही स्थिति हाल ही में दो न्यायाधीशों की पीठ के एक फैसले में योगीश सिंह बनाम महाबीर सिंह *2 3* में निर्धारित की गई है:

20 (2014) 12 एससीसी *419* *21 21 (2016) 9* एससीसी *1*

22 (2016) 15 एस. सी. सी. *448* *23 (2017) 11* एससीसी *195 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" *41.* इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *174* के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट का साक्ष्य मूल्य भी इस न्यायालय की न्यायिक घोषणाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से लंबे समय से तय किया गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जाँच रिपोर्ट सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है और केवल जाँच के गवाहों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए देखा जा सकता है। इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने का उद्देश्य केवल मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाना है, अर्थात्, क्या यह आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना या जानवरों या मशीनरी आदि के कारण हुई है और यह बताना है कि शरीर पर किस तरीके से, या किस हथियार या उपकरण से चोटें लगी हैं। *(* पेड्डा देखें।

नारायण बनाम. एपी का राज्य *[*पेद्दा नारायण बनाम। ए. पी. राज्य, *(1975) 4* एस. सी. सी. *153: 1975* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 427]*, खुज्जी बनाम। एम. पी. राज्य *[*खुज्जी बनाम। एम. पी. राज्य, *(1991) 3* एस. सी. सी. *627: 1991* एससीसी

सिंह बनाम। बलविंदर सिंह, *(2003) 2* एससीसी *518: 2003* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 641]*, राधा मोहन सिंह बनाम। यू. पी. राज्य *[*राधा मोहन
सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(2006) 2* एस. सी. सी. *450: (2006) 1* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 661* और शंभू दास बनाम। असम राज्य *[*शंभू दास बनाम। असम राज्य *(2010) 10* एस. सी. सी. *374: (2010) 3* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 1301]*। "

31. धारा *174* की उप-धारा *(3)* में पुलिस अधिकारी से शव को निकटतम सिविल सर्जन को जांच के लिए भेजने की आवश्यकता होती है, या

मामला, वहाँ निर्धारित परिस्थितियों में, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधिवत योग्य चिकित्सा व्यक्ति के लिए हो सकता है। परिस्थितियों में, खंड *(iv)* एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां मृत्यु के कारण के

बारे में कोई संदेह है जबकि खंड *(v)* एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है। धारा *174* की उप-धारा *(4)* निर्दिष्ट करती है कि जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल

मजिस्ट्रेट और विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट पूछताछ कर सकते हैं। धारा *175* के तहत, धारा *174* के तहत कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को जांच के उद्देश्यों के लिए तलब करने का अधिकार है। धारा *176* के तहत, जहां मामला धारा *174* की उप-धारा *(3)* के खंड *(i)* या *(ii)* में निर्दिष्ट प्रकृति का है, वहां जाँच करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट सी. एच. एस. ई. एन. पूनावाला *v.* के कारण की जाँच करेगा।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*पुलिस द्वारा की गई जाँच के बजाय या उसके अतिरिक्त। धारा *174* की उप-धारा *(1)* में उल्लिखित किसी अन्य मामले में मजिस्ट्रेट जांच कर सकते हैं। धारा *175* और *176* इस प्रकार प्रदान करती हैं -

वीएसः

" 175. व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति।

(1) धारा *174* के तहत कार्यवाही करने वाला एक पुलिस अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को समन कर सकता है।

उक्त जाँच का उद्देश्य, और कोई अन्य व्यक्ति जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है और प्रत्येक व्यक्ति

(2) यदि तथ्य एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं जिसके लिए धारा *170* लागू होती है, तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होगी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पुलिस अधिकारी।

176. मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच।

(1) 2 जब मामला धारा *174* की उप-धारा *(3)* के खंड *(i)* या खंड *(ii)* में निर्दिष्ट प्रकृति का हो तो निकटतम मजिस्ट्रेट-जो जांच करने के लिए सशक्त है, और किसी अन्य मामले में। धारा *174* की उप-धारा *(1)* में उल्लिखित मामले में, इस प्रकार सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के बजाय या उसके अतिरिक्त मृत्यु के कारण की जांच कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो उसे ऐसा करने की सभी शक्तियां होंगी।

जिसे वह किसी अपराध की जाँच कराने में प्रयोग करेगा।

(1(क) कहाँ -

कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या

बलात्कार का आरोप किसी भी महिला पर लगाया गया है,

जबकि ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस की अभिरक्षा में है या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है, इस संहिता के तहत पुलिस द्वारा की गई जांच या जांच के अलावा, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी, जिसके भीतर मामला हो सकता है।

अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है।

(2) इस तरह की जांच करने वाला मजिस्ट्रेट *[2018] 9* एस. सी. आर. दर्ज करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) जब भी ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति के शव की जांच करना समीचीन समझता है जिसे पहले ही दफनाया जा चुका है, ताकि उसकी मृत्यु के कारण का पता लगाया जा सके, तो मजिस्ट्रेट शव को अलग कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है।
(4) जहाँ इस धारा के तहत जांच की जानी है, मजिस्ट्रेट, जहाँ भी व्यवहार्य हो, मृतक के रिश्तेदारों को सूचित करेगा जिनके नाम और पते ज्ञात हैं, और उन्हें अनुमति देगा

पूछताछ में उपस्थित रहें।

(5) न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी या यथास्थिति,
उप-धारा *(1* ए*)* के तहत जांच, किसी व्यक्ति की मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर, शव को इस दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अन्य योग्य चिकित्सा व्यक्ति को भेजा जाएगा, जब तक कि निम्नलिखित कारणों से ऐसा करना संभव न हो।

लिखित रूप में दर्ज किया जाए।

स्पष्टीकरण। - इस खंड में, "रिश्तेदार" अभिव्यक्ति का अर्थ है माता-पिता, बच्चे, भाई, बहन और जीवनसाथी।

दस्तावेजी सामग्री

32. उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, अभिलेख पर सामग्री की जांच करना आवश्यक है। हम शुरू में विश्लेषण के लिए आगे बढ़ेंगे।

दस्तावेजी सामग्री जिसे महाराष्ट्र राज्य द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया है। चूंकि न्यायिक अधिकारियों के बयान जो विवेकी जांच के दौरान दर्ज किए गए थे, वे काफी तर्क का विषय रहे हैं, इसलिए हम फैसले के बाद के हिस्से में उनका विश्लेषण करेंगे।

33. जज लोया को *1* दिसंबर *2014* को सुबह *6.15* बजे नागपुर के मेडिट्रिना अस्पताल लाया गया था। मेडिट्रिना के डॉ. एन. बी. गवांडे ने निम्नलिखित विषय पर पीएसआई, सिताबर्दी पुलिस स्टेशन को एक पत्र संबोधित कियाः

"एम. एल. सी. अस्पताल में जानकारी-रोगी की मृत्यु/मृत लाया गया "।

संचार में कहा गया है कि मृतक को पूर्ववर्ती सीने में दर्द के इतिहास के साथ "हमारे अस्पताल में जीवन का कोई सबूत नहीं लाया गया था"। बताया जा रहा है कि मरीज एक समारोह में भाग लेने के लिए नागपुर आया था।

तहसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मरीज को भर्ती करने वाले व्यक्ति को श्रीकांत डी. कुलकर्णी के रूप में दर्ज किया गया है। रोगी के साथ उसके संबंध को "मित्र" के रूप में वर्णित किया गया है। मौत का संभावित कारण अज्ञात बताया जा रहा है। सलाहकार का नाम डॉ. पंकज हरकुट है।

34. मेडिट्रिना अस्पताल के डॉक्टर के प्रगति टिप्पणियों में मृत्यु का सारांश है। यह दर्ज करता है कि द्वारा दिए गए इतिहास के अनुसार

साथी व्यक्तियों, रोगी को पूर्ववर्ती सीने में दर्द का सामना करना पड़ा था

ठीक पिछली रात के दौरान। इसमें कहा गया है कि मरीज को दांडे अस्पताल ले जाया गया जहां ईसीजी किया गया। ई. सी. जी. *(*यह दर्ज किया गया है*)* ने पूर्ववर्ती सीसे में एक "लंबा 'टी" प्रतिबिंबित किया और यह कि रोगी स्थानांतरित किए जाने के दौरान गिर गया। मृत्यु सारांश आगे बताता है कि अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद पुनर्जीवन शुरू कर दिया गया था और आपातकालीन दवा प्रदान की गई थी। रोगी को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों को दर्ज किया गया है और यह कहा गया है कि पुनर्जीवित प्रयासों के बावजूद, रोगी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका और *1* दिसंबर *2014* को सुबह *6.15* बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु सारांश

अभिलिखित करता है कि मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमॉर्टम की सलाह दी गई थी। तदनुसार मेडिट्रिना में ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी द्वारा *1* दिसंबर *2014* को एक मृत्यु रिपोर्ट जारी की गई थी। पोस्टमॉर्टम आवश्यक हो गया

क्योंकि, जज लोया को 'मृत' लाया गया था। *35. 1* दिसंबर *2014* को सुबह *8:30* बजे, सिताबर्दी के पुलिस स्टेशन *(*जिसके अधिकार क्षेत्र में मेडिट्रिना अस्पताल स्थित है*)* ने दर्ज किया कि

डॉ. प्रशांत बी राठी का बयान। बयान में कहा गया है कि मृतक अपने चाचा का रिश्तेदार था। मृतक एक शादी में शामिल होने के लिए नागपुर गया था और सिविल लाइंस के रवि भवन में रह रहा था। जब उन्होंने *0400* बजे सीने में दर्द की शिकायत की, तो उन्हें मेडिट्रिना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें *0600* बजे "मृत लाया" घोषित कर दिया गया। डॉ. प्रशांत राठी के बयान के आधार पर, मृत्यु रिपोर्ट *(*मार्गखबरी*)* सीआरपीसी की धारा *174* के तहत एडी *00/14* के साथ तैयार की गई थी। डॉ. राठी के बयान को मृत्यु रिपोर्ट में पुनः प्रस्तुत किया गया है और इसका शीर्षक "नकल बयान" है *(*ऐसा इसलिए है क्योंकि बयान को पुनः प्रस्तुत किया गया है*)*। मृत्यु रिपोर्ट में पी. एस. आई. आर. के. मुंढे का समर्थन है, जो कर्तव्य है। डॉ. राठी के बयान के आधार पर आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज करने और शव की देखभाल के लिए पुलिस कांस्टेबल पंकज को भेजने के लिए *30* नवंबर *2014* को *2100* बजे से *1* दिसंबर *2014* को *0900* बजे तक अधिकारी।

36. सरकारी चिकित्सा अस्पताल, नागपुर ने शव प्राप्त किया *[2018] 9* एस. सी. आर.

1 दिसंबर *2014* को सुबह *10* बजे पोस्टमार्टम के लिए। एक पूछताछ पंचनामा सुबह *10* बजे शुरू हुआ और दो पंचों की उपस्थिति में सुबह *1* बजे समाप्त हुआ। सीताबर्दी पुलिस स्टेशन से जुड़े पी. एस. आई. मुंढे ने जांच की। जाँच पंचनामा मृत शरीर की स्थिति को नोट करता है और इसमें चोट या हमले का कोई निशान नहीं मिलता है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास भेज दिया गया। डॉ. एन. के. तुमराम की *1* दिसंबर *2014* की एक अग्रिम रिपोर्ट है

सरकारी मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक मेडिसिन विभाग ने दर्ज किया कि मृत्यु का संभावित कारण "कोरोनरी धमनी" है अपर्याप्तता "। *1* दिसंबर *2014* की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड

कि शारीरिक चोट का कोई प्रमाण नहीं है। ड्यूरा और मस्तिष्क भीड़भाड़ वाले और क्षीण पाए जाते हैं। फेफड़े भी भीड़भाड़ वाली स्थिति में पाए जाते हैं। हृदय भीड़भाड़ वाला पाया जाता है। यह पोस्ट

मुर्दाघर रिकॉर्ड करता है कि बाईं ओर आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का प्रमाण है

कैल्सीफिकेशन के साथ कोरोनरी और बाईं पूर्ववर्ती अवरोही धमनी। यह धमनी के संकुचित होने और बाएं निलय के उच्च रक्तचाप के साक्ष्य को दर्ज करता है। महाधमनी की भीतरी दीवार में पट्टिका के प्रमाण पाए जाते हैं। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पेट, यकृत, गुर्दे और रक्त के नमूनों को हिस्टो-पैथोलॉजिकल परीक्षा के लिए संरक्षित किया गया था। मृत्यु का संभावित कारण "कोरोनरी धमनी की अपर्याप्तता" के रूप में दर्ज किया गया है।

सिताबर्दी पुलिस स्टेशन द्वारा प्राप्त किया गया था। *38.* सीताबर्दी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर सदर के पुलिस स्टेशन ने सीआरपीसी की धारा *174* के तहत आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट *(*एडी *44/14)* दर्ज की। मृत्यु रिपोर्ट में एक बयान है कि *1* दिसंबर *2014* को डे ड्यूटी अधिकारी पीएसआई वारपाडे को पुलिस कांस्टेबल पंकज से एडी *00/14* की केस डायरी मिली थी और उन्होंने सीआरपीसी की धारा *174* के तहत एडी *44/14* दर्ज किया था। सदर पुलिस स्टेशन में एडी का पंजीकरण *1* दिसंबर *2014* को *1600* बजे है। रवि भवन सदर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

39. 1 दिसंबर *2014* को सदर पुलिस स्टेशन के ड्यूटी अधिकारी ने फॉरेंसिक के उप निदेशक को एक संदेश भेजा।

धंतोली, नागपुर की प्रयोगशाला ने रासायनिक विश्लेषण की मांग की। विसरा और रक्त की एक बोतल के नमूने जिन्हें संरक्षित किया गया था। नमूनों का विश्लेषण *5* जनवरी *2015* को शुरू हुआ और तहसीन पूनावाला बनाम पर समाप्त हुआ।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

19 जनवरी *2015*। *5* फरवरी *2015* को क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक रासायनिक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा किः

"सामान्य और विशिष्टः रासायनिक परीक्षण प्रदर्शनी संख्या में किसी भी जहर का खुलासा नहीं करता है। *(1) , (2)* और *(3)* "।

प्रदर्शनी *(1), (2)* और *(3)* क्रमशः पेट, यकृत, प्लीहा और गुर्दे और रक्त के नमूने हैं। *40.* मेडिट्रिना अस्पताल के अभिलेखों में मृतक का नाम बृजमोहन एच लोया के रूप में संदर्भित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से कि मृतक का नाम शुरू में बृजमोहन हरिकिशन लोया के रूप में दर्ज किया गया था। मेडिट्रिना अस्पताल के अभिलेखों के साथ-साथ पोस्टमॉर्टम में मृतक का पता हाजी अली सरकारी कॉलोनी, इमारत नं. *11* , मुंबई। यह निर्विवाद है कि यह वह जगह है जहाँ न्यायाधीश लोया रहते थे। इसलिए जिस शव का पोस्टमार्टम किया गया था, उसकी पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं है। *10* दिसंबर *2014* को

सदर पुलिस स्टेशन के पीएसआई ने सरकारी मेडिकल अस्पताल को एक पत्र संबोधित किया जिसमें मृतक के नाम में बृजगोपाल हरिकिशन लोया के रूप में सुधार की मांग की गई। *10* दिसंबर *2014* को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर सुधार का समर्थन किया गया था।

41. फरवरी *2016* में, सदर पुलिस स्टेशन ने *2* फरवरी *2016* को मृत्यु सारांश *No.07/16* का संदर्भ देते हुए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक संचार संबोधित किया। सारांश में लिखा है कि *1* दिसंबर *2014* को सदर के पुलिस स्टेशन को सीताबर्दी पुलिस स्टेशन से *AD004/14* प्राप्त हुआ था। केस डायरी को देखने पर, यह देखा गया कि घटना स्थल सदर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में था। इसलिए ए. डी. *44/14* को पी. सी. की धारा *174* के तहत दर्ज किया गया था। दो पंच गवाहों की उपस्थिति में पीएसआई मुंढे द्वारा एक पूछताछ पंचनामा तैयार किया गया था। फॉरेंसिक विभाग के डॉ. एन. के. तुमराम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम किया। चिकित्सा विभाग। पोस्टमार्टम के बाद शव को मृतक के रिश्तेदार डॉ. प्रशांत राठी को सौंप दिया गया। जाँच के दौरान, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह पता चला है कि मृत्यु का कारण कोरोनरी धमनी की कमी थी। डॉ. तुमराम के साथ इस मामले पर चर्चा करने पर यह पता चला कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और मौत के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच के दौरान गेटेगांव, जिला लातूर के पुलिस स्टेशन से संपर्क किया गया जब यह सूचित किया गया कि मृतक के रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं। डॉ. प्रशांत राठी ने सूचित किया था कि मृतक एक शादी में शामिल होने के लिए नागपुर गया था; घटना की तारीख को सुबह *4* बजे उसके सीने में दर्द होने लगा और उसे मेडिट्रिना में भर्ती कराया गया।

अस्पताल जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सारांश में लिखा है कि जज लोया की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उसके रिश्तेदारों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन या पीएस सदर में मौत के कारण के संबंध में किसी भी संदेह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की है और चिकित्सा अधिकारी ने मामला दर्ज किया है।

पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण दिल का दौरा पड़ा और हमले का कोई सबूत नहीं था। तदनुसार सारांश विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सदर डिवीजन, नागपुर को प्रस्तुत किया गया था।

चार न्यायिक अधिकारियों के बयान

42. अब यह इस पृष्ठभूमि में है कि यह आवश्यक होगा

नवंबर *2017* में विवेकी जांच के दौरान दर्ज किए गए न्यायिक अधिकारियों के बयानों का विज्ञापन करें। *20* और *21* नवंबर *2017* को कारवां में प्रकाशित रिपोर्टों के बाद राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा *23* नवंबर *2017* को एक गोपनीय जांच का आदेश दिया गया था। श्री रोहतगी ने बताया है कि

न्यायालय ने कहा कि विवेकी जांच का आदेश देते हुए, राज्य ने अपनी सतर्कता नियमावली के प्रावधानों का सहारा लिया। निर्देश पुस्तिका में उस प्रक्रिया का प्रावधान है जिसका विवेकपूर्ण पूछताछ करने में पालन किया जाना है। वर्तमान मामले में, कारवां में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के बाद, राज्य न्यायिक सेवा के एक न्यायाधीश की मृत्यु होने के कारण, विशेष रूप से समाचार रिपोर्टों में निहित तर्कों के संदर्भ में एक विवेकपूर्ण जांच का आदेश दिया गया था। नियमावली के अलावा, राज्य सरकार को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह की जांच करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

43. राज्य खुफिया विभाग के आयुक्त ने मांग की

न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी *(*सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण*)*, न्यायाधीश मोदक *(*प्रधान जिला न्यायाधीश, पुणे*)*, न्यायाधीश बर्दे *(*जिला न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई*)* और न्यायाधीश आर. आर. राठी *(*जिला न्यायाधीश, बारामती*)* की राय दर्ज करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति। *23* के एक संचार द्वारा

नवंबर *2017* में, महापंजीयक ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा करने की अनुमति दी थी। अनुमति मिलने के बाद एस. आई. डी. के आयुक्त ने चार न्यायिक अधिकारियों को पत्र लिखा।

उन्होंने निविदा दी-चसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

डी कथन।

44. 24 नवंबर *2017* को न्यायाधीश कुलकर्णी का बयान नीचे दिया गया हैः

"संदर्भः आपका पत्र संख्या-सी. ओ. आई./पी. ए./लोया/डी. ई./*2017-165*

साहब,

आपके पत्र के संदर्भ में, मैं इसके द्वारा संक्षिप्त क्रम/कथन प्रस्तुत करता हूँ।

नागपुर में श्री बी. एच. लोया की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे में।

नवंबर-दिसंबर *2014* के महीने में, मैं काम कर रहा था

पंजीयक *(*न्यायिक-*I)*, अपीलीय पक्ष, उच्च न्यायालय, बॉम्बे। श्रीमती स्वप्ना जोशी महाराष्ट्र राज्य की सदस्य सचिव थीं।

उस समय कानूनी सेवा प्राधिकरण और वह सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई में काम करते हुए मेरी प्रधान न्यायाधीश थीं। उन्होंने मुझे, मेरे सहयोगी श्री एस. एम. मोदक और श्री बी. एच. लोया को, जो सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई में काम कर रहे थे, नागपुर में अपने बेटे की शादी के लिए आमंत्रित किया था।

तदनुसार, मैं श्री एस. एम. मोदक और श्री बी. एच. लोया के साथ *29* नवंबर, *2014* की रात को ट्रेन से मुंबई से रवाना हुआ और *30* नवंबर, *2014* की सुबह नागपुर पहुँचा। हम रवि के पास गए।

भवन गवर्नमेंट गेस्ट हाउस जहाँ वी. आई. पी. सूट बुक किया गया था।

30 नवंबर, *2014* की रात को हम श्रीमती स्वप्ना जोशी द्वारा उनके बेटे की शादी के कारण आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए और लगभग *30* बजे रवि भवन सरकारी अतिथि गृह लौट आए।

11.30 दोपहर से *12.00* आधी रात तक।

1 दिसंबर *2014* की सुबह श्री लोया ने सीने में दर्द की शिकायत करनी शुरू कर दी। मैंने नागपुर के अपने एक अन्य भाई जज श्री बर्दे को उनके सेल फोन पर फोन किया और श्री लोया की खराब सेहत के कारण उन्हें अपनी कार के साथ तुरंत रवि भवन सरकारी गेस्ट हाउस जाने के लिए कहा। तदनुसार, श्री बार्दे अपने एक अन्य सहयोगी श्री राठी के साथ रवि भवन सरकारी अतिथि गृह पहुंचे। सुबह लगभग *4* बजे से *4.15* बजे तक का समय था। न्यायाधीश श्री वाइकर को भी श्री लोया के खराब स्वास्थ्य के बारे में सूचित किया गया। हम श्री लोया को श्री बर्दे की कार से पास के दांडे अस्पताल ले गए जहाँ श्री लोया का आपातकालीन उपचार किया गया। न्यायाधीश श्री वाइकर भी अपनी कार से वहाँ शामिल हुए।

दर्द जारी रहा। डॉक्टर की सलाह के अनुसार श्री लोया को कार्डियक अस्पताल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, श्री लोया थे तुरंत मेडिट्रिना अस्पताल, नागपुर ले जाया गया। हम उनके साथ गाड़ी में गए। श्री राठी जो डिप्टी के रूप में काम कर रहे थे

पंजीयक ने अपने रिश्तेदार डॉक्टर को मेडिट्रिना अस्पताल ले जाने के लिए बुलाया। हम लोग तुरंत मेडिट्रिना अस्पताल पहुँचे, लेकिन रास्ते में श्री लोया गिर पड़े। हमने उसे स्ट्रेचर पर रखा और आई. सी. यू. ले गए जहाँ डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। इलाज के बाद श्री लोया से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दुर्भाग्य से श्री लोया का सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया

हमने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. आर. बोरा के साथ-साथ माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई को सूचित किया। हमने उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रधान सचिव श्री शाम जोशी को भी दी, जिनकी बैठक उस समय नागपुर में थी। माननीय श्री बी. आर. गवई, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. बी. शुकरे और माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. आर. बोरा तुरंत आधे घंटे के भीतर मेडिट्रिना अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री मोहित शाह भी वहां पहुंचे। इसके बाद श्री लोया के पार्थिव शरीर को अस्पताल ले जाया गया।

पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

जाँच। पोस्टमार्टम के बाद शव को एक एम्बुलेंस में श्री लोया के पैतृक स्थान पर भेज दिया गया। नागपुर के दो मजिस्ट्रेट

शव के साथ जाने के लिए एक अन्य कार में भी भेजा गया था।

न्यायाधीश एस. एम. मोदक, प्रधान जिला न्यायाधीश, पुणे दिनांक नवंबर *2017* का वक्तव्य इस प्रकार हैः

आदरणीय साहब, मुझे आपका उपरोक्त पत्र आपके प्रतिनिधि के माध्यम से सुबह प्राप्त हुआ। यह माननीय महापंजीयक द्वारा दिनांकित *23/11/2017* द्वारा जारी अनुमति पत्र के साथ है। इसके साथ कोई शिकायत/आवेदन/कोई दस्तावेज नहीं है।

आपके पास चीन पूनावाला बनाम है। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मुझसे शीर्षक में अपनी बात रखने का अनुरोध किया। हमारे भाई जज लोया की मृत्यु के बाद लगभग तीन साल का अंतराल है। अपनी स्मृति के अनुसार मैं घटनाओं का क्रम इस प्रकार दे रहा हूँः

मैं लेडीशिप श्रीमती के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए न्यायाधीश श्री श्रीकांत कुलकर्णी और न्यायाधीश श्री लोया के साथ आई. डी. *1* पर गया था।

जोशी *(*तत्कालीन सचिव एमएचएएलएसए*)*।

हम रात में ट्रेन से रवाना हुए। लेडीशिप श्रीमती जोशी, उनके परिवार के सदस्य और कुछ अन्य न्यायाधीश भी उसी यात्रा में गए थे।

प्रशिक्षित करें लेकिन अलग-अलग डिब्बों में।

हम *30/11/2014* की सुबह नागपुर पहुँचे। यात्रा थी

आरामदायक। यह एसी कोच के माध्यम से था। स्टेशन से हम रवि भवन गए।

स्नान के बाद, मैं न्यायाधीश श्री कुलकर्णी के साथ लॉर्डशिप श्री शुकरे, लॉर्डशिप श्री बोरा के आवास में गया। न्यायाधीश श्री कुलकर्णी ने अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण उन्हें देने का इरादा किया। यहां तक कि न्यायाधीश श्री लोया भी हमारे साथ थे।

यहां तक कि हम न्यायाधीश श्री बर्दे क्वार्टर के घर भी गए हैं।

रवि नागर।

उसके बाद और कुछ विपणन के बाद, हम रवि भवन लौट आए।

हमें शाम को स्वागत समारोह में भाग लेना है।

हम रिसेप्शन में शामिल हुए। न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है

प्रभुपाद समारोह में शामिल हुए हैं।

रात के खाने के बाद हम लगभग *11.30* बजे रवि भवन लौट आए।

दोपहर *12* बजे तक।

वापसी के दौरान हम एक चौक पर रुके। मुझे याद है कि जज महाजन भी हमारे साथ थे लेकिन अलग कार में। उन्होंने पेशकश की।

हम प्रसिद्ध पैन। वह अपने घर चला गया क्योंकि उसे मुंबई के लिए रात की ट्रेन पकड़नी थी और हम रवि भवन लौट आए।

हम एक कमरे में सोते थे। लगभग सुबह लगभग *4* बजे न्यायाधीश लोया जाग गए। उसे आराम महसूस नहीं हो रहा था। मैंने और न्यायाधीश कुलकर्णी ने स्थानीय न्यायाधीशों को शायद न्यायाधीश बार्दे और न्यायाधीश राठी को बुलाया। मुझे वे दोनों या अविवाहित दोनों ठीक से याद नहीं हैं।

एम. हम एक कार में जज लोया को दांडे अस्पताल ले गए। प्रारंभिक जांच के बाद, डॉक्टर ने उन्हें दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह दी एन. हमने जज लोया को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। मुझे नाम याद नहीं है। हम उसे एक कार में ले गए। मुझे एक और स्थानीय भी याद है

न्यायाधीश श्री वाइकर भी अपनी कार में आए थे।

ओ। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पी। हमने इस तथ्य को हाजियाली कॉलोनी में अपने न्यायाधीशों को सूचित कर दिया है। क्यू। हम सभी सदमे में थे। मुझे ठीक से याद नहीं है कि किसने सूचित किया था

लोया के परिवार के सदस्यों के लिए यह तथ्य।

आर. कुछ लॉर्डशिप भी अस्पताल गए हैं। आगे की घटनाएँ हुईं

उनके निर्देशों के अनुसार स्थान।

एस. शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

टी. तब पी. डी. जे. श्री सोनावने *(*अब लॉर्डशिप*)* भी अस्पताल आए थे।

और पोस्टमॉर्टम के लिए भी।

यू। तब पी. डी. जे. श्री सोनावाने ने दो स्थानीय न्यायाधीशों को उनके साथ नियुक्त किया।

मृत शरीर।

वी. हम सभी गहरे सदमे में थे। मैं और न्यायाधीश कुलकर्णी ने मुलाकात की

जज लोया के रिश्तेदार कुछ दिनों के बाद हाजियाली कॉलोनी में।

डब्ल्यू। उस दौरान मैं रायगढ़ के अलीबाग में पी. डी. जे. के रूप में तैनात था।

मैंने अपनी यादों के अनुसार घटनाओं का वर्णन किया है। आपने कल फोन पर आज कार्यक्रम देने का निर्देश दिया है। मैं इसे सौंप रहा हूँ।

आपके प्रतिनिधियों श्री पाटिल के माध्यम से पत्र।

न्यायाधीश वी. सी. बार्डे का *24* नवंबर, *2017* का बयान निम्नानुसार हैः

"सबः आपका पत्र डी. टी. *23.11.2017* मेरे कहने के लिए, घटना के बारे में

डीटी। *1.11.2014* नागपुर में जिला न्यायाधीश श्री बी. एच. का दुखद निधन

लोया सर,

प्रिय महोदय, ऊपर उल्लिखित विषय के संदर्भ में, मैं कहता हूं कि उपरोक्त तिथि को सुबह लगभग *4* बजे मुझे अपने मोबाइल नंबर *9423406827* पर माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के पंजीयक श्री एस. डी. कुलकर्णी सर से फोन आया कि मैं अपनी कार के साथ हूं और श्री आर. आर. राठी, वरिष्ठ सी. एच. एन. पूनावाला बनाम.

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

सिविल जज, रवि भवन सरकार के पास आना चाहिए। गेस्ट हाउस, जहाँ वे, श्री मोदक सर जिला न्यायाधीश और स्वर्गीय श्री लोया सर रह रहे थे, मुंबई से आए थे। उन्होंने कहा कि श्री लोया सर को सीने में दर्द हो रहा था। तदनुसार, मैंने श्री राठी को फोन किया और रवि भवन की ओर बढ़ा।

हम कार में सवार उपरोक्त *5* लोग तुरंत दांडे अस्पताल की ओर बढ़े। इस बीच, श्री एस. डी. कुलकर्णी सर ने श्री वाइकर सर को भी बुलाया, जो अब सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। वहाँ ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी ने अपनी प्रक्रिया के अनुसार श्री लोया की ईसीजी, रक्तचाप आदि से जाँच की। न्यायाधीश श्री राठी के संबंध में उनके भाई डॉ. श्री पंकज हरकुट, एम. डी. और डी. एम., मेडिट्रिना मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में एक डॉक्टर के रूप में हैं, जिन्हें वे इस बीच अनुबंध कर सकते हैं, जिन्होंने कहा कि हमें मेडिट्रिना अस्पताल आना चाहिए, जहां वे भी अपने आवास से आएंगे।

इसके बाद, हम *2* कारों में मेडिट्रिना अस्पताल गए। हालांकि, श्री लोया, जो खुद कार में बैठे थे, कुछ दूरी के बाद खर्राटे लेने लगे-जैसे नींद में, जिनसे श्री कुलकर्णी सर ने जागने के लिए कहा। जब मैं मेडिट्रिना अस्पताल के बरामदे में कार ले गया, तो श्री लोया सर नहीं जागे और उन्हें स्ट्रेचर पर उक्त अस्पताल के आई. सी. यू. में ले जाया गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। हम आइ. सी. यू. के बाहर रहे। हालांकि, कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया कि जब श्री लोया सर को आई. सी. यू. में ले जाया गया था, तो उनकी दालें काम नहीं कर रही थीं, और वे उन्हें पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे।

जब श्री लोया सर आई. सी. यू. में थे, मैंने सरकारी कॉलोनी हाजी अली में श्री लोया सर के दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, जहाँ वे रह रहे थे। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्री ओ. के. भूटाडा से संपर्क किया जा सकता था, जिन्हें पूरी घटना के बारे में बताया गया था। श्री मोदक सर और श्री कुलकर्णी सर ने हाजी अली में श्री लोया सर के अन्य दोस्तों से भी संपर्क किया, जिन्हें वे जानते थे और उन्हें घटना के बारे में बताया। स्थानीय न्यायाधीशों को भी अस्पताल में बुलाया गया। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, और कुछ न्यायालय कर्मचारी अस्पताल पहुंचे, और कुछ डॉक्टर से परामर्श कर रहे थे। मुंबई के न्यायाधीश श्री भूटाडा ने श्री लोया सर के करीबी रिश्तेदारों को मेरा मोबाइल

नंबर दिया और मुझे फोन करके कहा कि मुझे अस्पताल में होने वाली घटनाओं की जानकारी *[2018] 9* एस. सी. आर. को देनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लगभग *6* के बाद। ए. एम. डॉक्टर आई. सी. यू. से बाहर आए और घोषणा की कि श्री लोया सर नहीं रहे। इसके बाद वहां जमा हुए न्यायाधीशों ने उनका शव देखा। पुलिस भी अस्पताल पहुंची। इसके बाद, रात *10* बजे या उसके आसपास शव को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज। मैं अपनी कार में वहाँ गया, जहाँ जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश भी एकत्र हुए। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद सुबह *11* बजे के बाद शव को एम्बुलेंस में श्री लोया के पैतृक स्थान भेज दिया गया। श्री लोया, मेरे वरिष्ठ सहयोगी होने के नाते और हाजी अली की पड़ोसी इमारत संख्या *11* में रहते हैं। सरकार. कॉलोनी और मैं *2011* से *2014* तक अपनी पोस्टिंग के दौरान एक ही कॉलोनी में इमारत संख्या *13* में, मैं उनसे अच्छी तरह से परिचित था, और सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए अन्य विद्वान अधिकारियों के साथ उन्हें अस्पताल में ले जाने का नैतिक कर्तव्य निभाया।

23 नवंबर *2017* को न्यायाधीश आर. आर. राठी का बयान इस प्रकार है

बनाम -

"श्री संजय बर्वे के अनुरोध पर, आयुक्त एस. आई. डी., मुंबई और बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय ने देने की अनुमति दे दी।

मान लीजिए, मैं न्यायाधीश श्री बृजगोपाल हरिकिशनन लोया के बारे में मुझे ज्ञात तथ्य बता रहा हूं।

रवि भवन में न्यायाधीश श्री मोदक और श्री श्रीकांत कुलकर्णी वे भी उपस्थित थे। उस समय जज लोया प्रकृति के कॉल में भाग ले रहे थे। इसके बाद वह नीचे आया और बताया कि उसके दिल में जलन हो रही है और उसके दिल में दर्द हो रहा है और उसने मदद के लिए अनुरोध किया। इसके बाद हम सभी वहाँ मौजूद कार में और मिस्टर बार्डे में चले गए। उस समय उनमें से कुछ ने न्यायाधीश वाइकर से भी मदद मांगी थी। उन्होंने भी हमारा पीछा किया। फिर हम रवि तहसीन पूनावाला बनाम के निकटतम अस्पताल गए।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

रामदासपेठ नागपुर। सुबह के लगभग *5* बज रहे थे। उस समय। इसके बाद मैं जज वाइकर की गाड़ी में बैठ गया। श्री लोया बारदे की गाड़ी में बैठे और श्री कुलकर्णी और मोदक उनके साथ थे। इसके बाद हम मेडिट्रिना अस्पताल गए। मेडिट्रिना अस्पताल में जब हम उस समय पहुंचे तो श्री लोया बेहोश थे और उन्हें होश नहीं आ रहा था। बोलो।
इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद डॉ. पंकज हरकुट भी वहाँ आए। श्री लोया का इलाज उस अस्पताल में किया गया था। कुछ समय बाद हमें पता चला कि श्री लोया को दिल का दौरा

पड़ा है। इसके बाद हमें पता चला कि उसकी मौत हो गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि श्री लोया का निधन हो गया और मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ।

बहुत

यह। इसलिए यह कहा जाता है "।

प्रस्तुतियों का विश्लेषण किया गया

45. की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा चार न्यायिक अधिकारियों के बयानों पर एक प्रत्यक्ष हमला शुरू किया गया है

याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर कि मुख्य न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया एक दिन के भीतर पूरी कर ली गई थी और अगले दिन चार न्यायाधीशों द्वारा बयान प्रस्तुत किए गए थे। दो न्यायाधीश *(*न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी और न्यायाधीश बर्दे*)* मुंबई में थे जबकि अन्य दो *(*न्यायाधीश मोदक और न्यायाधीश राठी*)* पुणे और बारामती में थे।

46. हम प्रस्तुतियों की इस पंक्ति की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अनुमति दी

चार न्यायिक अधिकारियों की बात दर्ज करने के लिए राज्य खुफिया विभाग के आयुक्त। यह मुद्दा महत्वपूर्ण था। एक विवेकपूर्ण जांच *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक न्यायिक अधिकारी की मृत्यु के संबंध में कारवां में प्रकाशित लेखों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आदेश दिया गया था। तीन बयान विशेष रूप से आयुक्त को लिखे पत्र का उल्लेख करते हैं जबकि चौथा आयुक्त द्वारा किए गए अनुरोध और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति का उल्लेख करता है। अदालत। चारों न्यायिक अधिकारियों के पास अपने बयानों को प्रस्तुत करने में देरी करने या देरी करने का कोई कारण नहीं था। राज्य न्यायपालिका के चार अधिकारियों के खिलाफ कोई आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। वे नागपुर में जज लोया के साथ एक सहकर्मी के परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए मौजूद थे। उनमें से प्रत्येक ने जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के रूप में उस अनुमति का जवाब दिया जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आयुक्त, एस. आई. डी. को अपनी बात दर्ज करने के लिए दी गई थी। न्यायाधीशों ने मामले के तथ्यों के बारे में विस्तार से बात की है जैसा कि वे याद कर सकते हैं। हम चारों कथनों में से प्रत्येक को पूरी तरह से निकाल चुके हैं, जैसा कि वे खड़े हैं। प्रत्येक न्यायाधीश ने उन तथ्यों और घटनाओं के बारे में विस्तार से बात की है जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी में थे। बयानों में विस्तार के मामले होते हैं जो न्यायाधीश के साथ उपस्थित लोगों को पता होते हैं।

लोया। उनके पास सच्चाई की एक अंगूठी है। उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था और न ही पीसने के लिए कुल्हाड़ी। तीन बयान *24* नवंबर *2017* के हैं जबकि न्यायाधीश राठी द्वारा प्रस्तुत किया गया चौथा बयान *23* नवंबर *2017* का है और इसमें *24* नवंबर *2017* को आयुक्त द्वारा रसीद का समर्थन शामिल है। यह तथ्य कि दो

न्यायाधीश क्रमशः पुणे और बारामती में थे, संदेह करने का कोई आधार नहीं है। बयान प्रेषण के साथ प्रस्तुत किए गए थे। उन्हें पढ़कर यह स्पष्ट होता है कि उन्हें प्रस्तुत किया गया है।

स्वयं, कर्तव्य के आह्वान का जवाब देने में। *47.* श्री दवे द्वारा बयानों पर संदेह जताने के लिए की गई दलीलों में से एक यह है कि इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों *(*न्यायमूर्ति भूषण गवई और न्यायमूर्ति एस. बी. शुकरे*)* के बयान प्रकाशित किए गए थे। श्री डेव

उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के बयानों को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है, इस तथ्य को देखते हुए कि उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने वही विचार रखा था जो इंडियन एक्सप्रेस के लेख में सामने आया था कि न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। श्री डेव ने प्रस्तुत किया कि जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों से तहसीन पूनावाला बनाम लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों द्वारा जो कहा गया था, उससे भिन्न याचिका। उन्होंने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। यह निवेदन बेतुका है। यह चार वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों को बदनाम करने का एक खुला प्रयास है

उच्च न्यायालय से। प्रस्तुतिकरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि इंडियन एक्सप्रेस में लेख *27* नवंबर *2017* को प्रकाशित हुआ था और उसी समय न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति शुकरे के बयान प्रकाशित हुए थे। चार न्यायिक अधिकारियों के बयान *23* और *24* नवंबर *2017* के हैं और वास्तव में एस. आई. डी. के आयुक्त को इंडियन एक्सप्रेस से बहुत पहले *24* नवंबर *2017* को प्राप्त हुए थे।

लेख प्रकाशित हुआ। हम इस पहलू का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में प्रस्तुतियों की पंक्ति प्रत्येक का उपयोग करने के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास का संकेत देती है।

जिला और उच्च न्यायपालिका के सदस्यों पर आक्षेप लगाने की संभावित चाल। उस वरिष्ठ वकील ने जिम्मेदारी की भावना के बिना और बुनियादी तथ्यों को सत्यापित किए बिना उन प्रस्तुतियों को करने के लिए पूरी गंभीरता से चुना, जिससे एक परेशान करने वाली स्थिति का पता चलता है। हमें अपनी अस्वीकृति को बिना किसी अनिश्चितता के व्यक्त करना चाहिए।

48. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

साथ ही हस्तक्षेप करने वालों ने *1* दिसंबर *2014* के शुरुआती घंटों में न्यायाधीश लोया द्वारा सीने में दर्द की शिकायत के बाद न्यायिक अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठाने की मांग की है। उन्होंने पूछा कि उन्हें शुरू में दांडे अस्पताल क्यों ले जाया गया था और जब यह रवि भवन के *5* किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध था तो किसी विशेष हृदय देखभाल सुविधा में नहीं ले जाया गया था। तर्क की यह पंक्ति बेमानी है। न्यायाधीश लोया,

न्यायाधीश कुलकर्णी और न्यायाधीश एस. एम. मोदक के बयानों से संकेत मिलता है कि उन्होंने *1* दिसंबर *2014* को लगभग *0400* बजे सीने में दर्द की शिकायत की थी। उनके साथ रहे उनके सहयोगियों ने उन्हें अच्छे विश्वास के साथ दांडे अस्पताल ले जाने का फैसला किया जो रवि भवन के करीब है। वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक थी या अप्राकृतिक। उनके सहयोगियों के उद्देश्यों का श्रेय देना, जो उनके साथ थे और उन्हें पास के अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कदम उठाए, अगर

प्रेरित नहीं तो बेतुका है। आपात स्थिति में, आपातकाल का सामना करने पर मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना करना आसान है। एक दूर की जगह पर कुर्सी पर बैठे पर्यवेक्षक के लिए यह कहना आसान है कि ज्ञान एक वैकल्पिक कार्रवाई में निहित है। मानव व्यवहार का आकलन करने के लिए यह कभी भी परीक्षा नहीं हो सकती है। न्यायाधीश लोया की सेवा में उनके सहयोगियों के आचरण पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया

परिस्थितियाँ, पूरी तरह से सद्भावना से कार्य करना। दांडे अस्पताल में, मेडिकल *[2018] 9* एस. सी. आर.

सलाह दी गई थी कि न्यायाधीश लोया की स्थिति के कारण उन्हें एक विशेष हृदय अस्पताल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। न्यायाधीश राठी, जो उस समय उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ से जुड़े थे, जब उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, तब वे न्यायाधीश कुलकर्णी और न्यायाधीश मोदक के साथ थे।

न्यायाधीश वायकर। डॉ. पंकज हरकुट, जो जज राठी के रिश्तेदार थे, मेडिट्रिना अस्पताल से जुड़े हृदय सलाहकार थे। न्यायाधीश राठी उनसे फोन पर संपर्क किया गया और उनके सुझाव पर ही न्यायाधीशों ने न्यायाधीश लोया को मेडिट्रिना स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस कार्रवाई के लिए न्यायाधीशों के साथ गलती खोजना अस्वीकार्य है। लेकिन प्रस्तुतियों की पंक्ति का एक और और अधिक गंभीर पहलू है जिसका आग्रह किया गया है। हालाँकि जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, कार्यवाही कथित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शुरू की गई है, यह एक और उदाहरण है जहाँ अदालत में व्यवहार याचिकाकर्ताओं, हस्तक्षेप करने वालों और उनके वकील की स्पष्ट स्थिति को झुठलाता है। यह ऐसा है जैसे न्यायिक अधिकारी कटघरे में हैं। हमें उस प्रयास को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। श्री रोहतागिल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों के तर्क की यह पंक्ति यह मानती है कि न्यायिक अधिकारी सह-न्यायाधीश हैं।

षड्यंत्रकारी। वास्तव में, श्री गिरि की सहायता करने वाले वकील ने ऐसा तर्क दिया था। न तो याचिकाकर्ताओं की दलीलों में ऐसा मामला है और न ही रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री है जो दूर से भी इस तरह का सुझाव दे सके।

अनुमान। हमें याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों की ओर से जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों को बदनाम करने के ऐसे प्रयासों को दृढ़ता से खारिज करना चाहिए। उन्होंने अपने सहयोगी का चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए नेक इरादे से काम किया। उनके आचरण पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

49. इसी तरह, न्यायाधीश राठी के बयान पर काफी जोर दिया गया है कि ईसीजी मशीन के नोड्स

दांडे अस्पताल काम नहीं कर रहा था। इसके आधार पर यह गंभीरता से आग्रह किया गया है कि वास्तव में दांडे अस्पताल में कोई ईसीजी नहीं किया गया था। न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी ने *24* नवंबर *2017* को अपने बयान में कहा कि न्यायाधीश लोया को दांडे अस्पताल में "आपातकालीन उपचार" दिया गया था। न्यायाधीश एस. एम. मोदक का कहना है कि प्रारंभिक जांच के बाद, दांडे अस्पताल के डॉक्टरों ने रोगी को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह दी। दांडे अस्पताल में मौजूद न्यायाधीश विजय बारडे ने विशेष रूप से कहा कि वहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी ने न्यायाधीश लोया की जांच की *(*चेक-अप*)*।

"ई. सी. जी., रक्तचाप आदि द्वारा उनकी प्रक्रिया के अनुसार। न्यायाधीश राठी ने कहा कि दांडे अस्पताल में समय बर्बाद हुआ क्योंकि ईसीजी मशीन के नोड टूट गए थे और मशीन काम नहीं कर रही थी। यह

हालाँकि, न्यायाधीश राठी के बयान को डॉक्टर के तहसीन पूनावाला बनाम के साथ तौला जाना चाहिए।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मेडिट्रिना अस्पताल में प्रगति टिप्पणियाँ। मृत्यु सारांश *(*पहले निकाला गया*)* विशेष रूप से इस तथ्य को दर्शाता है कि रोगी को पहले दांडे अस्पताल ले जाया गया था जहाँ एक ईसीजी किया गया था। डॉ. दांडे ने भी यही बयान दिया है। प्रगति टिप्पणियों में पूर्ववर्ती सीसे में एक "लंबा 'टी" भी नोट किया गया है जो इंगित करता है कि ईसीजी को मेडिट्रिना अस्पताल में जज लोया की देखभाल करने वाले डॉक्टरों द्वारा देखा गया था। ये प्रगति नोट समकालीन हैं, क्योंकि वे संचार का भी हिस्सा हैं। न्यायाधीश को अस्पताल में मृत लाए जाने के बाद उसी दिन मेडिट्रिना में डॉ. एन. बी. गवांडे ने सीताबर्दी में पी. एस. आई. को संबोधित किया। वास्तव में, यह वही ई. सी. जी. है जो प्रस्तुतियों की विषय वस्तु बनाता है जिसका आग्रह हस्तक्षेप करने वालों में से एक द्वारा किया गया है, जिसके लिए श्री प्रशांत भूषण उपस्थित होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेडिट्रिना अस्पताल में डॉक्टर की प्रगति टिप्पणियों में ई. सी. जी. का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, हमें यह निष्कर्ष निकालने का कोई उचित आधार नहीं मिलता है कि दांडे अस्पताल में कोई ई. सी. जी. नहीं किया गया था।

50. याचिकाकर्ताओं के वकील श्री दवे ने चार न्यायाधीशों के बयानों पर सवाल उठाए हैं और कुछ कथित बातों की ओर इशारा किया है।

और ड्राइवर सुबह के शुरुआती घंटों में भी उपलब्ध नहीं होता। प्रस्तुतिकरण में योग्यता का अभाव है। न्यायाधीश कुलकर्णी ने कहा है कि न्यायाधीश लोया को न्यायाधीश बार्दे की कार में दांडे अस्पताल ले जाया गया था। न्यायाधीश मोदक ने यह भी नोट किया कि न्यायाधीश लोया को कार से दांडे अस्पताल और उसके बाद मेडिट्रिना में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायाधीश बार्दे और न्यायाधीश राठी के बयानों में इसकी पुष्टि की गई है। यह आरोप कि न्यायाधीश लोया को उपलब्ध नहीं कराया गया था यहाँ तक कि रवि भवन से दांडे अस्पताल और उसके बाद मेडिट्रिना तक जाने के लिए एक कार भी एक लाल-हेरिंग है।

51. श्री दवे द्वारा एक अन्य निवेदन यह है कि न्यायिक अधिकारी न्यायाधीश लोया की मृत्यु के तुरंत बाद मुंबई में उनके परिवार से नहीं मिले। न्यायाधीश मोदक ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने और न्यायाधीश कुलकर्णी ने न्यायाधीश लोया के रिश्तेदारों से उनके हाजी अली आवास पर मुलाकात की।

दिन होते हैं। यह सुझाव कि यह कठोर है, गलत होने के अलावा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह याद रखना चाहिए कि न्यायाधीश लोया का परिवार अंतिम संस्कार के लिए गेटेगांव गया था। क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि न्यायाधीश कुलकर्णी और न्यायाधीश मोदक कुछ दिनों बाद मुंबई *[2018] 9* एस. सी. आर. में परिवार से मिले।

जैसा कि श्री डेव ने आग्रह किया, उनकी मानवता की भावना पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट उत्तर नकारात्मक में है।

52. तब यह आग्रह किया गया कि यदि न्यायाधीश लोया को *0400* बजे के आसपास दिल का दौरा पड़ा होता, तो वह पतलून और शर्ट नहीं पहनते, जो जांच रिपोर्ट में दर्ज है। यह एक और निवेदन है जिसमें चार न्यायिक अधिकारियों के बयानों में उल्लिखित घटनाओं के क्रम पर संदेह करने का आग्रह किया गया है। अब न्यायाधीश राठी के बयान को बारीकी से पढ़ने से संकेत मिलता है कि जब वह रवि भवन पहुंचे और न्यायाधीश मोदक और न्यायाधीश कुलकर्णी से मिले, तो न्यायाधीश लोया प्रकृति के आह्वान पर ध्यान दे रहे थे। बयान से यह स्पष्ट है कि न्यायाधीश लोया जब रवि भवन से निकले तो बेहोश नहीं थे और सीने में दर्द और दिल में जलन की शिकायत कर रहे थे। यह आग्रह करना कि न्यायाधीश लोया द्वारा पहने गए कपड़ों का चित्रण न्यायिक अधिकारियों द्वारा सुनाई गई घटनाओं के क्रम पर संदेह पैदा करता है, इसलिए असमर्थनीय है।

53. एक अन्य दलील यह है कि अगर चार न्यायाधीश साथ थे

न्यायाधीश लोया अस्पताल गए, तब सहकर्मियों के रूप में उन्होंने बृजगोपाल के बजाय उनका नाम बृजमोहन होने का संकेत नहीं दिया होगा। यह चार न्यायिक अधिकारियों के बयान पर संदेह जताने का एक और प्रयास है।

मूल आधार या आधार। न्यायाधीश लोया को आपात स्थिति में अस्पताल ले जाया गया था। मानव घटनाओं का सामान्य क्रम इंगित करेगा कि उसका

चार सहकर्मी प्रवेश पत्र भरने की तुलना में न्यायाधीश लोया की उपस्थिति के बारे में अधिक चिंतित होंगे। उनका नाम बृजगोपाल के बजाय बृजमोहन के रूप में दर्ज करने में गलती हुई। हमारे विचार में, यह उनके साथ रहे चार न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए विस्तृत तथ्यात्मक कथन को बदनाम करने का आधार नहीं हो सकता है। उनमें से दो-न्यायाधीश कुलकर्णी और न्यायाधीश मोदक-उस समय से न्यायाधीश लोया के साथ थे जब तीनों अधिकारी नागपुर में शादी के लिए मुंबई से निकले थे और *1* दिसंबर *2014* को न्यायाधीश लोया की मृत्यु तक। उन्होंने अपना एक विश्वसनीय विवरण प्रदान किया है

मुंबई छोड़ने के बाद से शेड्यूल करें। वे सभी एक साथ यात्रा करते थे, रहते थे साथ में, नागपुर में स्थानीय न्यायाधीशों से मिले, शादी में शामिल हुए और न्यायिक बिरादरी में एक-दूसरे और उनके दोस्तों के साथ रहे।

54. सुश्री जयसिंह ने रवि भवन में एक कमरे की तस्वीर पर भरोसा करने की कोशिश की और आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे तीन न्यायाधीश एक कमरे को साझा करते।

न्यायाधीश कुलकर्णी ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि रवि भवन में एक वी. आई. पी. सुइट बुक किया गया था। न्यायाधीश मोदक और न्यायाधीश बार्डे इस स्थिति का समर्थन करते हैं। न्यायाधीश द्वारा दिए गए खाते को तहसीन पूनावाला बनाम के आधार पर बदनाम नहीं किया जा सकता है।

अनुमान लगाता है। अधिभोग रजिस्टर से पता चलता है कि कमरा न्यायाधीश कुलकर्णी के नाम पर था। उनका कहना है कि उनके दो दोस्तों और सहयोगियों *(*जज लोया और जज मोदक*)* ने उनके साथ आवास साझा किया था। यह. जिला न्यायपालिका में सहयोगियों के इस खाते पर अविश्वास करना अनुचित है। वे

दोस्त थे, एक-दूसरे को जानते थे और नागपुर की छोटी यात्रा के दौरान रवि भवन में एक साथ रहे थे। किसी भी वकील ने यह सुझाव नहीं दिया है कि वे एक-दूसरे से निकटता से परिचित नहीं थे।

55. पोस्टमॉर्टम में मृत्यु की तारीख *7* दिसंबर *2014* का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि सुश्री जयसिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया था।

प्रस्तुतियाँ। मृत्यु की तारीख स्पष्ट रूप से *1* दिसंबर *2014* के रूप में उल्लिखित है। मेडिट्रिना में *4290* रुपये के अस्पताल के बिल की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ तंत्रिका संबंधी शुल्क और आहार के लिए शुल्क शामिल हैं। परामर्श लें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में मुद्दा नहीं है

क्या मेडिट्रिना में तैयार किया गया बिल लापरवाही के बराबर है। आहार परामर्श के लिए शुल्क गलत है। लेकिन यह इस तथ्य को बदनाम करने का आधार नहीं हो सकता कि न्यायाधीश लोया को मेडिट्रिना ले जाया गया था। यह कि उन्हें मेडिट्रिना ले जाया गया था, अभिलेख पर दस्तावेजी सामग्री और सभी चार न्यायिक अधिकारियों के सुसंगत बयानों से स्पष्ट है।

56. डॉ. प्रशांत राठी को शव सौंपने को गलत नहीं माना जा सकता है। न्यायाधीश लोया के परिवार ने एक सुविचारित निर्णय लिया कि वे

अंतिम संस्कार समारोहों के लिए अपने गृह नगर, गेटेगांव के लिए आगे बढ़ेंगे। विवेकी जाँच की रिपोर्ट में इस तथ्य का विस्तृत संदर्भ है कि नागपुर में तैनात डॉ. प्रशांत राठी से औरंगाबाद में एक रिश्तेदार ने *1* दिसंबर *2014* को उनकी मदद का अनुरोध करते हुए संपर्क किया था। डॉ. राठी ने अपने बयान में एक तथ्यात्मक स्पष्टीकरण दिया है कि कैसे उनके रिश्तेदार ने उनसे संपर्क किया और न्यायाधीश लोया की औपचारिकताओं में सहायता करने के लिए कहा। दुर्घटना सहित समकालीन दस्तावेजी सामग्री के संबंध में डॉ. राठी की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

सारांश।

मृत्यु हो गई थी; और *(ii)* क्यों, जैसा कि कारवां लेख में आरोप लगाया गया है, शव अंतिम संस्कार के अधिकारों के लिए गैटेगॉन पहुंचा। यह है। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि इन दोनों प्रस्तुतियों का कोई प्रभाव नहीं है

न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई या अन्यथा, *[2018] 9* एस. सी. आर.

क्योंकि वे उनकी मृत्यु के बाद हुई घटनाओं से संबंधित हैं। लेकिन वर्तमान निर्णय में प्रस्तुतियों पर चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि

एक करीबी विश्लेषण पर वे स्पष्ट रूप से निराधार हैं। यह एक तथ्य है कि न्यायाधीश लोया के परिवार ने उनकी मृत्यु की सूचना मिलने के बाद नागपुर की यात्रा नहीं की थी। यदि परिवार ने फैसला किया कि अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया जाना चाहिए जहां से वह संबंधित थे, लातुर के पास गेटेगन, यह परिवार के लिए एक व्यक्तिगत निर्णय था। जज लोया की मृत्यु हो चुकी थी। यदि उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पहले नागपुर

की यात्रा करने और फिर सड़क मार्ग से लगभग *450* किलोमीटर की दूरी तय करने के बजाय गेटेगॉन जाने का सुविचारित निर्णय लिया गया था, जहां अंतिम संस्कार किया जाना था, तो इस तरह के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह आरोप कि शव को गैटेगांव के साथ नहीं भेजा गया था, रिकॉर्ड में सामने आई बातों के विपरीत है। न्यायाधीश कुलकर्णी ने अपने बयान के दौरान इस तथ्य का संदर्भ दिया कि शव को एम्बुलेंस द्वारा उस स्थान पर भेजा गया था जहां न्यायाधीश लोया मूल रूप से थे, नागपुर के दो न्यायिक अधिकारियों को भी शव के साथ जाने के लिए एक अन्य कार में भेजा गया था। न्यायाधीश एस. एम. मोदक ने *24* नवंबर *2017* को अपने बयान में विशेष रूप से उल्लेख किया कि नागपुर में तत्कालीन प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सोनावने ने शव के साथ दो स्थानीय न्यायाधीशों को नियुक्त किया था। न्यायाधीश वी. सी. बार्डे ने यह भी कहा है कि सुबह लगभग *11* बजे पोस्टमार्टम के समापन के बाद, शव को एम्बुलेंस में न्यायाधीश लोया और दो न्यायाधीशों के पैतृक स्थान पर भेज दिया गया था; न्यायाधीश रहांगदले और न्यायाधीश चोपदा शव के साथ थे। एस. आई. डी. के आयुक्त द्वारा विवेकी जाँच की रिपोर्ट में निम्नलिखित अवलोकन शामिल हैं:

" *4.4* श्री लोया के पार्थिव शरीर को मेडिट्रिना अस्पताल के एम्बुलेंस प्रभारी श्री पवनकुमार भगत द्वारा प्रदान की गई एम्बुलेंस में लातूर के गाँव गेटेगांव भेजा गया। नागपुर के तत्कालीन प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सोनावने ने दो मजिस्ट्रेटों *(*श्री योगीश रहांगदले और श्री स्वयं चोपदा*)* को उनके साथ भेजा था।

श्री लोया का पार्थिव शरीर लातुर के गेटेगांव में है। पूछा गया सवाल

कारवन रिपोर्ट के माध्यम से जवाब दिया जाना चाहिए कि "उनके पार्थिव शरीर के साथ कोई क्यों नहीं था*?*..... गुमराह करने का एक स्पष्ट प्रयास है

पाठकों के लिए तथ्य अन्यथा हैं। "

58. इस न्यायालय के लिए न्यायाधीश कुलकर्णी और न्यायाधीश एस. एम. मोदक के बयानों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। दोनों और जज लोया रवि भवन गेस्ट हाउस में रुके, जहाँ एक वी. आई. पी. सुइट बुक किया गया था। तीनों न्यायिक अधिकारियों को तहसीन पूनावाला बनाम के परिवार में एक शादी के लिए आमंत्रित किया गया था।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मोदक और जज लोया ने *29* नवंबर *2014* को मुंबई से नागपुर के लिए एक ही ट्रेन से यात्रा की और *30* नवंबर *2014* की सुबह नागपुर पहुंचे। वे रवि भवन की ओर बढ़े जहाँ एक कमरा आरक्षित था। दिन के दौरान, तीनों न्यायिक अधिकारियों ने नागपुर में उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति एस. बी. शुकरे और न्यायमूर्ति पी. आर. बोरा के आवासों का दौरा किया। वे श्री बर्दे के घर गए और पूरे समय साथ रहे। वे बाजार गए, रवि भवन लौटे और शाम को शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। रात के खाने के बाद तीनों न्यायाधीश आधी रात से थोड़ा पहले रवि भवन लौट आए। न्यायाधीश मोदक ने जो विवरण दिए हैं, वे भी स्पष्ट हैं। न्यायाधीश महाजन के साथ आए तीनों न्यायाधीश रवि भवन वापस आने से पहले एक पान की दुकान पर रुक गए। यह तथ्य कि तीनों न्यायाधीश एक साथ रहे, वह सुसंगत विवरण है जो न्यायाधीश मोदक और न्यायाधीश कुलकर्णी के बयानों से सामने आता है, जिसकी पुष्टि न्यायाधीश बार्दे के बयान से होती है। अदालत के लिए उपरोक्त तीन न्यायिक अधिकारियों *(*न्यायाधीश कुलकर्णी, न्यायाधीश मोदक और न्यायाधीश बर्दे*)* के स्वाभाविक खाते की सत्यता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है। अदालत से इस आधार पर ऐसा

करने का अनुरोध किया जाता है कि रवि भवन के रजिस्टर में न्यायाधीश कुलकर्णी के नाम का उल्लेख है, लेकिन इसमें न्यायाधीश एस. एम. मोदक या न्यायाधीश लोया के रहने का कोई संदर्भ नहीं है। न्यायाधीश कुलकर्णी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रवि भवन में एक वी. आई. पी. सुइट बुक किया गया था। हमें चार न्यायिक अधिकारियों के पक्ष में झुकना चाहिए जब तक कि मजबूत न हो।

और निर्विवाद परिस्थितियों को उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करते हुए दिखाया गया है। यह संस्थान की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए व्यापक लोक हित में होगा। इसकी पुष्टि अधिभोग रजिस्टर की एक फोटोकॉपी द्वारा की जाती है जिसे रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया है। तीनों ही

न्यायिक अधिकारियों को उसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। अगर दोस्तों और सहयोगियों के रूप में, उन्होंने एक कमरे को साझा करने का फैसला किया, तो इसे आचरण का एक अप्राकृतिक तरीका नहीं माना जा सकता है। इस अदालत के लिए कोई कारण नहीं है

तीन न्यायिक अधिकारियों के लगातार दिए गए बयानों को खारिज करें।

प्रकृति के अनुमानों में जो याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा तैयार किए जाने की मांग की जाती है। वास्तव में, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यह कुछ दिलचस्प बात है कि *20* नवंबर *2017* को कारवां में प्रकाशित लेख में भी न्यायाधीश लोया ने *30* नवंबर *2014* की रात को अपनी पत्नी के साथ बातचीत की थी और उन्हें इस तथ्य के बारे में सूचित किया था कि वह रवि भवन में उन न्यायाधीशों के साथ रह रहे थे जो उनके साथ नागपुर गए थे।

59. इस स्तर पर, हमें कुछ अन्य मामलों का भी संदर्भ देना चाहिए, जिनके लिए उनकी ओर से प्रचुर मात्रा में संदर्भ दिया गया है।

आपराधिक मुकदमा *25* जून *2014* को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह आग्रह किया गया है कि चूंकि अदालत ने *27* सितंबर *2012* को निर्देश दिया था कि प्रशासनिक समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मुकदमा शुरू से अंत तक उसी अधिकारी द्वारा चलाया जाए, इसलिए जे. टी. उत्पत का तबादला नहीं किया जाना चाहिए था। हमें इस स्तर पर ध्यान देना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्री दवे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अदालत को वर्तमान कार्यवाही में खुद को इस मुद्दे तक सीमित रखना चाहिए कि क्या न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु थी या अन्यथा। यह मुद्दा कि क्या न्यायाधीश जे. टी. उत्पत का स्थानांतरण किया जा सकता था, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। जिन परिस्थितियों में न्यायाधीश लोया की मृत्यु हुई। राज्य की ओर से पेश श्री रोहतगी ने आग्रह किया है कि मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और इसलिए उनके अनुरोध पर न्यायाधीश जे. टी. उत्पत के स्थानांतरण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हम स्पष्ट करते हैं कि श्री के निवेदन पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है।

रोहतगी से हमारा मानना है कि पूर्व न्यायाधीश के स्थानांतरण और जून *2014* में न्यायाधीश लोया की नियुक्ति का इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता कि क्या *1* दिसंबर *2014* को न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। कारण होते हैं।

60. याचिकाकर्ताओं ने आरोपों पर भरोसा करने की मांग की है

बंबई उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मोहित शाह को न्यायाधीश लोया के पिता और बहन ने नियुक्त किया था। रिलायंस को *18* फरवरी *2015* के एक हस्तलिखित नोट पर भी रखा गया है जिसे कथित तौर पर अनुज लोया ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठक के बाद लिखा था।

बॉम्बे हाईकोर्ट, जो परिवार से मिलने आया था। के पिता और बहन द्वारा कारवां को दिए गए एक साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग न्यायाधीश लोया को भी पेन ड्राइव पर अदालत को सौंप दिया गया। न्यायाधीश लोया के परिवार के सदस्यों ने कारवां प्रकाशन में दिए गए बयानों से खुद को अलग कर लिया है। वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसे हमने देखा है, में एक साक्षात्कार के अंश हैं। जाहिर है, साक्षात्कार का केवल एक हिस्सा प्रस्तुत किया गया है। बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोप सुनी सुनाई बातें हैं।

तहसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

61. प्रत्युत्तर में अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, श्री डेव ने उनके द्वारा की गई विवेकपूर्ण जांच को बदनाम करने का प्रयास किया है।

एस. आई. डी. के आयुक्त ने आग्रह किया कि डॉ. प्रशांत राठी का बयान *22* नवंबर *2017* को पुलिस निरीक्षक *(*अपराध*)* पुलिस स्टेशन सदर द्वारा दर्ज किया गया था, इससे पहले कि राज्य सरकार ने *23* नवंबर *2017* को एक गोपनीय जांच का आदेश दिया था। प्रस्तुतिकरण इस परिकल्पना पर आधारित है कि डॉ. राठी का बयान विवेकी जांच के एक हिस्से के रूप में दर्ज किया गया था। श्री रोहतगी ने इस पर गंभीर रूप से आपत्ति जताई है, जिन्होंने आग्रह किया है कि कारवां में *20* और *21* को लेख सामने आने के बाद *22* नवंबर *2017* को सदर पुलिस स्टेशन द्वारा बयान दर्ज किया गया था। नवंबर *2017*। एस. आई. डी. के आयुक्त द्वारा विवेकी जाँच की गई। जो भी हो, डॉ. प्रशांत राठी की उपस्थिति *1* दिसंबर *2014* के आकस्मिक मृत्यु सारांश *(*एडी *00/14)* में स्थापित की गई है, जांच रिपोर्ट में, सीताबर्दी द्वारा *1* दिसंबर *2014* को निष्पादित रसीद।

मृत शरीर को सौंपने पर पुलिस स्टेशन, और *1* दिसंबर *2014* को *1600* बजे सदर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज आकस्मिक मृत्यु सारांश *(AD 44/14)* में। समकालीन वृत्तचित्र के सामने

22 नवंबर *2017* को दर्ज किए गए डॉ. राठी के बयान को ऐसे बयान के रूप में नहीं माना जा सकता है जो विवेकपूर्ण जांच की वैधता पर संदेह पैदा करता है।

प्रतिपरीक्षा के लिए आवेदन

62. अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, श्री डेव ने निम्नलिखित व्यक्तियों की प्रतिपरीक्षा के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जिनके

विवेकी जाँच के दौरान बयान दर्ज किए गए:

"1 श्री संजीव बर्वे, महानिदेशक/आयुक्त, राज्य

बुद्धिमत्ता विभाग, महाराष्ट्र,

2 डॉ. प्रशांत बजरंग राठी, साई रीजेंसी, रवि नगर के निवासी,

नागपुर,

3 कारवन के रिपोर्टर श्री निरंजन टकले,

4 श्री श्रीकांत डी. कुलकर्णी, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण,

5 श्री एस. एम. मोदक, प्रधान जिला न्यायाधीश, पुणे

6 श्री विजय सी बार्दे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, ग्रेटर बॉम्बे,
7 डॉ. पिनाक गंगाधर राव दांडे, राम नगर, नागपुर, *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8 श्री अनुज बृज गोपाल लोया पुत्र स्वर्गीय श्री. बीएच लोया,
9 श्रीमती शर्मिला बृज गोपाल लोया और श्री बी. एच. लोया

10 श्री हरि किशन रामचंद्र लोया, स्वर्गीय श्री बी. एच. लोया के पुत्र,

11 स्वर्गीय श्री बी. एच. लोया की बहन डॉ. अनुराधा बालाप्रसाद बियानी।

63. उच्चतम न्यायालय नियम *2013* का आदेश *IX*

शपथपत्र। नियम *1* और *2* में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

द्वारा दिए जाने वाले ऐसे गवाह के साक्ष्य को प्राधिकृत किया गया
शपथ पत्र।

2. किसी भी आवेदन पर साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है; लेकिन

न्यायालय, किसी भी पक्ष के कहने पर, उपस्थिति का आदेश दे सकता है।

प्रतिनिधि की प्रतिपरीक्षा के लिए, और ऐसी उपस्थिति

अदालत में रहें, जब तक कि प्रतिवादी को व्यक्तिगत से छूट न हो

न्यायालय या न्यायालय में उपस्थिति अन्यथा निर्देश देती है।

नियम *1* अदालत को शपथ पत्र पर तथ्यों को साबित करने की अनुमति देने का अधिकार देता है।

पर्याप्त कारण। तथापि, यदि न्यायालय का विचार है कि प्रतिपरीक्षा के लिए एक गवाह को पेश करना एक पक्ष द्वारा प्रामाणिक रूप से वांछित किया गया है और ऐसे गवाह को पेश किया जा सकता है, तो गवाह के साक्ष्य को शपथ पत्र द्वारा देने के लिए अधिकृत करने वाला आदेश नहीं दिया जाएगा। नियम *2* के तहत, एक शपथ पत्र के प्रतिवादी की प्रतिपरीक्षा के लिए उपस्थिति का आदेश देने का विवेकाधिकार अदालत में निहित है। आदेश *IX* के तहत, किसी व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा की अनुमति देने का विवेकाधिकार अदालत में निहित है

जिसने एक शपथ पत्र भरा है। इस अदालत के समक्ष एक कार्यवाही के लिए एक पक्षकार

—

विशेष रूप से अनुच्छेद *32* के तहत एक कार्यवाही-अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकती है

प्रतिपरीक्षा के लिए शपथ पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति को पेश करना। जिरह की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, यह न्याय के हितों को ध्यान में रखते हुए अदालत द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। श्री डेव ने प्रस्तुत किया कि इस अदालत को, सबसे पहले, यह निर्देश देना चाहिए कि उपरोक्त व्यक्तियों को इस अदालत के समक्ष शपथ पत्र दायर करना चाहिए और यह कि सी. एच. एस. ई. एन. पूनावाला बनाम.

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

उन शपथपत्रों में से, उन्हें प्रतिपरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में श्री डेव ने कुछ निर्णयों पर भरोसा किया

अदालत। के. के. कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य *(*ऊपर*)* मामले में यह न्यायालय

" 12 ..... शपथपत्रों पर तथ्य के प्रश्नों का निर्णय करना बहुत बार संभव है। यदि याचिका और उसके समर्थन में शपथ पत्र हैं

आश्वस्त न होने पर और अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपने मौलिक अधिकार या उसके किसी भी उल्लंघन को स्थापित किया है, अदालत इस आधार पर याचिका को खारिज कर सकती है कि याचिकाकर्ता ने उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया है जो उस पर था। न्यायालय, कुछ उपयुक्त मामलों में, पक्षकारों को आगे के शपथपत्र दाखिल करके या आयोग जारी करके या यहां तक कि साक्ष्य के आधार पर मुकदमे के लिए आवेदन निर्धारित करके अपने-अपने मामलों को स्थापित करने का अवसर देने के लिए इच्छुक हो सकता है, जैसा कि अक्सर बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के मूल पक्षों पर किया गया है, या कुछ अन्य उपयुक्त प्रक्रिया अपनाकर। इस तरह के अवसर वास्तव में दुर्लभ होंगे और इस तरह के दुर्लभ मामलों को, हमारी राय में, अनुच्छेद के तहत याचिका पर विचार करने से इनकार करने का एक ठोस कारण नहीं माना जाना चाहिए।

32 इस आधार पर कि इसमें तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं।

एपी*24* के एस. रौजीव राज्य ने इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्ता में बैठे लोगों की ओर से दुर्भावनापूर्ण और अनुचित उद्देश्यों के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं

बनाया गया और हाल के दिनों में उनकी आवृत्ति में वृद्धि हुई है। यह भी कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के आरोप जिनका कोई आधार नहीं है, वास्तव में ऐसे कई मामलों में लगाए गए हैं जो इस और अन्य अदालतों के समक्ष आए हैं और यह पाया गया है कि वे केवल पूर्वाग्रह पैदा करने के उद्देश्य से या इस उम्मीद में किए गए हैं कि उनका वास्तव में आधार है या नहीं, कम से कम उनमें से कुछ तो टिके रह सकते हैं। नतीजतन, यह न्यायालय का कर्तव्य बन गया है कि वह इन आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करे ताकि उन मामलों में उनसे किसी भी तरह से प्रभावित होने से बचा जा सके, जहां उनका वास्तव में कोई आधार नहीं है। इस प्रकार न्यायालयों पर डाले जाने वाले इस कार्य में यह अधिक संतोषजनक निपटान और विचार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

यदि वे लोग जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, अदालत के समक्ष या तो उनके इनकार या उनके संस्करण को रखने के लिए आगे आए मामला, ताकि न्यायालय इस बारे में निर्णय करने की स्थिति में हो कि क्या

जो दायित्व उन लोगों पर है जो इस अपील के संबंध में अधिकारियों की ओर से दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाते हैं, उन्होंने इसे साबित करने के अपने बोझ को पूरा कर लिया है। इन अधिकारियों द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए ऐसे हलफनामों या सामग्रियों के अभाव में, न्यायालय को केवल संभाव्यता के परीक्षणों पर आरोपों की सत्यता का न्याय करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें उत्तर के रूप में अधिक ठोस कुछ नहीं होता है। ठीक यही स्थिति है जिसमें हम वर्तमान मामले में खुद को पाते हैं।

25 रुपये में शेर सिंह के फैसले पर भरोसा रखा गया था।

जिस निवेदन का आग्रह किया गया है, वह याचिकाकर्ताओं की भूमिका और इन कार्यवाहियों के दायरे दोनों की गलत सराहना पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने जनहित में दायर एक याचिका में इस अदालत का रुख किया है। उनकी स्थिति एक रिलेटर की है जो अदालत द्वारा अनिवार्य जांच की मांग करने के उद्देश्य से अदालत के ध्यान में शिकायत लाना चाहता है। जिन व्यक्तियों से जिरह की मांग की गई है, उनमें से कोई भी वर्तमान कार्यवाही में गवाह नहीं है। अदालत को अनिवार्य रूप से इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या याचिकाकर्ताओं *(*हस्तक्षेप करने वालों द्वारा समर्थित*)* की ओर से न्यायाधीश लोया की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच का निर्देश देने के लिए कोई मामला बनाया गया है। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, अदालत को यह तय करना है कि क्या जांच

राज्य द्वारा संचालित किया गया है और यदि परिस्थितियों को अदालत के ध्यान में लाया गया है जो न्यायाधीश लोया की मृत्यु तक की घटनाओं के बारे में उचित संदेह पैदा करता है। याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें डॉक्टरों और न्यायिक अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायाधीश लोया के साथ आए न्यायिक अधिकारियों पर निराधार आरोप लगाकर याचिकाकर्ताओं ने इन कार्यवाही के वास्तविक उद्देश्य का खुलासा किया है जो अपमानजनक आरोपों के आधार पर न्यायपालिका को बदनाम करना है। हम प्रतिपरीक्षा के अनुरोध की अनुमति देने के लिए कोई आधार या औचित्य नहीं पाते हैं। तदनुसार आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

जनहित याचिका केंद्र द्वारा हस्तक्षेप

64. श्री प्रशांत भूषण इन कार्यवाही में प्रतिवाद के मंच पर उपस्थित हुए। यह तब हुआ जब याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश विद्वान वकील ने अदालत को संबोधित किया था और अदालत ने महाराष्ट्र राज्य की ओर से दलीलें सुनी थीं। द सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे श्री प्रशांत भूषण ने दायर किया था

25 (1997) 3 एससीसी *216*

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

प्रतिनिधि के रूप में वकील ने एक आवेदन *2 6* द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग की है। आवेदन *11* फरवरी *2018* को कारवां में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर निर्भर करता है जिसमें कहा गया है कि पोस्टमॉर्टम और हिस्टो-पैथोलॉजी रिपोर्ट एक फोरेंसिक विशेषज्ञ, डॉ. आर. के. शर्मा को भेजी गई थी, जो पहले एम्स से जुड़े थे, और डॉ. शर्मा ने मौत के दिल का दौरा पड़ने की संभावना को खारिज कर दिया है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि दस्तावेज़ मस्तिष्क में आघात के संकेत देते हैं। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि विषाक्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। हस्तक्षेप के लिए आवेदन में कहा गया है कि हस्तक्षेप करने वाले ने कारवां से दस्तावेजों का एक सेट प्राप्त किया, जिसमें हिस्टो-पैथोलॉजी रिपोर्ट भी शामिल है।

और दांडे अस्पताल में किए गए ई. सी. जी. की एक प्रति। श्री प्रशांत भूषण का दावा है कि उन्होंने ईसीजी और हिस्टो-पैथोलॉजी रिपोर्ट डॉ.

उपेंद्र कौल, एम्स में कार्डियोलॉजी के पूर्व प्रोफेसर हैं। श्री प्रशांत भूषण ने स्वयं डॉ. उपेंद्र कौल को एक ई-मेल भेजकर उनसे अनुरोध किया कि

कुछ प्रश्नों पर पेशेवर राय। डॉ. कौल ने जवाब दिया कि ईसीजी की "सबसे अधिक संभावना नहीं है. हाल ही में मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कोई सबूत नहीं है"। इसके अलावा, यह कहा गया है कि हृदय की हिस्टो-पैथोलॉजी ज्यादातर इंगित करती है कि यह सामान्य था और एल. ए. डी. में कोरोनरी धमनी ब्लॉक एक निर्दोष दर्शक हो सकता है। हस्तक्षेप के लिए आवेदन में यह भी कहा गया है कि श्री प्रशांत भूषण, जो हस्तक्षेपकर्ता के सदस्य हैं, ने अन्य प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञों से बात की है, जो इसी राय के हैं।
65. हस्तक्षेप के आवेदन के समर्थन में हलफनामे को श्री प्रशांत भूषण ने व्यक्तिगत रूप से शपथ दिलाई है। श्री प्रशांत भूषण

66. इसके जवाब में श्री मुकुल रोहतगी ने डॉ. सिद्धार्थ को संबोधित *14* और *16* फरवरी *2018* के दो पत्रों की प्रतियां रिकॉर्ड में रखी हैं। गुप्ता, पीएस सदर, नागपुर में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा एम्स में फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख। डॉ. आर. के. शर्मा द्वारा दी गई राय के संबंध में विशेष रूप से स्पष्टीकरण मांगा गया था। *3* मार्च *2018* को दिए गए एक जवाब में डॉ. अभिषेक यादव, सहायक

प्रोफेसर और सदस्य सचिव, विभागीय समिति, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, एम्स ने कहा है कि एक इस मुद्दे की जांच करने के लिए तीन डॉक्टरों की समिति, एम्स ने डॉ. आर. के. शर्मा से स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक पत्र को संबोधित किया था। पत्र में डॉ. आर. के. शर्मा द्वारा एम्स को भेजे गए निम्नलिखित उत्तर का उल्लेख किया गया है:

"आपके मेल के लिए धन्यवाद, मैं यह बताना चाहूंगा कि जज लोया की मृत्यु के संबंध में कारवां पत्रिका द्वारा मुझे पूरी तरह से गलत तरीके से उद्धृत किया गया है।

निकाले गए निष्कर्ष काल्पनिक हैं। मैंने रिपोर्टर के साथ सामान्य चर्चा की। मैं प्रकाशित रिपोर्ट की सामग्री से सहमत नहीं हूं जो मुझे सौंपी गई है। मैंने इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

न्यायाधीश लोया की मृत्यु "।

एम्स से *3* मार्च *2018* के पत्र में तदनुसार निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया गया है:

"दिनांक *16.2.2018* के पिछले जवाब की निरंतरता में, यह जोड़ा गया है कि फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है

आधिकारिक रूप से न्यायाधीश लोया की मृत्यु के बारे में कोई राय दी गई है या

कारवां पत्रिका या किसी अन्य मीडिया एजेंसी के लिए व्यक्तिगत क्षमता। यह भी दोहराया जाता है कि एम्स नई दिल्ली के पास चिकित्सा सहित सभी अनिवार्य पुष्टि करने वाले जांच दस्तावेजों के साथ केवल सरकारी एजेंसी या माननीय न्यायालय के आधिकारिक लिखित अनुरोध का जवाब देने के लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल है चिकित्सकीय राय के लिए और समान समग्रता के बिना दस्तावेज़

कानून द्वारा अवलोकन के लिए राय नहीं बनाई जा सकती है।

एम्स द्वारा जारी स्पष्टीकरण से संकेत मिलता है कि डॉ. शर्मा ने

स्पष्ट रूप से कहा गया कि कारवां पत्रिका द्वारा उन्हें पूरी तरह से गलत तरीके से उद्धृत किया गया था और वह रिपोर्ट की सामग्री से सहमत नहीं हैं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि *16* फरवरी *2018* के एक पिछले जवाब में एम्स के डॉ. सिद्धार्थ गुप्ता ने इस प्रकार कहा था:

"उपरोक्त के संदर्भ में, कृपया ध्यान दें कि एम्स, नई दिल्ली के पास केवल सरकारी जांच एजेंसी या माननीय अदालत के आधिकारिक लिखित अनुरोध का जवाब देने के लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल है, जिसमें चिकित्सा दस्तावेजों, दृश्य जांच के विवरण के साथ-साथ पोस्ट का संचालन करने वाले डॉक्टरों के साथ बातचीत सहित सभी अनिवार्य पुष्टि करने वाले जांच दस्तावेज शामिल हैं।
चिकित्सकीय कानूनी राय के लिए, क्योंकि इसके बिना, समग्र

कानून द्वारा अवलोकन के लिए राय नहीं बनाई जा सकती है।

अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि श्री प्रशांत भूषण ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम करते हुए याचिकाकर्ताओं के मामले को किसी तरह मजबूत करने के लिए सबूत एकत्र करने का प्रयास किया है। प्रमुख प्रश्नों के रूप में एक प्रश्नावली उनके द्वारा डॉ. उपेंद्र कौल को संबोधित की गई थी, जो पहले एम्स में थे, जिसका उत्तर प्राप्त किया गया था। अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि इसके बाद, सदर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने *11* फरवरी *2018* को तहसीन पूनावाला बनाम.

डॉ. हरीश पाठक, प्रोफेसर और फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख, केईएम अस्पताल, मुंबई ने क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, ईसीजी, एमएलसी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी राय मांगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज के कागजात और मेडिट्रिना अस्पताल के दस्तावेज और हिस्टो-पैथोलॉजी रिपोर्ट। जवाब में, डॉ. पाठक ने *14* फरवरी *2018* को अपने ई-मेल द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज मांगे। ये थे।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सदर द्वारा प्रस्तुत। डॉ. हरीश पाठक ने एक विस्तृत और सुविचारित राय में स्पष्ट रूप से कहा है कि पोस्टमॉर्टम का निष्कर्ष कि मृत्यु कोरोनरी धमनी की कमी के कारण हुई थी, वैध है और इस विषय पर चिकित्सा ज्ञान के अनुसार है।

इस राय का समर्थन चिकित्सा ग्रंथों के संदर्भों द्वारा किया गया है।

67. डॉ. हरीश पाठक की राय नीचे दी गई है:

"मैंने निम्नलिखित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा है:

1 . श्री लोया का शव परीक्षण नोट

2. ईसीजी रिपोर्ट

3. हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट।

4. एडीआर।

5. पंचनामा।

6. सी. ए. रिपोर्ट।

7. डॉ. राठी, डॉ. गावंडे, डॉ. हरकुट, डॉ. गनर का वक्तव्य।

8. अस्पताल *(*मेडिट्रिना*)* रिपोर्ट करता है *(*प्रगति टिप्पणियाँ और एमएलसी*)*।
9. कारवां पत्रिका के दो लेख दिनांकित *26/01/18 &*

11/02/18 .

मुझे उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों और हाल के चिकित्सा साहित्य के आधार पर, मैं निम्नानुसार बताना चाहूंगा:

1. मेडिट्रिना अस्पताल के डॉक्टर की प्रगति टिप्पणियों *(*अनुलग्नक, *1* पृष्ठ *1)* और डॉ. पंकज द्वारा दिए गए बयान के अनुसार

हरकुट *(*परिशिष्ट *2*, पृष्ठ *2),*
1 दिसंबर *2014* को सुबह लगभग *4* बजे *(*शव परीक्षण के अनुसार*)*

नोट्स*)*। जब श्री बृजगोपाल एच. लोया ने सीने में दर्द और रेस्ट्रोस्टर्नल दर्द की शिकायत की। *(* डॉक्टर प्रगति टिप्पणियाँ अनुलग्नक *1)*

आंतरिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार, हैरिसन, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(अनुलग्नक *3*, पृष्ठ *4)* सीने में असुविधा सबसे आम कारणों में से एक है जिसके लिए रोगी या तो आपातकालीन विभाग या एक बाह्य रोगी चिकित्सालय में चिकित्सा ध्यान के लिए उपस्थित होते हैं। रेट्रो-स्टर्नल दर्द मायोकार्डियल इस्केमिया की विशिष्ट नैदानिक विशेषता है *(*पृष्ठ *5* पर अनुलग्नक *3*, तालिका*)*। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से जुड़ी छाती की असुविधा आम तौर पर अधिक गंभीर होती है, जो आमतौर पर *30* मिनट से अधिक समय तक चलती है और आराम से राहत नहीं मिलती है *(*अनुलग्नक *3*, पृष्ठ *6)*। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, *(*यूआरएलः *https:// oxforddictionaries.com/definition/us)*

रेट्रो-स्टर्नलः छाती के पीछे। *(* अनुलग्नक *4*, पृष्ठ *7)*

(रेट्रोस्टर्नल छाती दर्द उरोस्थि हड्डी के पीछे महसूस किया जाने वाला दर्द है-छाती के बीच में स्थित एक सपाट हड्डी। इस हड्डी को स्तन की हड्डी भी कहा जा सकता है*)*

मायोकार्डियमः हृदय का पेशीय ऊतक। *(* अनुलग्नक *5*, पृष्ठ *8)*

इस्केमियाः किसी अंग या अंग के किसी हिस्से में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति शरीर, विशेष रूप से हृदय की मांसपेशियाँ। *(* अनुलग्नक *6*, पृष्ठ *9)*

इन्फ्रैक्शनः किसी अंग या क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति में बाधा ऊतक का, आमतौर पर थ्रोम्बस या एम्बोलस द्वारा, ऊतक की स्थानीय मृत्यु का कारण बनता है। *(* अनुलग्नक *7*, पृष्ठ *10)*

आंतरिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार, हैरिसन, ऊँची, सकारात्मक अति तीव्र टी तरंगें इस्केमिया की प्रारंभिक अवस्थाएँ हैं। *(* अनुलग्नक *8*, पृष्ठ *12)*

3. डॉक्टर की प्रगति टिप्पणियाँ *(*अनुलग्नक *1* पृष्ठ *1)*

यह इंगित करता है कि श्री बृजगोपाल एच. लोया को हृदय गति रुकने की स्थिति में मेडिट्रिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया गया था।

सभी पुनर्जीवित उपायों के बावजूद, उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका और *06* पर घोषित किया गयाः *15* मैं मेडिट्रिना अस्पताल में *01/12/2017* पर हूँ। *(* अनुलग्नक *1*, पृष्ठ *1*, अनुलग्नक *16* पृष्ठ *32, EEN POONAWALLA v.*

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

अनुलग्नक *17*, पृष्ठ *34)*

4. मेडिट्रिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्डियोलॉजी सेंटर के निदेशक डॉ. पंकज हरकुट के बयान के अनुसार, उन्होंने ढांडे अस्पताल से ईसीजी की समीक्षा की थी, जिसमें उनकी राय में लंबे टी-वेव्स दिखाई दिए थे। *(* अनुलग्नक *2*, पृष्ठ *2* ए*)*

हाइपरट्रॉफी, *(ii)* हाइपरक्लेमिया और *(iii)* प्रारंभिक पुनःध्रुवीकरण संस्करण। *(* अनुलग्नक *9*, पृष्ठ *13)*
5. डॉ. निनाद डी गावंडे, एम. बी. बी. एस., एम. डी. एफ. एम. टी., मेडिट्रिना अस्पताल में मानद मेडिको-कानूनी सलाहकार के रूप में संलग्न, के बयान के अनुसार उन्होंने इलाज से पहले सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा की थी।

शव को सरकारी मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में स्थानांतरित कर दिया गया और पंचनामा किया गया जिसमें चोटों के कोई बाहरी निशान नहीं पाए गए। *6.* ऑटोप्सी परीक्षा *10* से *01-12-2017* पर आयोजित की गई थीः *50* सुबह *11* बजेः *55* डॉ. एन. के. तुमराम, जो उस समय फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, नागपुर में व्याख्याता के रूप में काम कर रहे थे, नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे।

7. शव परीक्षण टिप्पणियों और उनमें टिप्पणियों के संबंध में, उनके चिकित्सा-कानूनी व्याख्या और प्रासंगिकता के साथ-साथ अधिकारियों के साथ निष्कर्षों पर मेरी राय जो संलग्न की जा रही है। अनुलग्नक के रूप में।

7 एक "ड्यूरा भीड़भाड़ वाला"

स्नेल की एनाटॉमी की पाठ्यपुस्तक के अनुसार, ड्यूरा एक रेशेदार सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट है।

ऊतक *(*अनुलग्नक *10*, पृष्ठ *15)*

ऑटोप्सी सर्जन से यह देखने की उम्मीद की जाती है कि क्या ड्यूरा बरकरार है और शायद उनका मतलब उन अर्थों पर टिप्पणी करना था, जो मस्तिष्क के बाहरी आवरण हैं और सामान्य रूप से अचानक हृदय संबंधी मौतों के अधिकांश मामलों में उनकी भीड़ देखी जाती है।

इसलिए कारवां पत्रिका में पूरे तर्क के बारे में

ड्यूरा की भीड़ और इस तरह यह सिर की चोट का संकेत है जो अवैज्ञानिक है, और किसी भी तर्क से रहित है।

7 बी "। *320* ग्राम वजन का दिल भीड़भाड़ वाला-बाएं कोरोनरी और बाएं पूर्वकाल में एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रमाण

कैल्सीफिकेशन और ल्यूमिनल के साथ अवरोही कोरोनरी धमनी

अपने मूल से *100* प्रतिशत *1* से. मी. दूर और अपने मूल से *90* प्रतिशत *2* से. मी. दूर का संकुचन। बाएँ निलय के उच्च रक्तचाप का प्रमाण मौजूद है "।

आंतरिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार, हैरिसन,

"……..उच्च रक्तचाप के बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के कारण ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि और कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी और एनीमिया। कोरोनरी प्रतिरोध वाहिकाओं के असामान्य संकुचन या सामान्य फैलाव की विफलता भी इस्केमिया का कारण बन सकती है। *(* अनुलग्नक *11*, पृष्ठ *17)*

7 सी "। बड़ी वाहिकाएं अक्षत हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक के प्रमाण

महाधमनी के मेहराब की भीतरी दीवारों में मौजूद परिवर्तन। , आरोही महाधमनी "-किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

7 डी "। पेट-सभी अंग भीड़भाड़ वाले थे और पेट में *10* मिली पीले रंग की रसदार सामग्री होती है, जिसमें कोई विशिष्ट गंध नहीं होती है।

8. नियमित वेसेरा को रासायनिक विश्लेषण और *EEN* पूनावाला *v* के लिए संरक्षित किया गया था।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उसी की रिपोर्ट में जहर की उपस्थिति का पता नहीं चला। मस्तिष्क, फेफड़े, यकृत, हृदय, प्लीहा, दोनों गुर्दे, बाईं अवरोही महाधमनी के टुकड़े हिस्टोपैथोलॉजी के लिए संरक्षित किए गए थे।

ऊपर वर्णित और समझाया गया है। समाचार पत्र लेख द्वारा किए गए दावों के बारे में:

8.1 . हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का कोई दावा नहीं *(*द कारवां, अनुलग्नक *19*, पृष्ठ *46)*

मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के शुरुआती संकेत जो हो सकते हैं

नंगी आँखों और हिस्टोपैथोलॉजिकल के माध्यम से पता चला

तीव्र कोरोनरी अपर्याप्तता के बाद जीवित रहने के *12* से *24* घंटे बाद परीक्षा दिखाई देती है। *(* परिशिष्ट *12*,

पृष्ठ *20)*

डॉ. बर्नार्ड नाइट ने अपनी पुस्तक नाइट फॉरेंसिक में

पैथोलॉजी लिखते हैं, "कोरोनरी धमनी की अपर्याप्तता से होने वाली अधिकांश अचानक मौतों में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन नहीं होता है, भले ही इसका पता लगाने के लिए सबसे परिष्कृत तकनीकों का उपयोग किया जाता हो। न ही अधिकांश में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होता है, हालांकि परिभाषा के अनुसार गंभीर कोरोनरी स्टेनोसिस मौजूद है।

(अनुलग्नक *12*, पृष्ठ *23)*

इस्केमिक हृदय रोग के निदान के लिए कम से कम एक बिंदु पर लुमेन को *1* मिमी या उससे कम तक संकुचित करने की आवश्यकता होती है।

(अनुलग्नक *13*, पृष्ठ *25)*

एथेरोस्क्लेरोसिस से जुड़े घावों को कम होने के प्रतिशत के आधार पर ग्रेड *I* से *IV* तक वर्गीकृत किया जा सकता है।

कोरोनरी धमनी का लुमेन, जहाँ ग्रेड *IV* संकीर्णता के साथ कोरोनरी धमनी की दीवार के मोटा होने और कैल्सीकरण को दर्शाता है

75 प्रतिशत से अधिक लुमेन। *(* परिशिष्ट *13*, पृष्ठ *26)*।

कोरोनरी धमनी लुमेन के महत्वपूर्ण अवरोध के लिए लुमेन के *75* प्रतिशत संकीर्ण होने की आवश्यकता होती है *(*फोरेंसिक पैथोलॉजी, विंसेंट

जे डिमायो, अनुलग्नक *14*, पृष्ठ *28)* वर्तमान मामले में, बाएं कोरोनरी *100%* और बाएं पूर्वकाल में गंभीर स्टेनोसिस *(*संकीर्ण*) 90* प्रतिशत नीचे था

शव परीक्षण में देखा और नोट किया गया। निष्कर्ष सुसंगत *[2018] 9* एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तीव्र कोरोनरी अपर्याप्तता के कारण मृत्यु का कारण।

इसलिए मुझे उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

8.2 एक बार कोरोनरी धमनियों को कैल्सीफाई करने के बाद, दिल का दौरा पड़ने से कोई नहीं मर सकता है *(*द कारवां, अनुलग्नक *19*, पृष्ठ *46)*

यह अत्यधिक अवैज्ञानिक व्याख्या है क्योंकि कैल्सीफाइड धमनियों को विस्थापन थ्रोम्बस द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है और मुझे कोई योग्यता नहीं मिलती है।

इसमें और इस राय से असहमत।

8.3 एक बार जब व्यक्ति लक्षणों के बाद *30* मिनट तक जीवित रहता है तो हृदय की स्थिति में स्पष्ट संकेत होंगे, *(*द कारवां, अनुलग्नक*)*

19 , पृष्ठ *47)*

चिकित्सा साहित्य में मुझे ऐसा अवलोकन कहीं भी नहीं मिला है। वास्तव में, प्रारंभिक संकेत पहले प्रकट नहीं होते हैं।

12 घंटे। *(* अनुलग्नक *12*, पृष्ठ *20)*

मायोकार्डियल ऊतक में सकल परिवर्तन इस्केमिया/रोधगलन के बाद केवल *18-24* घंटे बाद दिखाई देते हैं। *(* प्रैक्टिकल कार्डियो वैस्कुलर पैथोलॉजी, मैरी एन शेपर्ड अनुलग्नक *15*, पृष्ठ *31*

8.4 कोरोनरी धमनी की अपर्याप्तता का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है।

(द कारवां, अनुलग्नक *19*, पृष्ठ *47)*

निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए निम्नलिखित साक्ष्य पर्याप्त हैं।

तीव्र कोरोनरी अपर्याप्तताः

मृतक द्वारा गवाहों को बताए गए प्रारंभिक लक्षण

और पहले अस्पताल में डॉक्टर।

ईसीजी निष्कर्ष।

शव परीक्षण में कोरोनरी धमनी में रुकावट देखी गई

इसलिए, मुझे तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है और मैं इससे असहमत हूं

एक ही।

8.5 गर्दन, कपड़ों पर खून के धब्बे दिल की चोट का संकेत हैं।

(द कारवां, अनुलग्नक *19*, पृष्ठ *47)*

पंचनामा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक ने काली पट्टी के साथ ग्रे फुल स्लीव शर्ट और नीले रंग की जींस पैंट पहनी हुई थी। कोई उल्लेख नहीं है

खून के धब्बे।

एन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

जब शवगृह परिचारकों द्वारा शव परीक्षण के बाद कपड़े शरीर पर वापस डाल दिए जाते हैं, तो कपड़ों की सटीकता और साफ-सफाई की तुलना एक जीवित व्यक्ति के कपड़े पहनने के तरीके से नहीं की जा सकती है।

शव परीक्षण परीक्षण समाप्त होने के बाद, विच्छेदित अंगों को गुहाओं में वापस डालने के बाद मृत शरीर पर गर्दन, छाती, पेट और सिर पर चीरे लगाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए हर सावधानी बरतने के बावजूद कि कोई नहीं है

सिलाई किए गए पोस्टमॉर्टम घावों से पोस्टमॉर्टम रक्त का रिसाव, कभी-कभी, रक्त से भरे शरीर के तरल पदार्थ का मामूली रिसाव हो सकता है। इस तरह के रिसाव की संभावना तब अधिक हो जाती है जब शवों को लंबी दूरी तक ले जाया जा रहा होता है जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ था।

8.6 हर एक वस्तु भीड़भाड़ वाली है इसलिए इसकी संभावना है

विषाक्तता। *(* अनुलग्नक *19*, पृष्ठ *17)*

यह बिल्कुल अवैज्ञानिक राय है। अचानक हृदय गति रुकने पर हृदयघात से मृत्यु होने पर, उपस्थिति लगभग सभी अंगों का जमाव एक अपेक्षित खोज है। वास्तव में, भीड़भाड़ कई मामलों में इतनी आम और

अनिर्दिष्ट खोज है कि कोई भी प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में इसकी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता है।

8.7 हिरासत की श्रृंखला के बारे में सवाल। *(* द कारवां, अनुलग्नक *19*, पृष्ठ *47)*

रासायनिक विश्लेषण के लिए विसरा वाली बोतलें हैं -

हमेशा चिकित्सा अधिकारी द्वारा सील किया जाता है और पुलिस को सौंप दिया जाता है। यदि रासायनिक विश्लेषक मुहर के साथ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को देखता है, तो वह उसी के बारे में रिपोर्ट करता है। चूँकि ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी पवित्रता पर संदेह करना अनुचित और अनुचित होगा।

8.8 मृतक की स्वस्थ जीवन शैली थी और कोई पारिवारिक इतिहास नहीं था हृदय रोग के कारण *48* वर्ष की कम आयु में अचानक हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। *(* कारवां, अनुलग्नक *19*, पृष्ठ *48)*

हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास केवल एक व्यक्ति को हृदय रोग के जोखिम के लिए अधिक प्रवण बनाता है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं करता है कि

इस तरह के इतिहास के बिना व्यक्तियों के बीच इसकी संभावना है।

*9.*निष्कर्षः

बनाए गए सभी दस्तावेजों और प्रासंगिक चिकित्सा दस्तावेजों के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर

इस विषय पर साहित्य, यह मेरी राय है कि,

1. स्वर्गीय श्री बृजगोपाल हरिकिसन लोया का तीव्र कोरोनरी के कारण निधन हो गया।

अपर्याप्तता, जो एक अचानक प्राकृतिक मृत्यु थी।

2. में किसी भी विसंगतियों का सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था

इतिहास, नैदानिक निष्कर्ष और शव परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई

मुझे।

3. द कारवां के लेखों में गड़बड़ी और संदेह के दावे

किए गए अवैज्ञानिक और गलत हैं, जैसा कि मैंने समझाया है

प्रासंगिक संदर्भों के साथ यह रिपोर्ट।

डॉ. हरीश एम पाठक

प्रोफेसर और प्रमुख

फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी

सेठ जी. एस. एम. सी. और केईएम अस्पताल, मुंबई। "

68. हम वास्तव में यहाँ इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या डॉ.

डॉ. कौल की राय की तुलना में पाठक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मामला यह है कि अभिलेख से तथ्य सामने आए हैं जो इंगित करते हैं कि इन सुनवाई के दौरान सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से न्यायाधीश लोया की मृत्यु की परिस्थितियों पर संदेह करने के लिए सबूत बनाने के लिए सावधानीपूर्वक सुनियोजित प्रयास किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष अपने व्यवहार में, वकीलों से न्याय की सहायता में निष्पक्षता की भावना के साथ न्यायालय की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। यहाँ जो हुआ है वह यह है कि श्री प्रशांत भूषण ने दोहरे आवरण को अपनाया है, जिसमें हस्तक्षेप करने वाले के वकील के साथ-साथ उस हस्तक्षेप करने वाले संगठन की ओर से व्यक्तिगत रूप से रुचि रखने वाले व्यक्ति का चरित्र है, जिसका वह सदस्य है। उन्होंने मामले को किसी तरह मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सबूत एकत्र करने की हद तक चले गए हैं। जिस तरह से डॉ. कौल की राय एक संक्षिप्त प्रश्नावली के आधार पर प्राप्त की गई थी, वह वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ती है और निष्पक्षता की कमी पर एक एकल प्रतिबिंब है जो इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित वकील से अपेक्षित है। यह तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और अदालत को गुमराह करने के प्रयास पर सीमित है।

69. अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, श्री डेव ने पहले दायर किया

यह न्यायालय एक संकलन, अन्य बातों के साथ-साथ, जिसमें तहसीन पूनावाला बनाम स्थापित एक कार्यवाही शामिल है।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता *(2014* का आपराधिक आवेदन *824)* की धारा *482* के तहत

ज्वाइंट सिविल जज, जूनियर डिवीजन और जे. एम. एफ. सी., नागपुर की फाइल पर लंबित आपराधिक मामले को रद्द करना। कार्यवाही में चौथे याचिकाकर्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र गंगाधर फडणवीस हैं। यह मामला एक घटना से संबंधित है जो *7* जून *1991* को नागपुर में कुछ निर्माण को हटाने के कारण हुई थी। परिणामस्वरूप, दंड संहिता की धारा *147,148,149,294,448,324,336* और *427* के तहत अपराधों के लिए दो अपराध दर्ज किए गए। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि हालांकि यह घटना *1991* की थी, लेकिन उस मामले में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है और समय बीतने के साथ, नागपुर इलाकों के निवासी पक्षों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया था। नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ, जिसमें बी. आर. गवई और वी. एम. देशपांडे, जे. जे. शामिल थे, ने नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया और इस प्रकार निर्णय दिया:

"सर्वोच्च न्यायालय ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य *(2014) 6* एस. सी. सी. *466* के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *482* के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में से एक यह है कि आम तौर पर यह न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन पर विचार नहीं करेगा जिसमें एक तत्व

सार्वजनिक कानून शामिल है। वर्तमान मामले में, अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी
एक-दूसरे को एक ऐसे विवाद से बाहर निकालना जो विशुद्ध रूप से निजी है और जिसमें सार्वजनिक कानून का कोई तत्व शामिल नहीं है। एक अन्य दिशानिर्देश यह है कि यदि मुकदमे के दोषसिद्धि में परिणत होने की कोई संभावना नहीं है, तो इस न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *482* के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि पक्षकार आपस में विवाद को समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं।

स्वयं, मुकदमे के दोषसिद्धि में समाप्त होने की कोई दूरस्थ संभावना भी नहीं है। इसलिए, हम पाते हैं कि पक्षकारों के बीच समझौते को स्वीकार करना और आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करना न्याय के हित में होगा ताकि पक्षकार उस क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने की स्थिति में हों जहां वे रहते हैं।

रहते हैं "।

27 (2014) 6 एससीसी *466 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

70. हम बल्कि इस बात पर आश्चर्यचकित हैं कि जिस तरह से उपरोक्त आदेश को प्रस्तुत करके एक आक्षेप किया गया है, जिसे पारित किया गया था। पूरी तरह से असंबंधित कार्यवाही। यह आक्षेप नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ एक अपराधी को खारिज करने के लिए है

मामला जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री शामिल थे। हमें निर्णय के गुण-दोषों का मूल्यांकन करने के लिए नहीं कहा जाता है, सिवाय इस बात पर ध्यान देने के कि उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था और नोट किया था कि विवाद स्वीकार्य रूप से निजी था। ऐसी प्रकृति जिसमें सार्वजनिक कानून का कोई तत्व शामिल न हो। याचिकाकर्ताओं का प्रयास पूर्वाग्रह पैदा करना और न्यायाधीशों, विशेष रूप से न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की गरिमा को धूमिल करना है। आपराधिक आवेदन और बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतियां उसी संकलन का हिस्सा हैं जिसमें *27* नवंबर *2017* को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख की एक प्रति भी संलग्न की गई है, जिसमें न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति शुकरे के बयानों का जिक्र है। यह वर्तमान मामले की सुनवाई के दौरान एक और उदाहरण है जहां अदालत के समक्ष जांच के विषय से बाहर के मामले पर किसी तरह से मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए भरोसा करने की मांग की गई है। इससे भी बुरी बात यह है कि न्यायिक क्षमता में लिए गए निर्णय के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर पूरी तरह से निराधार आक्षेप लगाए गए हैं। यह अदालत को बदनाम करने और न्याय के मार्ग में बाधा डालने का एक गंभीर प्रयास है।

जनहित याचिका

71. जनहित याचिका हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित लोगों के हितों का समर्थन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में विकसित हुई है। वास्तव में, यही वह आधार था जिस पर न्यायिक रूप से जनहित का अधिकार क्षेत्र था

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ जैसी स्थितियों में मान्यता प्राप्त। जो लोग अपनी गरीबी, अज्ञानता या निरक्षरता के कारण न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ थे, उन्हें मौलिक मानवाधिकारों से वंचित होना पड़ता है। बंधुआ श्रम और परीक्षण के तहत *(अन्य के बीच)* उस श्रेणी से संबंधित हैं। जनहित याचिका की विशेषता यह है कि एक नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की शिकायत को उजागर करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है जो अपनी शिकायतों को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं।

28 (1984) 3 एस. सी. सी. *161* तहसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अधिकार। खड़े होने के नियमों में ढील देकर जनहित याचिका पर विचार किया गया है। प्रक्रिया का आवश्यक पहलू यह है कि अदालत में जाने वाले व्यक्ति का अदालत के समक्ष एक नागरिक के रूप में सामान्य स्थिति के अलावा कार्यवाही के परिणाम में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। यह उन लोगों की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है जो अदालत के समक्ष शिकायत का पीछा करते हैं। पर्यावरण न्यायशास्त्र जनहित याचिकाओं के आधार पर विकसित हुआ है। पर्यावरणीय चिंताएँ वर्तमान पीढ़ी और भविष्य को प्रभावित करती हैं। जनहित याचिकाओं के निर्णय के दौरान प्रदूषक भुगतान और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत जैसे सिद्धांत विकसित हुए हैं। समय के साथ, जनहित याचिका कानून के शासन को संरक्षित करने और शासन की संरचनाओं के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन बन गई है। जनहित याचिका इस मायने में संरचनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक मूल्यवान साधन और क्षेत्राधिकार उपकरण है।

72. फिर भी समय के साथ, यह महसूस किया गया है कि यह अधिकार क्षेत्र व्यक्तिगत अधिकार वाले व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से उपयोग करने में सक्षम है और किया गया है।

कार्यसूची. उस स्पेक्ट्रम के एक छोर पर वे मामले हैं जहां जनहित याचिकाएं प्रचार पाने की इच्छा से प्रेरित होती हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर याचिकाएं हैं जो के कहने पर स्थापित की गई हैं व्यावसायिक या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जनहित याचिका के पीछे के मामलों को निपटाने के लिए। अग्रभाग के पीछे वादी का असली चेहरा शायद ही कभी उजागर होता है। ये चिंताएं वास्तव में उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामले में इस अदालत के फैसले में परिलक्षित होती हैं। इन चिंताओं को रेखांकित करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 143. दुर्भाग्य से, हाल ही में, यह देखा गया है कि अदालतों द्वारा बहुत सावधानी और सावधानी के साथ सावधानीपूर्वक बनाए गए, बनाए गए और पोषित किए गए ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र का अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ कुछ याचिकाएं दायर करके घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। हम समझते हैं कि समय आ गया है जब वास्तविक और प्रामाणिक जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जबकि तुच्छ जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारी सुविचारित राय में, हमें इस देश के लोगों के व्यापक हित में इस महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र की रक्षा और संरक्षण करना होगा, लेकिन हमें मौद्रिक और वित्तीय आधार पर इसके दुरुपयोग को रोकने और ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

अदालतों द्वारा गैर-मौद्रिक निर्देश "।

73. जनहित याचिका का दुरुपयोग एक गंभीर मामला है

29 (2010) 3 एससीसी *402 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक प्रक्रिया के लिए चिंता। यह न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मुकदमेबाजी से भरे हुए हैं और बकाया के बोझ से दबे हुए हैं। तुच्छ या प्रेरित याचिकाएं, जाहिरा तौर पर जनहित का आह्वान करते हुए, उस समय से विचलित करती हैं

मापदंड न्यायिक स्थान पर कब्जा करते हैं। *74.* वर्तमान मामला वास्तव में एक उदाहरण है। बार-बार, याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों के वकील ने अदालत को सूचित करने का प्रयास किया है

कि उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है और उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन कार्यवाहियों को शुरू किया है। न्यायाधीश लोया की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों की जांच की मांग करने का वास्तविक उद्देश्य जिला न्यायपालिका की रक्षा करना है, यह कहते हुए सद्भावना की एक आभा पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसे-जैसे प्रस्तुतियाँ विकसित हुई हैं, यह स्पष्ट हो गया है कि याचिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करने और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का एक परोक्ष प्रयास है। न्यायिक समीक्षा को संरक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है

कानून का शासन। हालाँकि, यहाँ हम तहसीन पूनावाला बनाम की एक श्रृंखला का सामना कर रहे हैं।

भारत का संघ और ए. एन. आर. *[* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

निंदनीय आरोप। इस बात के किसी भी प्रमाण के अभाव में कि वे हत्या के साजिशकर्ता हैं, अदालत को न्यायिक अधिकारियों के बयानों पर कायम रहना चाहिए। जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों को अपनी स्वतंत्रता पर अनावश्यक हमलों का सामना करना पड़ता है। अगर यह अदालत उनके साथ खड़ी नहीं होती तो यह अपने कर्तव्य में विफल होती। *75.* प्रस्तुतियों के दौरान हमने जो सुना है, उसे हमें इस संदर्भ में दर्ज करना चाहिए। श्री डेव ने आग्रह किया है कि *(i)* वह न्यायाधीशों से जिरह करना चाहते हैं और *(ii)* वह न्यायिक अधिकारियों पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रशासनिक समिति पर आरोप लगाए गए हैं

बॉम्बे उच्च न्यायालय। इस अदालत से संबंधित समय पर समिति के न्यायाधीशों को अवमानना का नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। सुश्री जयसिंह ने इस अदालत से बॉम्बे उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति को अवमानना नोटिस जारी करने का अनुरोध करते हुए मैदान में भाग लिया। श्री गिरि के साथ पेश हुए कनिष्ठ वकील ने इस हद तक आग्रह किया कि जिन न्यायिक अधिकारियों के बयान गोपनीय जांच के दौरान दर्ज किए गए थे, वे संदिग्ध हैं। यहां तक कि वर्तमान कार्यवाही की सुनवाई करने वाली इस पीठ के न्यायाधीशों को भी न्यायपालिका पर इस अपमानजनक हमले से नहीं बख्शा गया है।

76. श्री प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि क्योंकि वर्तमान पीठ का गठन करने वाले दो न्यायाधीश *(*न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई.

चंद्रचूड़) बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, वे उन न्यायिक अधिकारियों को जानते होंगे जिन्होंने बयान या न्याय दिया है।

भूषण गवई और न्यायमूर्ति एस. बी. शुकरे। यदि यह परीक्षा होनी थी, तो यह विडंबना है कि याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की थी, जिसके प्रत्येक न्यायाधीश से ऐसी ही स्थिति का सामना करने की उम्मीद की जाती थी। हमने श्री भूषण को सूचित किया कि किसी न्यायाधीश को किसी मामले की सुनवाई करनी चाहिए या नहीं, यह निर्णय न्यायाधीश के लिए विवेक का विषय है। इससे अलग होने का कोई आधार या आधार नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने सहयोगियों के आदेशों के खिलाफ अंतर-न्यायालय अपीलों को सुनते हैं। जब विचारों में अंतर होता है तो बड़ी पीठों का उल्लेख किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न अपीलों को सुनते हैं जिनमें उन्होंने न्यायाधीशों के रूप में या मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों पर कार्य किया था। संस्थागत रखरखाव

न्यायनिर्णायक के रूप में न्यायाधीश की स्वतंत्र भूमिका। हम दृढ़ता से स्पष्ट करते हैं कि क्षेत्र को धारण करने वाले सुव्यवस्थित मापदंडों पर, वर्तमान पीठ के किसी भी सदस्य के लिए सुनवाई से अलग होने का कोई कारण नहीं है।

एक न्यायाधीश के लिए इस तरह के बेतुके हमलों का सामना करना आसान है एक मामले से पीछे हटना, ऐसा करना कर्तव्य का त्याग करने के बराबर होगा। उच्च मूल्य हैं जो हमारे आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि श्री भूषण ने अंततः यह स्पष्ट कर दिया कि वह अलग होने के लिए आवेदन दायर नहीं कर रहे हैं- और कोई भी दायर नहीं किया गया है-हमने दर्ज किया है कि क्या व्यक्त करने के लिए हुआ था।

जिस तरह से ये कार्यवाही की गई है, उस पर हमारी पीड़ा की भावना है। बंबई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की विश्वसनीयता पर गंभीर हमले किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों का आचरण अदालत की प्रक्रिया को बदनाम करता है और प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का गठन करता है। हालांकि, मामले के एक निष्पक्ष दृष्टिकोण पर, हमने आपराधिक अवमानना के माध्यम से कार्यवाही शुरू नहीं करने का फैसला किया है, अगर केवल यह धारणा नहीं दी जाए कि वादियों और उनकी ओर से पेश होने वाले वकीलों के साथ एक असमान लड़ाई हुई है। कानून का अधिकार। हम इस उम्मीद में टिके हैं कि राष्ट्र का बार न्यायपालिका पर इस तरह के प्रयासों का सामना करने के लिए लचीला है। न्यायपालिका को अपने कर्तव्य का पालन करना जारी रखना चाहिए, भले ही यह कुछ लोगों के लिए रुचिकर न हो। न्यायिक प्रक्रिया की ताकत अवमानना के दंडात्मक कानून के डर में नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता उसके नैतिक अधिकार पर आधारित होती है। यह उस दृढ़ विश्वास के साथ है कि हमने अवमानना में अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं किया है।

ई निष्कर्ष

77. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है। इसका कोई कारण नहीं है

78. सुनवाई *2* फरवरी *2018* को शुरू हुई और *16* मार्च *2018* को समाप्त हुई। इन मामलों की सुनवाई *2* फरवरी *2018,5* फरवरी *2018,9* फरवरी *2018,12* फरवरी *2018,19* फरवरी *2018,5* मार्च *2018,8* मार्च *2018,9* मार्च *2018* और *16* मार्च *2018* को हुई थी। काम की बड़ी मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हमने विविध मामलों को निपटाने के बाद सोमवार और शुक्रवार को दोपहर *2* बजे सुनवाई को सूचीबद्ध करना उचित समझा था। याचिकाकर्ताओं का आचरण और हस्तक्षेप करने वालों में, जैसा कि हमने संकेत दिया है, ईमानदारी की कमी है और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का पता चलता है।

79. याचिकाएं खारिज हो जाएंगी।

तहसीन पूनावाला बनाम। भारत का संघ और ए. एन. आर.

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

80. स्थानांतरित किए गए मामले और लंबित आवेदन, यदि कोई हों,

भी निकाल दिया।

2018 का हस्तांतरित मामला *(*आपराधिक*)* सं. *2:*

81 इस स्थानांतरित मामले की सुनवाई साथ में की गई थी

30 जिन मामलों में निर्णय दिया गया है, उनका समूह

आज। जहाँ तक न्यायाधीश लोया की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों का संबंध है, वर्तमान मामले में उस संबंध में उठाए गए सभी मुद्दे इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा शासित होंगे। चूंकि मामला कुछ अन्य मामलों *(*न्यायाधीश लोया की मृत्यु के अलावा*)* को भी उठाता है, इसलिए विद्वान वकील ने इस अदालत से कार्यवाही को वापस करने का अनुरोध किया ताकि याचिकाकर्ता न्यायाधीश लोया की मृत्यु के अलावा अन्य मामलों पर मांगी गई राहत को उच्च न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ा सके। हम अनुरोध को निष्पक्ष और उचित पाते हैं। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि वर्तमान मामले को बॉम्बे में उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ को वापस भेजा जाएगा। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि न्यायाधीश लोया की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियाँ, जिन पर इस न्यायालय ने आज दिए गए फैसले में विचार किया है, समाप्त हो गई हैं और उच्च न्यायालय याचिका/मामले में उठाए गए अन्य मुद्दों से निपटने के लिए स्वतंत्र होगा।

82. तदनुसार आदेश दिया।

मामलों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे

30 डब्ल्यू. पी. *(*सी*)* नं. *19 2018* का डब्ल्यू. पी. *(*सी*)* संख्या *20,2018* का डब्ल्यू. पी. *(*सी*)* संख्या *73* और टी. सी.

(सीआरएल.*) 2018* का नंबर *1*